(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 ] पंचम विधान सभा के दशम् सत्र का 8वां दिवस [ संख्या 5



सोमवार,
दिनांक 12 जनवरी, 1976।

विधान सभा की बैठक म. प. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, शिक्षा, उद्योग, विद्युत्, पंचायत, गृह, सहकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यातायात, सामुदायिक विकास, जन सम्पर्क, सिंचाई, न्याय, स्वायत्त शासन, अकाल सहायता विभाग)

श्री अध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

**बाल परिवार कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों को बकाया का भुगतान।**

66. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान के अन्दर समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कितने बाल परिवार कल्याण केन्द्र कहां कहां चल रहे हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार इन कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों को तनख्वाह प्रति माह दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि कोई बकाया है तो उसका भुगतान कब कर देगी ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला) : (1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कोई बाल परिवार कल्याण केन्द्र नहीं चल रहा है लेकिन राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल जयपुर के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर 12 परिवार एवं बाल कल्याण प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं:—

1. परिवार एव बाल कल्याण योजना, झोटवाड़ा।
2. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, मण्डोर।
3. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, मावली।
4. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, सिरोही।
5. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, रायपुर।

# Page No 2

(2)



(श्रीमती कमला)

6. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, झालावाड़।

7. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, कोटड़ी।

8. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, कुम्हेर।

9 परिवार एवं बाल कल्याण योजना, सिकराय।

10. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, लक्ष्मणगढ़।

11. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, थानागाजी।

12. परिवार एवं बाल कल्याण योजना, श्री माधोपुर।

(2) इन कल्याण प्रोजेक्ट्स के कर्मचारियों को वेतन राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल द्वारा दिया जाता है। लेकिन प्रथम तीन प्रोजेक्ट्स के लिये मण्डल को अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष 12 प्रोजेक्ट्स के लिये अनुदान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। इस वर्ष 1975–76 में प्रथम तीन प्रोजेक्टस् के लिये राज्य सरकार ने अनुदान की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया है और शेष किश्तों का भुगतान आडिटेड स्टेटमेन्ट्स के अभाव में रुका पड़ा है। आडिटेड स्टेटमेन्ट्स प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायगा।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : इन केन्द्रों के कर्मचारियों को कितने माह से वेतन नहीं मिल रहा है?

श्रीमती कमला : मैंने निवेदन किया जो भी 12 प्रोजेक्ट्स यहां चल रहे हैं उनमें तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा। उनमें एक तो कोटवाड़ा का अक्टूबर 75 तक का वेतन मिल चुका है, एक मण्डोर का है जिनको अगस्त 75 तक का मिला है तीसरा मावली है जिनको जून 75 तक का मिला हुआ है। इसके बाद के भुगतान रुके पड़े हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहती हूं 4–4, 5–5 महीनों से कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है, और अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं गांव में उधार भी नहीं मिलता है तो उनकी क्या स्थिति होती है? कारण क्या है जो उनको टेक-अप नहीं कर पाते हैं?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष जी, इसका कारण यह है कि 1972 तक इनके अकाउन्ट्स आडिट महालेखाकार किया करते थे लेकिन अब उन्होंने ना कर दिया है, क्योंकि 5 लाख से कम के प्रोजेक्टस हैं इसलिये यह कह कर मना कर दिया कि नहीं करेंगे। उसके बाद विभाग अपनी तरफ से आडिट करवा ले, यह तय हुआ लेकिन फाइनेन्सियल लायबिलिटी के कारण इजाजत नहीं मिल पाई इसलिये नहीं करा पाये। अब स्वयं वे महालेखाकार से करवा रहे हैं और इस माह को 7 तारीख से आडिट शुरू हो चुका है और इस माह के अन्त तक पूरा हो जायगा। 2–3 महीने

# Page No 3

(3)



(श्रीमती कमला)
की बकाया राशि है वह दे दी जायगी। इस दिक्कत के बावजूद प्रति वर्ष एडहाक ग्रान्ट दी जाती है इसलिये अक्टूबर के बाद दो महीने का ही वेतन बाकी है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रति वर्ष इनके हिसाब से यही डिफिकल्टी रहती है और जो दूसरे केन्द्र चल रहे हैं उनमें कितने बच्चों को ...

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने निवेदन किया यह सिर्फ 73 से 75 तक की समस्या रही। पहले भी समस्या नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। इन तीन वर्षों में एडहाक ग्रान्ट दी जाती रही है। केवल अभी दो माह की दिक्कत है जिसके लिये मुस्तैदी से व्यवस्था करना शुरू कर दिया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदया ने जैसा बताया सिर्फ झोटवाड़ा केन्द्र को अक्टूबर मे वेतन नहीं मिला है। मैं आपकी मार्फत सरकार की जानकारी के लिये बता देना चाहती हूं जैसा माननीय मंत्री महोदया ने बताया उनको पैसा दिया जाता रहा है, क्या मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि पूरा पैसा दे दिया गया है और उनको पूरा वेतन दे दिया गया है? उनको पैसा पूरा नहीं दिया गया है, कम दिया गया है। और राणावत पे कमीशन लागू किया है वह भी अभी नहीं किया गया है और भी कई मुद्दे हैं। मैं लम्बा नहीं खींचना चाहती हूं। मैं एक प्रश्न और बता देना चाहती हूं। मानसिक दृष्टि से जो रोगी हैं और मानसिक चिकित्सा पालन केन्द्र की स्थापना भी हुई है जो हमारे राज्य की प्रगति के लिये बहुत बड़ी देन है। उसके लिये सरकार क्या करने का विचार रखती है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने निवेदन किया है कि उनको पूरा पैसा दे दिया गया है या पूरा पैसा नहीं दिया गया है और उनको राणावत पे कमीशन लागू हुआ है या नहीं हुआ है–राणावत पे कमीशन का मतलब ये पे स्केल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं यह तो मैं तुरन्त नहीं बता सकूंगी लेकिन जो प्रोजेक्ट झोटवाड़ा का है वह 99 हजार 900 का जो स्वीकृत बजट है उसके मुताबिक जो पे देनी थी उनका भुगतान उसमें से किया जा चुका है और उसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न है कि जो बच्चे मानसिक दृष्टि से ठीक नहीं है उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था है। इसके सम्बन्ध में जयपुर में एक होम फार मेन्टली रिटार्डेड है जिसमें बच्चों और बच्चियों को अलग रूप से रखा जाता है और उनका प्रति माह चैक–अप कराया जाता है और उनका उस अनुसार ट्रीटमेन्ट भी कराया जाता है जिससे वे बच्चे राहत पा सकें और उनको समुचित ट्रीटमेन्ट भी मिल सके।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है जैसा माननीय मंत्री महोदया ने बताया, झोटवाड़ा प्रोजेक्ट का पर्टीक्यूलरली, उसकी मैं चेयरमैन भी हूं, तेरह हजार रुपये कई महीनों के झगड़े के बाद मिले हैं। क्या आप समझ

Page No 4

(७)



(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

सकते हैं कि 13 हजार रुपया स्टाफ के सारे लोगों को सेलेरी देने के लिये पर्याप्त है और न अभी तक उनके लिये राणावत पे कमीशन का ही कोई डिसिजन हुआ है। वे बेचारे गरीब कर्मचारी मारे जायेंगे, यह मैं आपको बता देना चाहती हूं।

**श्रीमती कमला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया 12 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से तीन प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान देती है और जो भी समाज कल्याण बोर्ड के प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनको पांच साल पूरा हो जाता है तो उनकी सारी लायबिलिटी गवर्नमेन्ट टेक–अप कर लेती है इसलिये उनमें से तीन को देती है और उसमें वेतन का जो अमाउन्ट बनता है वह ज्यादा बनता है और कम दिया गया है उसका मतलब यह है कि वह प्रापर्ली सैक्शन्ड नहीं है। एडहाक तौर पर पैसा देना है इसलिये फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से स्पेशल स्वीकृति लेकर पैसा दिया गया है। इस माह में आडिट रिपोर्ट कम्पलीट हो जाती है तो जितना पैसा बकाया है उसको अगले माह तक भुगतान कर दिया जायगा।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : तब तक क्या वे जहर खायें, अध्यक्ष महोदय ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द्र !

**मुख्यालयों पर लड़कियों के उच्च माध्यमिक विद्यालय**

67. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रान्त के ऐसे जिले के मुख्यालय भी हैं जहां लड़कियों की उच्च माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेन्डरी स्कूल) नहीं है? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त जिलों के मुख्यालयों में सन् 76–77 में वहां के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा ?

**शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह)** : (1) जी हां सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी 10 + 2 की शिक्षा की नई योजना सरकार के विचाराधीन है। अतः फिलहाल 76–77 में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न मैंने पहले भी उठाया था और पहले भी इसी प्रकार का जवाब दिया गया था और आज भी उसी प्रकार का जवाब दिया गया है, इससे तो पहले ही यह एस्टेब्लिस हो जाती है। इन डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स पर क्या 75–76, 76–77 में भी विचाराधीन है। 10 + 2 वाला जो विचाराधीन बताया तो न मालूम आपके हिसाब से कब तक विचाराधीन रहेगी, कब तक यह सक्सेसफुल हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, उनको एम्पलायमेंट दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। इसके कारण हमें क्यों वंचित रखा जा रहा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
है ? क्यों नहीं 76–77 में जिनकी आबादी 60 हजार से अधिक है वहां गर्ल्स के लिये उच्च माध्यमिक विद्यालय का लाभ दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यही जवाब दिया था और आज भी वही जवाब दे रहा हूं इसका मतलब मेरा जवाब तो बिलकुल सही है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जवाब तो सही नहीं है, जवाब आपका सही होता तो हमें आज एडवान्टेज मिलता तो अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है जवाब गलत है और आपके जवाब के कारण ही हमें 75–76 में लॉस रहा और 76–77 में भी हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं खुल सकेगी और उसका गर्ल्स लाभ नहीं उठा सकेंगी इसलिये आपका जवाब ठीक नहीं है । आपकी 10 + 2 की शिक्षा की जो नई योजना है उसमें दूसरी इन्स्टीट्यूशन का जो हाल होगा वह इसका भी तय हो जायेगा ।

श्री खेतसिंह : जवाब तो सही है लेकिन आपको जो लाभ मिलना चाहिये था वह नहीं मिला, आप उस लाभ से वंचित रहे इसका मुझे दुःख है । लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्रकार के राजस्थान में 10 जिले हैं जहां पर गर्ल्स की हायर सेकेण्डरी स्कूल्स नहीं हैं । आप सब प्रयास करें और बजट का प्रोवीजन हो जाय तो मुझे भी खुशी होगी कि आपके यहां उद्घाटन करने जाऊं ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) : चाहे कोई आपको बुलाये या नहीं बुलाये ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, पूर्व का साल अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था और उसमें भी लाभ नहीं दिया और अब भी उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है और जितना कुठाराघात हो रहा है और उपेक्षा की जा रही है—क्या वह महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर ही करना चाहते हैं ?

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यही एक उपलब्धि हो जायेगी अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री श्री राम गोटेवाला !

**सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी में होने वाले मुनाफे को भलाई में लगाने का एग्रीमेंट**

68. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी ?

(2) इस उद्योग में राज्य सरकार और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कितना कितना रुपया कर्ज के रूप में लगा हुआ है ?

(3) राज्य सरकार की डिबेन्चर शेयर के रूप में इस समय कितनी धनराशि इस उद्योग में लगी हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग (सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री) की स्थापना के समय इस उद्योग और तत्कालीन जयपुर रियासत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार इस उद्योग को होने वाले मुनाफे का आधा भाग जयपुर रियासत के

# Page No 6

(6)



(श्री श्रीराम गोटेवाला)
अन्दर ही धर्मादे में लगाना था ? यदि हां, तो इस उद्योग ने इस शर्तनामे के अनुसार कितना रुपया जयपुर रियासत के अन्तर्गत कहां कहां लगाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) सन् 1948 में।

(2) राज्य सरकार का 31.66 लाख रुपया कर्ज के रूप में लगा हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंक का कितना रुपया लगा हुआ है इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(3) राज्य सरकार की प्रिफरेन्स शेयर के रूप में 75.00 लाख रुपये की राशि जयपुर उद्योग में विनियोजित है।

(4) 18-11-1948 को निष्पादित समझौते में ऐसी कोई शर्त नहीं थी अतः इस उद्योग द्वारा धर्मादे में मुनाफे का भाग लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहता था कि 75 लाख रुपया डिबेन्चर के रूप में कितने साल के ऊपर दिया गया था ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक रहेगी तब तक के लिए है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसमें तो ऐसा होता है कि दस साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए—एक निश्चित अवधि होती है और उसका इन्ट्रेस्ट सरकार को क्या मिल रहा है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जैसा मैंने निवेदन किया कि 75 लाख रुपया 1948 के समझौते के आधार पर तत्कालीन सरकार ने लगाया था और उसका रेट आफ इन्ट्रेस्ट 3 पर्सेन्ट का था। लेकिन माननीय सदस्य ने पिछले सत्र में भी प्रश्न उठाया था कि 3 पर्सेन्ट की राशि बहुत ही कम है। इसके बाद हमने इस बात को कम्पनी पर प्रभाव डालकर तय किया और वह 3 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 8 पर्सेन्ट कर दिया है जो कि 1975 से लागू कर दिया गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चाहता था कि 75 लाख रुपया और 31 लाख रुपया आपका हुआ और आपके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से गारन्टीज वगैरह भी दी गई हैं तो उसका सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के ऊपर कितना बकाया है ? जो आपने गारन्टियां दी हैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया 31.66 लाख रुपया बकाया है उसमें से 6.66 लाख रुपया तो हमने 80 लाख रुपया दिया था उसके ब्याज के बकाया थे और 30-3-74 को देय हो गया था और जो उन्होंने नहीं चुकाया उसकी राशि है और 25 लाख रुपया देय हो गया 31-3-74 और 31-3-75 को वह राशि नहीं चुकायी वह बकाया है और कुछ इन्ट्रेस्ट की बकाया है और जो गारन्टियां दी गई हैं, उसके अलावा और कोई राशि बकाया नहीं है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको खयाल होगा कि 69 लाख रुपया की और 3.5 लाख रुपया की गारन्टी इश्यू की गयी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 69 लाख भी नहीं है। लेकिन अभी तक जयपुर उद्योग ने उसको अवेल ही नहीं किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने जो बताया उसके अलावा मुझे याद है 12 लाख रुपया वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कर्जा दिया था। तो जो आपने राशि बताई है यह उसमें शामिल है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 12 लाख रुपया कर्ज के रूप में दिया था लेकिन उसका भुगतान उन्होंने कर दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो वाटर सप्लाई स्कीम के लिए था और इसके लिए हमने प्रश्न उठाया था कि वहां के अधिकांश लोगों के पोलिया हो गया था और गन्दा पानी पीना पड़ता है और 12 लाख रुपया को उन्होंने अपने पास पांच साल के लिए रखा और बाद में वापिस किया, पहला प्रश्न तो मेरा यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता था जो कि मुझे जानकारी है लगभग 5 करोड़ रुपया राष्ट्रीयकृत बैंकों के और दूसरी एजेन्सीज हैं उनके माध्यम से सीमेन्ट फैक्ट्री के ऊपर बकाया है। तो मैं जानना चाहता था कि 74 में जो रुपया जमा कराना था और नहीं कराया और आपने उसको और आगे बढ़ा दिया तो 75 लाख रुपया 8 परसेन्ट पर दे रखा है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने 3 पर्सेन्ट से बढ़ाकर 8 पर्सेन्ट किया लेकिन मैं आज भी जानना चाहता हूं कि जब आज 13 और 14 पर्सेन्ट पर रुपया मिलता है और उससे कम में नहीं मिलता है और राजस्थान सरकार भी इन्ट्रेस्ट 10 और 11 पर्सेन्ट देती है तो वहां 8 पर्सेन्ट पर लोन दिया गया है—मैं जानना चाहता हूं कि इस रुपये की वापिसी की क्या गारन्टी है ?

मुख्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जहां तक इसका सवाल है उसमें कन्सेशन्स दिये ही जाते हैं। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि बैंक दूसरों से एक प्रकार का इन्ट्रेस्ट लेते हैं और इन्डस्ट्रीज से दूसरी प्रकार का इन्ट्रेस्ट लेते हैं। जो लोनिंग एजेन्सी हैं वह भी कन्सेशनल इन्ट्रेस्ट पर लोन देती हैं। तो जहां तक लोनिंग का सवाल है वह तो सिस्टम है और बाकी लोन जयपुर स्टेट के जमाने का है और जब तक कम्पनी है तब तक उसका काम उसी रूप में चलेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेन प्रश्न यह है कि प्रश्न के भाग (4) में मैंने कहा कि जयपुर राज्य से जो समझौता हुआ था उस एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत इन्होंने मुनाफे का कुछ हिस्सा धर्मादे में देने की बात कही थी ? मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस एग्रीमेन्ट की कापी सदन की मेज पर रखी जाये ताकि देखकर इसके बारे में बात कर सकूं।

श्री हरिदेव जोशी : वह एग्रीमेन्ट मेरे पास है और आप चाहें तो अभी देख लें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने तो वह पहले मांगा था . . .

श्री हरिदेव जोशी : आप अभी देख लें।

# Page No 8

(8)



**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, इसको सदन की मेज पर रखने से दूसरों को भी जानकारी होगी। यह प्राइवेट अफेयर नहीं है इसलिए इसको सदन की मेज पर रखा जाये।

**श्री हरिदेव जोशी** : यह मांग नहीं की गयी थी लेकिन मेरे पास कापी है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मेरा सवाल यह है माननीय सदस्य ने यह सवाल किया कि जो 12 लाख रुपये वाटर सप्लाई स्कीम के लिए दिये गये थे उसका उपयोग उस कार्य में नहीं होकर उसको रोका गया और उसके बारे में आपने क्या कदम उठाया ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जी नहीं, यह नहीं है। जिस काम के लिए दिया गया था उसी काम के लिए उपयोग किया गया। अलबत्ता उन्होंने टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं किया था और वह सख्ती से वसूल कर लिया गया है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : दूसरा सवाल यह है कि आपके पास क्या गारन्टी है उस रुपये के वापिसी की ?

**श्री हरिदेव जोशी** : यह डिफरेन्ट क्वेश्चन है लेकिन यह लोनिंग का क्वेश्चन है इसलिए बताना उचित समझता हूं। राज्य सरकार अलाइव है कि यह फैक्ट्री बन्द नहीं हो और चाहे उसको अण्डरटेकिंग के तौर पर चलाया जाये या गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया दूसरे प्रावीजन के तहत टेक ओवर करके चलाये या कम्पनी को मदद करके चलाये गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने दो तीन बार मीटिंग बुलाई है और अभी दो दिन पहले ही सूचना मिली है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया कुछ करोड़ रुपया और देने की सोच रही है और यह जल्दी ही एप्रूव हो जायेगी।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैं यह जानना चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया जो साफ्ट लोन है उसमें भी 11 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज किया जाता है। जो आर.एफ.सी. की स्कीम है उसमें भी 11 पर्सेन्ट इन्ट्रेस्ट चार्ज करते हैं। पुराना एग्रीमेन्ट है लेकिन आज उसके अन्दर मजदूरों की 6 महीने की बकाया है, कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम की बकाया है और इन्श्योरेन्स की बकाया है, रेल्वे की बकाया है। मैं तो यह जानना चाहता था कि हमारे 75 लाख रुपये हैं और 31 लाख रुपया और है, करीब सवा करोड़ की वापसी की क्या गारन्टी है ? यह किस प्रकार से वसूल हो सकेगा ?

**श्री हरिदेव जोशी** : जो 75 लाख रुपये की बात करते हैं वह लोन नहीं है, शेयर है और आप शेयर होल्डर हैं। कम्पनी चलती है या नहीं शेयर होल्डर्स का जो फेट होगा वही आपका है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : मैंने डिबेन्चर्स के लिए पूछा है शेयर के लिए नहीं। शेयर में और डिबेन्चर में फर्क है ? डिबेन्चर तो ऋणपत्र होता है।

**श्री हरिदेव जोशी** : यह प्रिफरेन्शल शेयर है और दूसरा सवाल यह है कि हर

(श्री हरिदेव जोशी)

एक के जो भी असेट्स हैं वह मार्टगेज हैं। इसलिए जहां तक लोन का सवाल है या दूसरी चीजों का सवाल है वह सेफ है।

प्रश्न संख्या 69

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हाजी जान मोहम्मद खां !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 70

श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 71

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 72

श्री गुमानमल लोढ़ा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्रीमती सुमित्रा !

**ग्राम ढिगाल (झुंझुनं) की गृह निर्माण सहकारी समिति का निर्माण**

73. श्री पी. के. चोधरी (फुलेरा) :

[श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनूं) की अनुपस्थिति में] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम ढिगाल, जिला झुंझुनूं की गृह-निर्माण सहकारी समिति को 12-3-75 को राजस्थान स्टेट एपेक्स हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड की मीटिंग में गृह निर्माण के लिए लोन स्वीकार किया गया था ? यदि हां, तो अब तक लोन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री तथा मुख्य मंत्री का ध्यान मैंने कई बार अपने पत्रों द्वारा आकर्षित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** (श्री रामनारायण चोधरी) : (1) ढिगाल गृह निर्माण सहकारी समिति के 25 सदस्यों को भवन निर्माणार्थ 1,00,000) रुपये. का ऋण दिनांक 12-3-75 को सदस्यों के भूखण्डों के, ऋण आवेदन समिति के पक्ष में हस्तान्तरण अभिलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाकर प्रस्तुत करने की शर्त के साथ स्वीकृत किया गया था। दिनांक 16-9-75 को राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी के संचालक मण्डल ने यह निर्णय ले लिया कि जब तक भारतीय जीवन बीमा निगम से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो तब तक ऐसी समितियों को जिन्हें स्वीकृत ऋण की एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया हो, ऋण का भुगतान नहीं किया जाय। ढिगाल गृह निर्माण सहकारी समिति ने पंजीकृत शुदा हस्तान्तरण अभिलेख राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के दिनांक 16-9-75 के निर्णय के पश्चात् प्रस्तुत किये। इस कारण ऋण का भुगतान नही हुआ।

(2) माननीय सदस्या ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय

(श्री रामनारायण चौधरी)
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पत्र लिखे हैं। जिनकी प्रतियां सहकारिता मंत्री को प्राप्त हुईं।

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी लि. जयपुर के पास इस समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। अपेक्स समिति के पास इस समय 246 गृह निर्माण सहकारी समितियों के ऐसे ही मामले विचाराधीन हैं जिनके लिए राजस्थान स्टेट हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि. को 2 करोड़ 7 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है वर्तमान में जिन सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण कार्य चालू है। उनके लिए ही अपेक्स समिति को 3 करोड़ 74 लाख रुपये की आवश्यकता है। अभी हाल ही में अपेक्स समिति को केवल 1 करोड़ रुपये की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त हुई है। जो चालू जिम्मेदारियों को भी पूरा करने में बहुत अपर्याप्त है। इसी कारण अपेक्स समिति को दिनांक 16-9-75 को यह निर्णय लेना पड़ा कि जिन समितियों को अब तक ऋण की एक भी किश्त भुगतान नहीं की गई हैं उनको पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के उपरान्त ही ऋण का भुगतान प्रारम्भ किया जाय। अत: इस समिति का मामला भी उसी समय विचारार्थ लिया जा सकेगा।

**श्री पी. के. चौधरी** : मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आपने जो न्यू इकोनोमिक प्रोग्राम का पर्चा निकाला है उसमें लिखा है कि करीब 9 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है। यह जो 9 करोड़ रुपया उनको कर्जा देने के लिए सेंक्शन किया है उसमें से कितने रुपये की स्वीकृति दे दी है और कितना रुपया अभी देना बाकी है और इस 9 करोड़ के अन्दर ढिगाल सोसायटी का हिस्सा भी आता है या नहीं?

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह नौ करोड़ है उसमें ढिगाल गृह निर्माण सहकारी समिति का मामला भी आता है लेकिन गृह निर्माण समितियों को अभी तक एक भी किश्त नहीं दी है उनको अभी रुपया नहीं दिया जाय।

ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियों की संख्या 246 है जिसमें यह सहकारी समिति भी आती है। क्योंकि चालू सहकारी समितियों के कामों की जिम्मेदारी ही हाउसिंग सोसायटी के ऊपर छ: करोड़ के आस-पास आती है। तो जब तक यह चालू जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर लिया जाय तब तक नई सहकारी समिति को ऋण वितरण की व्यवस्था फिलहाल दि. 16-9-74 को स्थगित रखने का निर्णय राजस्थान हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी ने लिया है कि जब तक इस कमिटेड लायबिलिटी को पूरा नहीं कर लें तब तक दूसरी हाउसिंग सोसायटी जिनको एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है, किसी किश्त का भुगतान नहीं किया जावे।

**श्री पी. के. चौधरी** : सवाल यह था कि आपने लोन सेंक्शन किया तो जब आपके पास पैसे का इन्तजाम नहीं था तो आपने लोन सेंक्शन क्यों कर दिया? क्या आपके पास पैसे का इन्तजाम था और उसके बाद सेंक्शन किया? सेंक्शन आप किस स्थिति में करते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : सेंक्शन उस उम्मीद में किया गया था कि हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी के नियमों के अनुसार एल. आई. सी. से उम्मीद थी कि जितना राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की शेयर मनी है उससे 10 गुना एल. आई. सी. से लोन मिल सकेगा लेकिन प्लानिंग कमीशन की नीति में परिवर्तन आने के कारण एल. आई. सी. ने लोन कम कर दिया। अपेक्स सोसायटी बनाने के लिए पहले तो स्थिति यह थी कि हम जो थे, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान पूरे देश में ही इस काम को कर रहे थे तो उससे एल. आई. सी. के फण्ड इस काम के लिए तीन राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ही बंट जाते थे, लेकिन अब दूसरे प्रदेशों में भी अपेक्स सोसायटीज बन जाने से उनकी डिमाण्ड का प्रेशर बढ़ गया और प्लानिंग कमीशन ने भी हाउस साईट के लिए पैसा देने के फ़ैसले के अन्दर थोड़ा परिवर्तन किया, इस कारण एल.आई.सी.ने हाथ खींचा और एक करोड़, डेढ़ करोड़ से अधिक नहीं दिया। इसलिए कमिटेड लायबिलिटि को पूरा करने के लिए ही लगभग छः करोड़ रुपया हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी को चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामगोपाल !

श्री पी. के. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया सवाल यह था कि आपने जो न्यू इकोनोमिक प्रोग्राम का पैम्पलेट निकाला और उसमें सरकार की जो पालिसी का जिक्र किया है उसमें साढे आठ करोड़ शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और सवा करोड़ ट्राइब्स के लिए हाउसिंग सोसायटी के मकानों के लिए कर्जा दिया है। यह न्यू इकानोमिक प्रोग्राम के पैम्फलेट में आपने दिया है कि 9 करोड़ रुपया दिया है, वह नौ करोड़ रुपये कमिटेड सेंक्शन हैं या अन-कमिटेड है? अनकमिटेड है तो किस आधार पर कमिटेड किया और एल. आई. सी. ने किस आधार पर आश्वासन दिया ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह हमारा कमिटेड एक्सपेंडीचर है और इस कार्यक्रम को, इस लायबिलिटी को पूरा करेंगे। जिम्मेदारी को तो पूरा करना चाहते हैं लेकिन जब तक एल. आई. सी. से पर्याप्त फण्ड नहीं मिलता है इसे पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। अभी तक एक करोड़ रुपया दिया है। और पचास लाख रुपये मिल जाय इससे ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। यह डेढ़ करोड़ ही नहीं बल्कि इस साल में सवा दो करोड़ के कमिटेड एक्सपेंडीचर में से इस वर्ष जो कि 31 मार्च को समाप्त होगा एक करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है और उन्होंने कहा है कि इस वर्ष में 25 लाख का कमिटमेंट करते हैं, ज्यादा कोशिश करेंगे तो अधिक से अधिक पचास लाख और दे सकेंगे। यह एक करोड रुपया भी हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। लेकिन हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जो एल. आई. सी. का कमिटमेंट है उसको प्राप्त करें और उसके लिए हम बराबर प्रयत्नशील हैं और वह प्राप्त करने के बाद भी जो कमिटेड लायबिलिटी है, बाईस हजार हाउसेज की कमिटेड लायबिलिटी में 6741 हैं और उनको सेंक्शन दे दी है और इन 6741 के अलावा जिनको अभी तक एक भी किश्त नहीं दी उनको किश्त देकर के

(श्री रामनारायण चौधरी)
जो चालू हैं, जिनका काम चल रहा है उनका काम भी रोकना नहीं चाहते हैं और इसलिए पालिसी के तौर पर यह निर्णय है कि जब तक एल.आई.सी. से पर्याप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो जावे तब तक उनका काम चालू नहीं किया जावे वरना जिनका काम चालू है उन पर विपरीत असर पड़ेगा।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री रामगोपाल !

**श्री गोपालसिंह** : अध्यक्ष महोदय

**श्री पी.के. चौधरी** : एक प्रश्न और अध्यक्ष महोदय। क्या यह सही है कि आपने इस सोसायटी की एक फाइल को नौ महीने से मंगा कर अपने पास रख रखा है ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : जी नहीं।

प्रश्न संख्या 74

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री रामगोपाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल !

**ग्राम पंचायत लालसोट (जयपुर) के मोटर स्टेण्ड का किराया**

75. **श्री मीठालाल मीणा** (लालसोट): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लालसोट (जयपुर) के मोटर स्टेण्ड का किराया प्राइवेट बस मोटरों (सवारी) के मालिकों पर 31 दिसम्बर, 1972 तक 85304.05 रु. बकाया चले आ रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष विधान सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने यह कहा था कि हम शीघ्र वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक उक्त वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ? क्या जिन अधिकारियों की वजह से वसूली नहीं हो रही है उनके विरुद्ध भी राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

**पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी)** : (1) जी हां। (2) जी हां। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 66 व राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 115 के अन्तर्गत पंचायत को ही यह वसूली का अधिकार है एवं वहां कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

**श्री मीठालाल मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत साल भी यह प्रश्न उठा था पहले विधान सभा में और सारी चीज को मानते हुए इस बात को स्वीकार किया गया था। लेकिन अभी तक 35 हजार रुपया तो 72 तक का ही बकाया है और अब 75 तक तो और भी अधिक बढ़ गया होगा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, एक टिप्पणी दी गई है कि यह सही है कि मोटर मालिकों को बकाया राशि देने के लिए पंचायत द्वारा मोटर मालिकों से बराबर आग्रह किया जाता रहा है लेकिन अभी तक भी उन्होंने शेष

# Page No 13

(13)



(श्री मीठालाल मीणा)
राशि जमा नहीं कराई है। स्वयं जिलाधीश महोदय और सम्बन्धित अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और आप कह रहे हैं कि नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि एक ही दिन में एक बस का रूट परमिट रोक दें तो पैसा तो आप एक मिनट में वसूल कर सकते हैं। प्राइवेट बस मालिकों से आपको रुपया वसूल करने में क्या देर लग सकती है। यह सन् 66 का किराया है पैंतीस हजार बकाया और अब तो वह बढ़ कर एक लाख के करीब हो गया होगा उसको प्राइवेट बस मालिकों से वसूल करने में क्या दिक्कत हो सकती है। इसमें तो कोई यह बात भी नहीं है कि वे कोर्ट में चले जायेंगे। बाकी पंचायत ने पहले ही कह दिया है कि यह हमारी बस में नहीं है कि हम इनसे वसूल कर सकें। आपको यह पता है कि कितनी बसें एक दूसरे के नाम पर बेच दीं, रूट बदल गए, इधर उधर कर दी हैं, आप अभी वसूल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप अगर तत्काल कार्यवाही करना चाहते हैं तो यह बता दीजिए कि कब तक यह वसूली हो जाएगी।

**श्री रामनारायण चौधरी** : जैसा कि निवेदन किया है राजस्थान पंचायत अधिनियम 53 की धारा 66 के अन्तर्गत टैक्स की बकाया वसूली करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दिया गया है। हमने ग्राम पंचायत को निर्देश दिया है कि वह इस बकाया टैक्स की वसूली करें ...

**श्री मीठालाल मीणा** : उन्होंने तो पहले ही असमर्थता प्रकट कर दी है ...

**श्री रामनारायण चौधरी** : सुन लीजिए। आपने अभी सुझाव दिया है कि प्राइवेट मोटर आनर्स हैं उनके लाइसेन्स परमिट वगैरह रोके जा सकते हैं, सस्पेन्ड किए जा सकते हैं, टैक्स की वसूली न होने की अवस्था में, किन्तु यह कानूनी प्रश्न है। इस पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करेंगे। उनसे विचार विमर्श करेंगे कि वे क्या सहयोग हमें दे सकते हैं।

**श्री मीठालाल मीणा** : आपका पैसा बकाया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने इन्कार कर दिया है तो फिर क्या आपको कानूनी दिक्कत आ रही है? एक दिन में परमिट रोकेंगे तो वसूली हो जाएगी।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है माननीय सदस्य का कि अगर पंचायत अपने फर्ज का अंजाम नहीं देती है और पैसा बाकी है तो क्या आप उसकी वसूली नहीं करेंगे? इसका मतलब तो यह है कि वह पैसा वसूल नहीं हो सकता है और उसको राइट आफ किया जाएगा या इसके वसूल करने के और भी कोई तरीके हैं? अगर हैं तो उन तरीकों को क्यों नहीं अपनाया जाता है?

**श्री रामनारायण चौधरी** : यह वसूली करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अगर ग्राम पंचायत वसूली की कार्यवाही नहीं कर रही है तो कानून के तहत राज्य सरकार से उनको सहयोग की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार सहयोग देगी और वसूली की कार्यवाही की जायगी।

**श्री मीठालाल मीणा** : पंचायत सहयोग नहीं लेगी तो आप क्या कार्यवाही करेंगे?

(श्री मीठालाल मीणा)
पंचायत ने सहयोग नहीं लिया तो लाखों रुपया जो बकाया है क्या वह डूब जायगा ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट !

**श्री मीठालाल मीणा** : पंचायत तो सहयोग नहीं ले रही है।

**श्री रामनारायण चौधरी** : ग्राम पंचायत वसूली की कार्यवाही नहीं करेगी तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या 76

**श्री अध्यक्ष** : श्री दीपंकर !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 77

श्री रघुनाथ विश्नोई !

**जालोर में ए. पी. आर. ओ. की नियुक्ति**

77. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) :

[ **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) की अनुपस्थिति में ] : क्या जन संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार जिला जालोर में ए. पी. आर. ओ. का आफिस खोलने का निर्णय काफी अर्से पहिले ले चुकी है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक जिला जालोर में ए.पी.आर.ओ. को नियुक्त नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अब ए.पी.आर. ओ. को जालोर में कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार जब तक जालोर में ए. पी. आर. ओ. नहीं लगे तब तक सिरोही पी. आर. ओ. का महीने में 15 दिन जालोर में हैड क्वार्टर मुकर्रर करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, जन सम्पर्क** (श्रीमती कमला) : (1) पी. आर. ओ. जालोर का पद आर्थिक बचत प्रस्तावों के अन्तर्गत 12 जुलाई, 1962 को समाप्त कर दिया गया था।

(2) जी हां, जालोर में ए.पी. आर. ओ. पद के सृजन का प्रस्ताव काफी समय से राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) सिरोही के जन-सम्पर्क अधिकारी को जालोर जिले के जन-सम्पर्क का कार्य करने का दायित्व दिया गया है और वह दोनों ही जिलों का बराबर दायित्व निभावें ऐसे उन्हें निर्देश दिये हुए हैं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, यह वित्तीय संकट कभी तो जालोर पर पड़ता है और कभी बाड़मेर पर पड़ता है। यह इतना बड़ा जिला है, 6 लाख की आबादी है और मांग भी क्या है एक ए.पी. आर. ओ. का दफ्तर वहां कायम हो और वह मांग भी विचाराधीन है। तो यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा और कब निर्णय लेंगे ? सरकार वहां पर ए. पी. आर. ओ. का दफ्तर जल्दी से जल्दी चालू करे क्योंकि यह जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। वहां की जितनी उपेक्षा हो रही है,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
जोधपुर डिविजन के जिलों की जितनी उपेक्षा हो रही है, वह क्यों है ?

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : अध्यक्ष महोदय, हर बात में यह प्रश्न उठाया जाता है। जोधपुर डिविजन की बात उठायी जाती है तो फिर हम लोग भी इससे वंचित क्यों रहें ? अजमेर डिविजन में जयपुर जिला सब से बड़ा है और हम लोग भी इस तरह की मांग कर सकते हैं।

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : जयपुर जिले के नेता मौज उड़ाते हैं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न, इसका उत्तर आपसे दरकार है।

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जालौर से आने वाले माननीय सदस्य के लिहाफ पर यह प्रश्न पूछा है। मैं उनकी भावनाओं से काफी सहानुभूति रखती हूं और मैं स्वयं भी और मुझ से पूर्व जन सम्पर्क विभाग के जो मंत्रीगण रहे हैं, उन्होंने भी इससे सहानुभूति रखी है और जितनी क्षमता थी, उसके मुताबिक प्रस्ताव को दोहराते रहे हैं। जालौर, बूंदी और एक और जगह पर अभी ए. पी. आर. ओ. के दफ्तर नहीं हैं। इनके लिए प्रस्ताव भेजे जाते रहे हैं किन्तु अभी तक इनकी स्वीकृति नहीं आयी है इसलिए यह व्यवस्था कर रखी है कि जो पास के जिले के जन सम्पर्क अधिकारी हैं वे साथ के जिलों के कार्य को भी देखेंगे और वे अपनी ओर से इस कार्य को करने की भरसक चेष्टा करते हैं बावजूद इसके कि सिरोही भी एक बड़ा जिला है और जालौर भी एक बड़ा जिला है फिर भी वे अपनी क्षमता के अनुसार जालौर का भी दौरा करते हैं और वहां की योजनाओं, फीचर आदि का कवरेज करने की कोशिश करते हैं।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : ऐसी कोरी सहानुभूति से कुछ तो प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न यह है कि आपकी सहानुभूति है तो आप यह इन्स्ट्रक्शन दे दें कि 15 दिन जालौर डिस्ट्रिक्ट रहे और 15 दिन सिरोही जिले में रहे। ऐसी इन्स्ट्रक्शन आप दे दीजिये।

**श्रीमती कमला** : यह व्यवहारिक तौर पर नितान्त असम्भव है। जिस व्यक्ति का एक हैड क्वाटर पर फैमिली रह रही है, उसकी फेमिली 15 दिन सिरोही में रहे और 15 दिन जालौर में रहे यह असम्भव है। मैं यह निवेदन करूंगी कि हम प्रयत्न में हैं और टोंक, बूंदी, जालौर ये तीन जगह ऐसी हैं जहां इस वक्त जन सम्पर्क अधिकारी नहीं हैं, वहां शीघ्रातिशीघ्र इसकी व्यवस्था हो सके, इसके लिए अपनी और क्षमता बढ़ाने की कोशिश करूंगी।

**एक माननीय सदस्य** : मुख्य मंत्री इनकी क्षमता बढ़ाने की कोशिश करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों की खरीद

78. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा लगभग 5 लाख रुपये के टायर्स केवल मोदी कम्पनी से ही खरीदे गये हैं? यदि हां तो ऐसा किन कारणों और परिस्थितियों में किया गया है।

(2) निगम के क्रय अधिकारी कौन हैं तथा ये आपने पिछले विभाग से किन कारणों से हटाये गये हैं।

**शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह)** : (1) मोदी कम्पनी से वर्ष 1975-76 के दौरान 47,92,677 50 रुपये के 3550 टायर खरीदे गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कम्पनियों से 7,192 भी टायर जिनकी कीमत 98,35,297,50 होती है, नकद भुगतान पर इसी वर्ष के दौरान खरीदे गये हैं। मोदी कम्पनी से 3 50 टायर खरीदने के प्रमुख कारण निम्न रहे हैं—

1 मोदी टायर्स की कीमत अन्य कम्पनियों के टायर्स से 7.75 प्रति टायर कम है।

2. मोदी टायर्स ने एक हजार टायर एक माह तथा 2500 टायर 3 माह की उधार सुविधा पर दिये, जिसके फलस्वरूप निगम को ब्याज की 1,60,000/- रुपये की बचत हुई है।

(2) निगम में सामान क्रय करने हेतु एक परचेज बोर्ड गठित है जिसके अध्यक्ष प्रधान प्रबन्धक श्री आर. सी. माथुर हैं। पर्चेज बोर्ड के निर्णयों के अनुसरण में भण्डार नियंत्रक द्वारा सामान क्रय करने हेतु आदेश जारी किये जाते हैं आजकल भण्डार नियंत्रण का कार्यभार मुख्य यांत्रिक अभियन्ता श्री पी. आर. सुब्रहृणम के पास है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

**श्री खेतसिंह** : निगम के जो अधिकारी है, पहले उनका नाम बताया है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह करना चाहूंगा कि मोदी के जो टायर हैं वे ओपन मार्केट में दो सो से तीन सो रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हो रहे हैं और क्या आप इस तथ्य को चेलेन्ज करने को तैयार हैं? दूसरा सवाल यह है कि अगर यह तथ्य सही है तो क्या बता सकते हैं कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर चेयरमैन की एप्रूवल थी। क्या यह चेयरमेन वे ही हैं जिन पर फोरेन एक्सचेंज के दुरुपयोग का चार्ज यहां पर लगाया गया था? क्या और कोई तरीका ऐसा नहीं था कि आपको कम दर पर नये और अच्छे टायर उपलब्ध हो जाते? यह सवालात तो पहले प्रश्न के है?

दूसरे सवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि क्या यह सही है कि श्री सुब्रमण्यम को डी. टी. यू. से करप्शन के चार्ज पर निकाला गया है और इसी करप्शन के आधार पर ही इनको यहां पर बुलाया गया है कि वे भ्रष्टाचार के एक्सपर्ट है और दूसरी चीज यह है कि क्या यह सही है कि श्री चक्रपाणी ने इन हालातों से मजबूर

# Page No 17

(17)



(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
होकर इस्तीफा दिया है और राज्य सरकार ने उसको मंजूर कर लिया है ?

**श्री अध्यक्ष** : एक-दो सवाल ही पूंछिये । जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जायेगा ?

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : माफी चाहता हूं।

**श्री खेतसिंह** : मैं पूरे ही प्रश्नों का जवाब दे दूंगा इन्हें पूछ लेने दें ।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : कुछ प्रश्न मेरे भी हैं ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : मैं अध्यक्ष महोदय के आदेशों की पालना करूंगा। आप जवाब दें ।

**श्री अध्यक्ष** : अभी तक का जवाब आने दें।

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि, मोदी टायर्स ओपन मार्केट में 200) रुपये सस्ते मिलते हैं तो इस प्रकार की जानकारी विभाग के पास में नहीं है और मैं समझता हूँ कि तथ्य आपका सही नहीं है.....

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : तथ्य सही नहीं है या आपको जानकारी नहीं है ? इन दोनों में कन्ट्राडिक्शन है। मंत्री महोदय, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं । अगर आपको जानकारी नहीं है तो यह कहें ।

**श्री खेतसिंह** : एक बात कही ...

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : यह कन्ट्राडिक्शन आपकी बात में है ।

**श्री खेतसिंह** : मेरे पास में जो जानकारी लिखित में है । उसके हिसाब से कहना चाहता हूं । मेरे पास में जानकारी नहीं है लेकिन मैंने अधिकारियों से पूछा है और उन्होंने बतलाया है कि सही नहीं ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अगर मेरी बात सही साबित हो गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे या वह होंगे जिन्होंने खरीद किया है ? आई केन चेलेन्ज एण्ड आई केन परचेज दीज इन दी मार्केट।

**श्री खेतसिंह** : यह बिल्कुल आपका कहना गलत है । मैं यह जानकारी से कहना चाहता हूं कि हमने जो रेट दी है उससे सस्ते में ओपन मार्केट में नहीं मिलता है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आप पाशा पलट रहे हैं मंत्री महोदय, उधर देखकर ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अगर यह सही होगा तो कौन जिम्मेदार होगा आप एन्क्वायरी करा लें ।

**श्री खेतसिंह** : मेरे पास यही सूचना है । अगर यह जो आपने कहा वह सही हुआ तो एन्क्वायरी करा भी जायेगी।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : एक सवाल का और जवाब दे दें । क्या यह सही है कि सुब्रमण्यम जैसे भ्रष्ट अधिकारी को डी.टी.यू. से डिस्चार्ज किया गया है ?

**श्री खेतसिंह** : इस प्रश्न से इसका सीधा ताल्लुक नहीं है। आप तीसरा क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछ लेते ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : दूसरे नम्बर के क्वेश्चन में यह पूछा था कि जो इन्चार्ज

# Page No 18

(18)



(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

इस जगह पर काम कर रहे थे श्री चक्रपाणी उनको इसी वजह से हटाया गया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक कम्प्लेण्ट खुद मैनेजर साहब को फाइल की गई है रोडवेज की ड्राइवर्स की यूनियन के द्वारा, उन्हीं मैनेजर साहब को जिनकी आंखों की रिपेयर्स के लिए लाखों रुपया फारेन एक्सचेन्ज में खर्च किया गया है। पर्चेज आफिसर श्री आर.सी. माथुर जो कि पर्चेज कमेटी के चैयरमैन हैं उनको बाकायदा लिखित रूप मे रोडवेज की यूनियन ने यह कम्प्लेन्ट फाइल की कि मोदी के टायर 200 या 300 रुपये कम में बाजार में मिलता है, इसके बावजूद भी न तो मैनेजर साहब ने एन्क्वायरी की और न पर्चेज कमेटी के चैयरमैन ने एन्क्वायरी की। यह आर. सी. माथुर वही हैं जो राजस्थान कैनाल में 40 मुरब्बा जमीन आपके पास में लिये बैठे हैं। उनको भी मालूम नहीं था। अगर यह एन्क्वायरी सही है तो क्या आप इन आफिसर्स के खिलाफ कठोर कदम उठायेंगे ? उस वक्त भी आपने कदम नहीं उठाया जब कि मैनेजर साहब की आंख की रिपेयर्स में लाखों रुपये का फारेन एक्सचेन्ज खर्च हुआ...

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैनेजर नहीं चैयरमैन।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अब इसमें लाखों रुपयों का बंगलिंग हुआ है तो क्या इन चैयरमैन के खिलाफ आप कठोर कदम उठायेंगे ?

**श्री खेतसिंह** : जो आपने कहा है कि इस प्रकार से ड्राइवर्स की यूनियन ने कोई कम्प्लेन्ट की तो उसकी जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं है, और यदि इस प्रकार वहां पर कोई शिकायत की गई और यह बात सही मिली कि यह टायर्स घटिया हैं और रेट्स ज्यादा लगाई गई हैं जब कि यह ओपन मार्केट में सस्ता मिलता है। यह जो सारी बातें आपने कही हैं यह लिखित में चैयरमैन महोदय के पास आ गई हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जायेगी।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : चक्रपाणी का जवाब नहीं दिया। उसको मजबूर किया गया है कि वह इस्तीफा दे दे उसको क्या रिव्यू करने को तैयार है गवर्नमेंट ?

**श्री खेतसिंह** : आपने सुब्रमण्यम के लिए बात की.....

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : सुब्रमण्यम की वजह से चक्रपाणी को हटने को मजबूर किया गया है।

**श्री खेतसिंह** : क्वेश्चन कुछ पूछा है और वहां की बात को कहां ले जायें। यह अलग से क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम की वजह चक्रपाणी को हटाया या नहीं।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : इसमें मौजूद है प्रश्न नं. 2 में।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : आपकी इन्टेलिजेन्स से यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसके कान्सीक्वेंस में यह इतने सवाल उठेंगे। कोई डल आदमी हो तो मैं समझ भी लूं।

# Page No 19

(19)



श्री खेतसिंह : आपकी तारीफ के लिए तो धन्यवाद लेकिन मेरी इतनी इन्टेलिजेन्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री गोपालसिंह !

### पंचायत समिति खण्डेला की स्थायी समितियों के चुनाव

79. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति खंडेला, जिला सीकर की स्थाई समितियां रिक्त स्थानों की पूर्ति के अभाव में कब से काम नहीं कर रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिलाधीश सीकर ने चुनाव व सहवरण के लिए विकास अधिकारी पंचायत समिति खंडेला की अध्यक्षता में दिनांक 25–8–75 को पंचायत समिति की मीटिंग रखी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चुनाव के पहले दिन दिनांक 24–8–75 को सामुदायिक एवं पंचायत मंत्री ने विकास अधिकारी पंचायत समिति खंडेला को इस चुनाव की जानकारी देने के बावजूद भी टेलीफोन कर जयपुर बुला लिया और उन्हें जयपुर रोक लिया तथा चुनाव नहीं होने दिया ? यदि हां, तो इस प्रकार चुनाव रोकने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही कि जिलाधीश, सीकर ने उपरोक्त चुनाव की दुबारा तारीख 22–9–75 मुकर्रर की, मगर मुख्य मंत्री के आदेश से जिलाधीश को पुनः चुनाव स्थगित कर देना पड़ा और चुनाव अधिकारी को वापस बुला लिया ? यदि हां, तो इस प्रकार पुनः चुनाव रोकने के क्या कारण थे ?

(5) क्या राज्य सरकार इन स्थायी समितियों के चुनाव निकट भविष्य में कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको फिलहाल स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नेक्स्ट ।

### ट्रेण्ड अध्यापकों की नियुक्ति

80. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या फागी व चाकसू तहसीलों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी है ? अगर हां, तो यह पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) क्या सन् 1974 में एस. टी. सी. प्रथम वर्ष पास अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? अगर हां, तो जयपुर जिले में ऐसे कितने ट्रेण्ड अध्यापक हैं ? सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इन ट्रेण्ड अध्यापकों को विभाग द्वारा मार्च, 1975

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
में अस्थाई नियुक्ति दे दी गई थी लेकिन इनको मई में हटा दिया गया था ? ऐसे अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या इन ट्रेण्ड अध्यापकों को अब राज्य सरकार कहीं नियुक्त करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इनको कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सामान्यत: कमी नहीं है। जहां कमी होगी वहां पूर्ति कर दी जायगी।

(2) यह सही नहीं है। सन् 74 में एस. टी सी. प्रथम वर्ष पास अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। जयपुर जिले में 37 ऐसे अध्यापक नियुक्त किये गये थे। जिने के ट्रेण्ड अध्यापकों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इन अध्यापकों को फरवरी में लगाया गया था। नियमानुसार इन्हें मई, 1975 में हटाया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नियमों के अनुसार दो वर्ष के ट्रेण्ड अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में एक वर्ष के ट्रेण्ड अध्यापकों को वरीयता के आधार पर लगाया जा सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि जिन अध्यापकों को खाली स्थानों पर लगा दिया गया था उनको हटाया क्यों गया ?

श्री खेतसिंह : हमारे नियम यह हैं कि सितम्बर के बाद में जिन अध्यापकों को लगाया जाता है जब छुट्टियां होती हैं तो उनकी सर्विस टर्मीनेट कर दी जाती है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : प्रश्न यह है कि 101 विद्यार्थी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग पास करली है, और कई स्कूल ऐसे हैं जयपुर जिले में या अन्य राजस्थान के अन्दर अगर जाकर देखें तो कई जगह खाली पड़ी हैं और जहां पर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है वहां पर अध्यापकों की संख्या कम है, ऐसी शिकायतें हैं। तो क्या एक वर्ष की ट्रेनिंग पास किये हुए अध्यापकों को इस वर्ष लगाने की कोई योजना आपके पास में है ?

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य ने चाकसू और फागी तहसीलों के लिए पूछा है। इन तहसीलों में दो स्कूल हैं–एक तो सवाई जयसिंहपुरा में और एक डाबचा में, इन दोनों स्कूलों के अन्दर एक एक अध्यापक की कमी थी तो उनको लगाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जहां तक सारे राजस्थान का प्रश्न है। राजस्थान में जहां जहां अध्यापकों की कमी है, तो इस बात के लिए आदेश जारी कर दिये हैं कि एक साल की ट्रेनिंग वाले अध्यापक वहां पर उपलब्ध हों तो तुरन्त लगा दिये जायं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि विधान सभा में मेरे द्वारा प्रश्न पूछने के रोज ही अध्यापकों का आदेश हुआ है। यह एक

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
प्रकार से राज्य सरकार का ट्रेण्ड अध्यापकों के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ।

दूसरा, वहां पर विद्यार्थियों को 4 महीने या 6 महीने से लगातार शिक्षा का हर्जाना हो रहा है, इस बारे में राज्य सरकार क्या कहना चाहती है ?

**श्री मीठालाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय चाकसू और फागी के अलावा और भी कई स्कूल हैं आपकी लिस्ट के अन्दर तो क्या उन सब की पूर्ति कर दी गई है ? जयपुर जिले में कई ऐसे स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं जहां जुलाई से अब तक 2–8 अध्यापक ही हैं जब कि 8 क्लासेज वहां पर चलती हैं । इसके बारे में बार बार अधिकारियों को शिकायत की गई है और उनकी पूर्ति के लिए निवेदन किया गया है, लेकिन आज तक कोई कुछ नहीं हुआ जब कि परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं । एक साल के ट्रेण्ड अध्यापकों के लिए आपने कहा है जब कि दो-दो, तीन-तीन साल के ट्रेण्ड अध्यापक पड़े हुए हैं तो अध्यापकों की कमी की तत्काल क्या आप पूर्ति करेंगे ? जिन अधिकारियों की वजह से लड़कों का नुकसान हो रहा है, परीक्षा नजदीक आ रही है और अध्यापकों की पूर्ति नहीं की गई है तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री खेतसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले इन स्कूलों में जिन अध्यापकों को नियुक्त किया गया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और इस कारण से यह रिक्त स्थान रह गये । आपके प्रश्न पूछने पर तुरन्त कार्यवाही की गई तो इससे मैं समझता हूं कि आपको सन्तोष मिलना चाहिए । जब आप इन स्कूलों में जायेंगे तो वह कहेंगे कि माननीय सदस्य के प्रश्न के आधार पर शिक्षा विभाग ने कितनी जल्दी कार्यवाही की ?

रहा सवाल आपका ( श्री मीठालाल ) कि आपने कहा कि इस प्रकार से और भी स्कूलों में स्थान खाली हैं तो कृपा पूर्वक आप लिस्ट दे दें । यों खाली चांदमारी से काम नहीं चलता है ।

**श्री मीठालाल मीणा** : इसके लिए एक डेपूटेशन माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिला था तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अन्दर अन्दर हो जायेगा लेकिन उसको आज एक महीना हो गया वह नहीं हुआ ।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको काफी अवसर दे चुका हूं ।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : अध्यक्ष महोदय, . . .

**श्री अध्यक्ष** : यह लास्ट सप्लीमेण्ट्री है ।

**श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** : अध्यक्ष

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
महोदय, लड़कों का है, वह तो ठीक है लेकिन जो गर्ल्स मिडिल स्कूल फागी में है, वहां की हैड मिस्ट्रेस का सवाल है। इसी तरह से रेनवाल, चाकसू, चाकू, देखिये इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की है या नहीं।

**श्री खेतसिंह** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री मीठालाल** : अलग से मिल लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

**मान इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन जयपुर में श्रमिकों से जबरन चन्दे की वसूली**

81. **श्री मोहरसिंह** ( सादुलपुर ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री को दिनांक 6–12–75 को तार द्वारा यह शिकायत मिली कि मान इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर के गेट पर कुछ गुण्डे श्रमिकों से जबरन चन्दा लेना चाहते हैं और श्रमिक देने से इन्कार करते हैं तो मारपीट करते हैं जिससे उस दिन वहां झगड़ा हुआ ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

**राज्य मन्त्री, गृह** ( श्री गुलाब सिंह शक्तावत) : ( 1 ) यह सही है कि दिनांक 6–12–75 को मान इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन के गेट पर मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच चन्दा लेने के बाबत झगड़ा हुआ था।

(2) इस सन्दर्भ में थाना सदर पर मुकदमा नं. 224/75 धारा 147, 379 आई. पी. सी. कायम किया जाकर बाद अनुसन्धान मुकदमे में दिनांक 26–12–75 को एक एफ. आर. अदम वकुआ मामला आई. पी. सी. का मानते हुए प्रस्तुत की गई।

**श्री मोहर सिंह** : क्या यह सही नहीं है कि जिस प्रकार से 6 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री को तार दिया गया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से काफी रात को गुण्डों ने मजदूरों को घेरा। झगड़े के कारण उनको अन्दर ही रहना पड़ा ताकि झगड़ा और नहीं बढ़े। 8 तारीख को झगड़ा होने की शुरुआत हुई। मान इण्डस्ट्रीयल को घेर लिया गया। उसके बाद मैंने भी टेलीफोन से कहा कि ये सीटू के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनको हथकड़ी डालकर ले गये। और उनकी जांच के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। सीटू के उन कार्यकर्ताओं को यह चेतावनी दी गई, उनको यह कहा गया कि वे आठ दस दिन नहीं जायें। वह उनके कहने से नहीं गये। उसके बाद जब वह गये तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उनको कहा गया कि तुम आये क्यों नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन ऐसी कार्यवाहियां होती जा रही हैं, जब कि यह कहा गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। अन्य कारखानों में भी झगड़े हो रहे हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय, अपनी तरफ से जवाब देंगे ?

**मुख्य मंत्री** (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, तार के फेक्ट क्या थे, यह याद नहीं है। लेकिन इस बात की शिकायत आती रही है कि मान इण्डस्ट्री जयपुर में अलग अलग ग्रुप्स हैं लेबरर्स के। वे आपस में लड़ते रहे।

(श्री हरिदेव जोशी)

हैं। सीटू के लोग हमेशा हिंसात्मक प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। अन्दर के लोग और बाहर के लोग हस्तक्षेप करते हैं।

श्री मोहर सिंह : इसीलिए सीटू के 4 कार्यकर्ताओं को कत्ल के मुकदमे में फंसाया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : शरारत करेंगे, उनके साथ में यही होगा।

श्री मोहर सिंह : तो यह सिर्फ सीटू के कार्यकर्ताओं के साथ में ही क्यों हो रहा है ? उनको जबरदस्ती कत्ल के केस में फंसाया गया है। गलत केस था। सेशन जज के पास केस था। बदमाशी किधर से होती है। पुलिस और मालिकों के साथ मिलकर गुण्डा गर्दी होती है। उनको इसे देखना चाहिए। यह रोजाना होता जा रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : चाहे मालिक हों, चाहे सीटू हो, दोनों के साथ एक ही व्यवहार होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नवयुवकों को स्टाइपेण्ड**

82. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (मोखा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए नवयुवकों को राज्य सरकार द्वारा टैम्परेरी लेक्चरार नियुक्त किया जाता है ? उनका स्टाइपेण्ड बन्द हो जाता है तथा एक साल बाद राज्य सरकार जब उन नवयुवकों को हटा देती है तब दुबारा उनका स्टाइपेण्ड शुरू नहीं किया जाता है ? क्या राज्य सरकार उन बेकार अस्थायी व्याख्याताओं का स्टाइपेण्ड दुबारा प्रारम्भ करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला) : जी हां। एक बार वृत्तिकाधारी को नियुक्ति मिल जाने के बाद पुनः बेरोजगार हो जाने पर स्टाइपेण्ड दुबारा प्रारम्भ नहीं किया जाता है। ऐसे पुनः बेरोजगार हुए व्यक्तियों को दुबारा स्टाइपेण्ड प्रारम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों को यह स्टाइपेण्ड दिया जाता है, उनसे 8 घण्टे ड्यूटी ली जाती है। क्या यह अत्याचार नहीं है ?

श्रीमती कमला : आप कोई स्पेसिफिक जानकारी दीजिए तो इन्क्वायरी करा ली जाएगी।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : चाहे वह ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो ?

मुख्य मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : यह स्पष्ट कर दीजिए कि कितने ड्यूटी आवर्स हैं। जितने निर्धारित ड्यूटी आवर्स हैं, उससे अगर ज्यादा लिया जाता है तो वह गलत है। सामान्य तौर पर उनसे जितना काम लिया जाना चाहिए, उतना लिया जाता है तो अत्याचार नहीं है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : जो ग्रेजुएट को देते हैं वह 150 रु. है और

# Page No 24

(24)



(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
जो एम.ए. को देते हैं, वह 250 रु. है। जब कि साधारण तौर पर एक क्लर्क को 250 रुपया दिया जाता है। जो पूरा काम करता है उसको पूरी तनख्वाह देनी चाहिए। न तो वह कहीं और काम करने के लिए जा सकता है। न किसी इन्टरव्यू में जा सकता है। एक प्रकार से उनकी जेल सी कर रखी है। अगर कोई किसी दिन गैर हाजिर हो जाता है तो उसके लिए स्पष्ट लिखकर भेज देते हैं कि यह गैर हाजिर रहा है। इसकी तनख्वाह काट लेनी चाहिए। इस तरह से उनकी तनख्वाह काट भी जाती है।

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): अगर कोई टेम्परेरी है तो राज्य सरकार की ओर से क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? उनको एडजस्ट करने के लिए राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या ऐसे लड़कों के लिए राज्य सरकार व्यवस्था करेगी कि वह जहां के रहने वाले हैं, उनको वहां पर ही काम दिलाने की व्यवस्था करें? कम से कम यह ध्यान रखा जाये। क्योंकि यह कैसे सम्भव होगा कि एक लड़का देहात का रहने वाला है वह वहां से आकर अजमेर में सर्विस करे। आप उसको 150 रुपये देते हैं। 150 रु. में वह क्या कर सकता है। आप तो इतने में एक महीने चाय भी नहीं पी सकते हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं, केकड़ी से आने वाली माननीय सदस्या ने पूछा है, उसके बारे में मैंने कहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। जल्दी ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। जहां तक कम या अधिक काम करने का सवाल है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह तनख्वाह नहीं है स्टाईपेण्ड है। इसलिए स्टाईपेण्ड के आधार पर जितना समय निर्धारित किया है, उतना ही काम लिया जाता है। ज्यादा नहीं लिया जाता है। कहीं पर कोई इन्सीडेंस हो तो वह जानकारी की जा सकती है।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करें कि काम के कितने घन्टे निर्धारित किये गये हैं। 10 घण्टे, 12 घन्टे या 15 घण्टे कितने निर्धारित किये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 8 घण्टे।

श्रीमती कमला : यह बात बाद में पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अब तो पूछ ही लिया है।

श्रीमती कमला : जितना सामान्य तौर से काम लिया जाता है, उतना ही लिया जाता है। जहां तक होम डिस्ट्रिक्ट में लगाने का सवाल है, जिस जॉब के लिए उनको रखा जाता है, अगर पोस्ट वहां पर है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर नहीं होगी तो जहां उपलब्ध होगी वहां काम देना होगा।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

हुरसोरा बांध

83. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर का हुरसोरा बांध काफी अरसे से टूटा हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के बनाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध के बंधाने का कार्य कई बार शुरू किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितना रुपया अब तक खर्च हुआ है ?

(4) अब यह कार्य कब से बन्द पड़ा हुआ है और क्यों ? और कब तक दुबारा चालू होने की उम्मीद है ?

(5) क्या सरकार इस बांध को बंधाने में गम्भीरता से विचार करेगी और कार्य को जल्दी शुरू करायेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। यह बांध सन् 1964 में अतिवृष्टि के कारण टूटा।

(2) जी हां। राज्य सरकार के द्वारा अप्रेल, 1973 में तखमीने की प्रशासनिक स्वीकृति रुपया 15.50 लाख दी गई और तखमीने की तकनीकी स्वीकृति मार्च, 1974 में रु. 12.96 लाख दी गई।

(3) जी नहीं। इस बांध को बंधाने का कार्य 11-2-74 को शुरू हुआ। इस कार्य पर अब तक कुल खर्च रु. 4.68 लाख हुआ है।

(4) यह कार्य दिसम्बर, 1974 में पूर्व प्रस्तावित वेस्ट वीयर के डिजायन पर पुनर्विचार आवश्यक समझा जाने के फलस्वरूप अस्थाई रूप से बन्द करवाया गया ? वेस्टवियर का नया डिजायन विचाराधीन है।

(5) जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह चालू कब तक होने की आशा है, 12 साल हो गये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 12 साल तो नहीं हुए हैं, अध्यक्ष महोदय, 74 में ही प्राप्त हुआ है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन टूटे हुए तो 12 साल हो गये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसको अभी 74 में ही वापिस टेक-अप किया गया है और अगर पुरानी डिजाइन से किया जाता तो इसका पहले जैसा ही फेट होता। अब नई डिजाइन वगैरह बनवाई गई है और अगले वर्ष इसको पूरा करवाने की आशा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पिड़ावा क्षेत्र के गांवों को बिजली

69. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा पिड़ावा को म. प्र. से बिजली दी जाती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इसे गांधी सागर से बिजली क्यों नहीं देती है ?

(2) क्या सरकार लघु सिंचाई प्रार. ई. सी. तथा एम. एन. पी. योजनाओं के अन्तर्गत पिड़ावा क्षेत्र के कुछ गांवों में बिजली देने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किस किस गांव में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । पिड़ावा को गांधीसागर से बिजली देने के लिये 33 के. वी. की लाइन बनाना आवश्यक है, परन्तु पिछले वर्षों से धनाभाव की स्थिति में इसके लिए प्रावधान करना संभव नहीं हो सका है ।

(2) जी हां । ग्रामों की सर्वे की जा चुकी है और मिनिमम नीड स्कीम के नार्म्स के अनुसार योजना तैयार की जा रही है । गांवों के बारे में योजना बनाने के पश्चात् ही कहा जा सकता है ।

पंचायतों द्वारा विक्रय की गई भूमि के पट्टों का रेकार्ड

76. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति, जन-जाति व अन्य बेघर लोगों को पंचायतों से अधिकार लेकर जो पट्टे देने का अभियान चलाया व तहसीलों द्वारा पट्टे जारी किये गये, जिनका कि रेकार्ड फिलहाल तहसीलों में ही है, क्या यह रेकार्ड तहसीलों में ही रहेगा या ग्राम पंचायतों को सुपुर्द होगा ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायतों द्वारा विक्रय की गई भूमि पर भी राजस्व अधिकारियों ने बिना पंचायतों के भूमि विक्रय सम्बन्धी रेकार्ड का मिलान किये बगैर पट्टे देकर समस्यायें उत्पन्न कर दी हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ? और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण आवासीय भूखण्ड आवंटन की अवधि 31-1-76 तक बढ़ाई जा चुकी है एवं पूर्व एवं वर्तमान आवंटन का रिकार्ड पंचायतों को भेजे जाने के मामले में निर्णय भी उसके पश्चात ही किया जाना संभव हो सकेगा ।

(2-3) गलत आवंटन व पट्टा देने के संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हुई उन्हें संबंधित जिला विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों, विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई । विशेष आवंटन के लिए नियमों में संशोधन के कारण गलत पट्टे यदि दिये गये हैं तो भी उन्हें निरस्त करने का अधिकार अभी किसी को भी नहीं है । अतः इस पर भी विचार एवं निर्णय अभियान के पश्चात ही किया जा सकेगा ।

**विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था**

71. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आने वाले शिक्षा सत्र में व्यवसायिक शिक्षा का क्या रूप होगा ?

(2) क्या प्रत्येक विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जावेगी या सभी ज़िलों के कुछ चुने हुए विद्यालयों में ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले सैकेण्डरी तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कृषि विज्ञान की कक्षायें खोलने पर राज्य सरकार विचार करेगी ?

उत्तर

(1) आने वाले सत्र में अर्थात 1976-77 में 10+2+3 की योजना निम्न लिखित कारणों के फलस्वरूप लागू करना सम्भव नहीं हो सकेगा:—

1. आगामी सत्र की समयावधि कम है।

2. इस योजना की पूर्ण सभी पक्षों की तैयारी नहीं होना अर्थात् पाठ्यक्रम पुस्तकें की तैयारी शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि।

3. अन्य राज्यों के अनुभवों को मालूम करना।

4. मुख्य वित्तीय संकट।

(2) अभी इस पर निर्णय लेना शेष है।

(3) प्राथमिकता तो जन सहयोग को ही दी जावेगी यदि विद्यालय के पास कृषि भूमि एवं कुआ हो तो उस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

**जोधपुर में सिविल डिफेन्स हेतु एयर रेड शैल्टर्स का निर्माण**

72. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर में सिविल डिफेन्स हेतु ऐयर रेड शैल्टर्स बनाने व पब्लिक हाईड्रेन्टस लगाने की आवश्यकता का राज्य सरकार अनुभव करती है ?

(2) यदि हां, तो 1962 की आपात कालीन स्थिति से लेकर 1965 व 1971 में बमबारी होने के बाद भी अब तक इनका निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या राइ का बाग पर पैट्रोल के विशाल जमाव को सिविल डिफेन्स की दृष्टि से राज्य सरकार खतरनाक नहीं समझती ?

(4) यदि हां, तो इसे बार बार जनता की मांग पर भी क्यों नहीं उठाया गया व अब कब तक हटाया जावेगा ?

उत्तर

(1) एयर रेड शैल्टर्स की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक हाईड्रेन्टस की आवश्यकता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

# Page No 28

(28)



(गृह मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) इस पैट्रोल डिपो को राइ का बाग से हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इण्डियन आयल कार्पोरेशन द्वारा अपने पैट्रोल भण्डारों को जुलाई, 1976 तक स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया है। अन्य कम्पनियों के भण्डारों को यहां से हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

**राजकीय चिकित्सालय बारां में नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर की मांग**

74. श्री राम गोपाल (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालय बारां, जिला कोटा से एक डाक्टर को हटाकर उसके स्थान पर एक नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर की मांग की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी हां, शीघ्र ही नियुक्ति करदी जाएगी।

**परिवहन निगम की डी-लक्स बसें**

76 श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की डी-लक्स बसों में सीटों से अधिक सवारियां भरी जाती हैं? अगर हां, तो फिर क्षमता से विशेष सुविधा के नाम पर ज्यादा किराया वसूल करने का क्या औचित्य है?

(2) क्या सरकार ने बसों में यात्रियों को ढोने की क्षमता का निर्धारण कर रखा है? अगर हां, तो साधारण, डी-लक्स, एक्सप्रेस, सुपर डी-लक्स में यात्रियों का क्या निर्धारण है? सूची क्रमशः सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(3) क्या सरकार ने परिचालक अथवा बुकिंग क्लर्क को बसों में यात्रियों को भरने की क्षमता हेतु कोई निर्देश जारी कर रखे हैं? अगर हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि निगम की बसों में सवारियों को छतों पर बिठा कर सफर कराया जाता है? अगर हां, तो क्यों? और क्या बसों के परिचालकों को सरकार ने दण्ड देने का प्रावधान कर रखा है? क्या अब तक ऐसे किसी कर्मचारी को निगम द्वारा दंडित किया गया है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

| | |
|---|---|
| डी-लक्स | 37 सीट |
| सेमी-डीलक्स | 50 सीट |
| साधारण बस | 52 सीट |

(3) निगम ने बसों में यात्रियों को भरने की क्षमता संबंधी निर्देश जारी किए हैं। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(4) जी नहीं।

क्षमता से अधिक यात्री बैठाना दंडनीय अपराध है। अब तक इस अपराध में किसी कर्मचारी को निगम द्वारा दंडित नहीं किया गया है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आबूरोड नगरपालिका क्षेत्र में जमीन की खरीद

1. श्री जेठमल आर्य (रेवदर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आबू रोड नगरपालिका क्षेत्र में श्री देवीसहाय गोपालिया ने मूल्यवान जमीन 33,331 वर्ग फीट का नाम मात्र के मूल्य में ही पट्टा बनवा लिया है? यदि हां, तो किस कानून के तहत उन्हें पट्टा दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री देवी सहाय गोपालिया ने रेवेन्यू की जमीन पर भी मकान बना कर कब्जा कर रखा है और जिसके लिए जन अभियोग व सतर्कता समिति में भी केस चला है? यदि हां तो यह जमीन खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) क्या आडिट पार्टी ने इस सम्बन्ध में आपत्ति उठायी है? यदि हां, तो वर्ष 1971–72 की आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं,

श्री देवीसहाय गोपालिया को कुल 12523-112 वर्गफीट भूमि उचित कीमत पर नियमानुसार सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति से दी गई है।

(2) इस प्रश्न का उत्तर सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जी हां,

आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी गई है।

(आडिट रिपोर्ट की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

पंचायत समिति, विराटनगर की पंचायतों द्वारा कोटपूतली पंचायत समिति में शामिल होने का अनुरोध

2. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील की पंचायतें पावटा, प्रागपुरा, मंढा, भाखरी, जोधपुरा, लेलना, बडनगर, पाल्होडाबा पंचायत समिति विराटनगर में शामिल है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतों का भौगोलिक, प्रशासनिक, व्यापारिक तथा आवागमन की दृष्टि से पंचायत समिति कोटपूतली से सम्बन्ध है?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति विराटनगर व पंचायत समिति

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)
कोटपूतली तथा सम्बन्धित सभी पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके कोटपूतली पंचायत समिति में शामिल होने का अनुरोध किया है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार के समक्ष उक्त प्रस्ताव काफी अर्से से विचाराधीन है ? यदि हां तो, इस पर अब तक क्या प्रगति हुई है तथा अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) विराटनगर आने जाने में भी कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

(3) जी हां।

(4) अभी इस पर कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

**पाठशालाओं को मिलने वाली अनुदान की धनराशि का पुनर्वर्गीकरण**

3. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) क्या राजस्थान की समस्त राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं को मिलने वाली अनुदान की धनराशि को नये सिरे से निर्धारित करने के लिए पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो जिस नीति के आधार पर उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है, उस नीतिपत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त पुनर्वर्गीकरण कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

(4) जोधपुर नगर की समस्त राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं की सूची मय नाम व प्रतिशत अनुदान के जो पुनर्वर्गीकरण के पूर्व मिलता रहा है और पश्चात मिलेगा, कृपया सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस नीति का निर्धारण अनुदान समिति की दि. 26–3–74 की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार किया गया है। नीति पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत में कमी की गई अथवा अनुदान बन्द किया गया है उसके सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जा चुकी है और वह इसी वर्ष से प्रभावी होगी। जिन संस्थाओं के प्रतिशत में वृद्धि की सिफारिश की गई है उस पर निर्णय अभी विचाराधीन है।

(4) जिन संस्थाओं को अनुदान कम किया गया है अथवा बन्द किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(नीतिपत्र व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान के शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की साक्षरता का प्रतिशत

4. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) साक्षरता का अखिल भारतीय प्रतिशत कितना है, तथा राजस्थान का क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या स्नातकोत्तर शिक्षा के आंकड़े भी रखे जाते हैं ? अगर हां, तो भारत व राजस्थान का क्या प्रतिशत है ?

(3) राजस्थान के प्रत्येक जिले के शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की साक्षरता का क्या प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) 1971 की जनगणना के आधार पर साक्षरता का अखिल भारतीय प्रतिशत 29.46 है तथा राजस्थान का 19.07 प्रतिशत है।

(2) राजस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रतिशत 3.5 है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अहूकिया माध्यमिक स्कूल, चिड़ावा के अध्यापक का स्थानान्तरण

5. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री सागरमल, अध्यापक तृतीय वेतन श्रृंखला का अहूकिया माध्यमिक स्कूल चिड़ावा से पिछले दो वर्ष में कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और कितनी बार स्थानान्तरण रद्द किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक हृदय रोग से पीड़ित हैं और अपने हृदय रोग का प्रमाण-पत्र सरकार को हर बार पेश करके अपने स्थानान्तरण को रद्द करवाने का प्रयास करते हैं ?

(3) क्या उक्त अध्यापक के व्यवहार एवं अध्यापन कार्य से वहां के प्रधानाध्यापक पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट हैं ? यदि हां, तो इन्हें बार बार वहां से स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) श्री सागरमल, स. अ. का गत दो वर्ष में 3 बार स्थानान्तरण हुआ एवं दो बार निरस्त हुआ।

(2) अध्यापक का गत वर्ष जब स्थानान्तरण हुआ तो अध्यापक ने अपने को हृदय रोगी बताया एवं सामान्य अस्पताल चूरू के डाक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अध्यापक की बीमारी के सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है।

(3) स्थानीय जन प्रतिनिधि द्वारा शिकायत करने के कारण इनका स्थानान्तरण किया गया था।

ब्यावर अस्पताल में श्रमिकों के लिए वार्ड

6. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

# Page No 32

(32)



(श्री केशरीमल)

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में श्रमिकों को उचित राहत देने हेतु 22 बैंड का एक वार्ड ई. एस. आई. के मातहत ए. के. शफाखाने में खोलना तय हुआ था ? यदि हां, तो कब ?

(2) अब तक इस कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया ?

(3) अब राज्य सरकार कब तक इस कार्य को पूरा करा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रमिकों को उचित राहत देने हेतु ए. के. चिकित्सालय ब्यावर में 22 बैड का एक वार्ड खोलने के लिए लोकल मीटिंग, ब्यावर की मीटिंग दिनांक 4-12-73 में निर्णय लिया गया था।

(2) कारपोरेशन अभी जनरल वार्ड ब्यावर में 14 शैय्याओं को आरक्षित करना चाहता है जिसकी स्वीकृति अपने पत्रांक 3 (2) 18-69।मेडिकल-II दिनांक जुलाई, 1975 द्वारा भेजी है। कारपोरेशन प्रति वर्ष केवल रुपये 2,000।- प्रति या आरक्षित राशि देना चाहता है जब कि राज्य सरकार का खर्च 5400।- प्रति वर्ष प्रति शैय्या आता है। जब तक आरक्षित धन राशि के बारे में निर्णय नहीं हो जाता है शैय्याओं को चालू करना संभव नहीं।

(3) निगम की सहमति के पश्चात् इस पर विचार किया जाना संभव होगा।

मेडिकल कालेजों में कार्य करने वाले डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस

7. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा-जोधपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने मेडिकल कालेजों में कार्य करने वाले डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी है ? यदि हां, तो इस निर्णय को किस प्रकार लागू किया जा रहा है ?

(2) अन्य डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? कृपया इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मेडिकल कालेजों में कार्य करने वाले डाक्टरों के प्राइवेट प्रेक्टिस को दिनांक 2-10-74 से केवल प्रतिबन्धित किया है, न कि बन्द किया है। इसके अनुसार वे अपने निवास स्थान पर रोगी को नहीं देख सकते। जो रोगी शुल्क-देकर डाक्टर को दिखाना चाहे उसके लिये अस्पताल में अस्पताल के समय के पश्चात् पे-क्लिनिक में दिखा सकते हैं। इस शुल्क का भाग राज्य कोष में भी जमा होता है। इमरजेन्सी में डाक्टर रोगी के घर पर जाकर देख सकते हैं।

(2) मामला विचाराधीन है।

भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु उठाये गये कदम

8. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(1) राज्य में कितने लोग भिक्षावृत्ति के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ? राज्य सरकार उन्हें बेहतर जिन्दगी गुजारने के लिये क्या क्या साधन जुटा रही है ? इन में कितने अपंग हैं और कितने मानसिक रोग से पीड़ित हैं ?

(2) राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए क्या क्या कदम उठाये हैं ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा भिक्षुकों के संबंध में राज्य स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सन् 1961 में हुई जनगणना के आधार पर राज्य में 50,551 भिक्षुक और आवारा व्यक्तियों की संख्या थी। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार प्रोविजनल आंकड़ों के आधार पर भिक्षुक व आवारा व्यक्तियों की संख्या 47,300 है।

राज्य में भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में सेवा सदन चलाये जा रहे हैं। इन सदनों में भिक्षुकों के रहने, खाने, पीने, वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। जयपुर सेवा सदन में 50, अजमेर में 100 तथा उदयपुर में 50 भिक्षुकों के रहने आदि की व्यवस्था है। जयपुर सेवा सदन के साथ एक स्वागत आश्रम है जहां पर भिक्षुकों का मानसिक, सामाजिक व आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, भिक्षुकों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर उनको विभिन्न उद्योग धन्धों तथा अन्य कार्यों पर लगाया जाता है। राजकीय सेवा सदन, अजमेर में भिक्षुकों के आर्थिक पुनर्वास के कार्यक्रम के अन्तर्गत भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोला हुआ है। इस केन्द्र में लुहारी, सुथारी, बुनाई, बागवानी आदि आदि कार्य सिखाये जाते हैं।

मानसिक एवं अपंग भिक्षुकों के बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जयपुर में भिक्षुकों का सर्वेक्षण चल रहा है। इसके अतिरिक्त भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये अधिनियम राज्य सरकार के विचाराधीन है।

टोंक जिले में ओल्ड एज पेन्शन के केस

9. श्री अजीत सिंह (टोंक):– क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) टोंक जिले में ओल्ड एज पेन्शन के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) टोंक जिले की तहसीलों में कितने पेन्शन केस कार्यवाही के अभाव में पेंडिंग पड़े हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(समाज कल्याण मंत्री)

उत्तर।

(1) टोंक जिले में ओल्ड एज पेन्शन के अन्तर्गत 251 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। तहसीलवार सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टोंक जिले में 41 पेन्शन केस विचाराधीन हैं। तहसीलवार सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## बाड़मेर जिले में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय

10. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बाड़मेर जिले में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं? श्रेणी वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

बाड़मेर जिले में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की श्रेणी वार संख्या निम्न प्रकार है:—

| | |
|---|---|
| 'अ' श्रेणी औषधालय | 1 |
| 'बी' श्रेणी औषधालय | 4 |
| 'सी' श्रेणी औषधालय | 46 |

सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—7 देखें)।

## पुलिस में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का कोटा

11. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुलिस विभाग में आर. पी. एस. अधिकारी, एडीशनल एस. पी., डिप्टी एस. पी.; इन्सपेक्टर एवं सब-इन्सपेक्टर कितने हैं और वह कहां कहां कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति का 28 प्रतिशत का कोटा उपरोक्त सेवाओं में पूरा किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी नहीं। राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों के पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण का कोटा योग्य व्यक्तियों के न मिलने के कारण पूरा नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में पद-विषयक आदेश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट—8 देखें)

राज्य में उद्योगों के विस्तार की योजना

12. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने नये बड़े उद्योग वर्ष 1976 में स्थापित किये जा रहे हैं ?

(2) राजस्थान में पिछले वर्ष 1975 में कितने बड़े उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

(3) कोटा औद्योगिक क्षेत्र में 1975 वर्ष में कितने नये उद्योग स्थापित किये हैं और 1976 मे कितने उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

(4) क्या राज्य सरकार राज्य में उद्योग को शीघ्र और विस्तार से स्थापित करने हेतु एक औद्योगिक योजना घोषित करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1976 में 60 बड़े उद्योग स्थापित होने की सम्भावना है ?

(2) राजस्थान में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिये वर्ष 1975 में 21 आशय पत्र एवं 29 औद्योगिक लाइसेन्सेज जारी किये गये।

(3) कोटा औद्योगिक क्षेत्र में 1975 में उद्योग स्थापित करने के लिये 1 आशय पत्र व 2 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गये हैं। वर्ष 1976 में कोटा में 3 नये बड़े उद्योग स्थापित होने की सम्भावना है।

(4) बड़े उद्योगों के लगाने की योजना भारत सरकार की लाइसेन्स पोलिसी व उनके द्वारा जारी किए गए आशय पत्रों एवं औद्योगिक लाइसेन्सों पर निर्भर रहती है।

राजस्थान इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन को उद्योगों के आशय–पत्र

13. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन को किन-किन उद्योगों के आशय-पत्र भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं ? और वे कहां कहां लगाये जा रहे हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त उद्योगों में से जोधपुर नगर में कौन कौन से उद्योग लगाये जा रहे हैं ? यदि एक भी नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त उद्योगों में से कोई भी जोधपुर में नहीं लगाया जा रहा है। परियोजनाओं के लिए स्थान का निर्णय तकनीकी एवं आर्थिक बातों पर निर्भर रहता है एवं विशेषज्ञों की सलाह पर किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

**बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में विद्युतिकरण**

14. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़मेर जिले में सन् 1975-76 में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के मोहल्लों में विद्युतिकरण हेतु कितना प्रावधान किया गया और उसमें से कितना व्यय किया गया ? प्रत्येक नगर एवं ग्राम का विवरण अलग-अलग प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के मोहल्लों के विद्युतिकरण का प्रावधान मण्डल के बजट में इकट्ठा रखा जाता है और सम्बन्धित पंचायत समिति/नगर परिषद् से मांग व मासिक बिलों की अदायगी के सम्बन्ध में आवश्यक अन्डरटेकिंग प्राप्त होने पर उक्त प्रावधान से स्वीकृति दी जाती है। चूंकि बाड़मेर की किसी भी बस्ती के विद्युतिकरण हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायत समिति या नगर परिषद् से मण्डल को प्राप्त नहीं हुए अतः कोई स्वीकृति इस वर्ष में जारी नहीं की गई।

**ग्राम पीपलदा तहसील बौंली में विद्युत् कनेक्शन**

15. **श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पीपलदा, तहसील बौंली, जिला सवाई माधोपुर के एक किसान ने 1 जनवरी, 1975 को विद्युत् कनेक्शन हेतु डिमाण्ड के पैसे जमा कराये थे किन्तु अभी तक भी उक्त किसान को कनेक्शन देने हेतु लाइन नहीं खेंची गयी ?

(2) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1975 के पश्चात् डिमान्ड जमा कराने वाले लोगों को कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामले के बारे में अधिशासी अभियन्ता से लेकर विद्युत् मंत्री तक से भी निवेदन किया गया और उच्च अधिकारियों के आदेश के पश्चात् भी अभी तक लाइन नहीं खेंची गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शीघ्र कनेक्शन करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां 1 जनवरी, 1975 को रकम जमा कराई थी परन्तु सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड की रकम जमा नहीं हुई है।

(2) ग्राम पीपलदा के किसी अन्य प्रार्थी को 1-1-75 के पश्चात् कनेक्शन नहीं दिया गया।

(3) प्रार्थी द्वारा सप्लीमेन्ट्री मांग-पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण लाइन नहीं खेंची गई।

**कोटपूतली तहसील के गांवों में बिजली**

16. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

कोटपूतली तहसील में जनवरी, 1972 से अब तक किन-किन गांवों में बिजली दी गई है और उस पर कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

कोटपूतली तहसील में जनवरी, 1972 से दिसम्बर, 1975 तक निम्नलिखित 8 गांवों का विद्युतिकरण किया गया है जिस पर अनुमानित व्यय 114,000.00 रुपया हुआ ।

| क्र. सं. | गांव का नाम |
|---|---|
| 1. | खुरड़ी |
| 2. | रघुनाथ पुरा |
| 3. | फतहपुर कलां |
| 4. | कंवरपुरा |
| 5. | गोर्धन पुरा |
| 6. | अमई |
| 7. | सरन्ड |
| 8. | जगदीशपुरा |

बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना

17. श्री भीम सैन (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना से रबी 1975-76 के दौरान कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य था तथा वास्तव में कितने क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी दिया गया ?

(2) खरीफ 1976-77 व रबी 1977-78 में कितने कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देने का लक्ष्य है ?

(3) क्या यह सही है कि लिफ्ट कैनाल का क्षेत्र अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ होने के कारण सारे कमाण्ड क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई होने में काफी समय, श्रम व धन लगेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की जमीन की किस्म को ध्यान में रखते हुए वाटर कोर्सेज को पक्का बनाये बिना (Un-Interrupted Irrigation) मिलना संभव नहीं है ?

उत्तर

(1) बीकानेर-लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना से रबी 1975-76 में 115 एकड़ सिंचाई अनुमानित है और यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जावेगा ।

(2) खरीफ 1976-76 में 85 एकड़ व रबी 1977-78 में 7300 एकड़ सिंचाई अनुमानित है ।

(3) जी हां, वैसे ऐसी ही स्थिति राजस्थान नहर के प्राय: अन्य क्षेत्रों में भी है । कोई लिफ्ट क्षेत्र में विभिन्न स्थिति नहीं है ।

(4) जी नहीं । वाटर कोर्सेज को पक्के बनाने का प्रयोजन केवल यही है कि इसके फलस्वरूप पम्प किये हुये पानी का अधिक से अधिक भाग सिंचाई में काम आ सके और इस प्रकार प्रति एकड़ पम्पिंग व्यय कम से कम हो सके । यदि खाले पक्के

(राजस्थान नहर परियोजना मंत्री)
किये जायें तो शायद पम्प किया हुआ आधा पानी रास्ते में ही शुष्क हो जायेगा और फसलें इसके लाभ से वंचित हो जायंगी और इस पर पड़ी लागत अकारण ही भुगतनी पड़ेगी ।

खेतड़ी से कोटपूतली तक 33 के. वी. की लाइन

18. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

खेतड़ी से कोटपूतली तक 33 के. वी. की लाइन पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

उत्तर

खेतड़ी से कोटपूतली तक 33 के. वी. लाइन पर अक्टूबर, 1975 तक 26,76, 866/–रु. की धनराशि खर्च हो चुकी है । यह लाइन चालू हो चुकी है ।

ग्राम टोडा ढेकला (लालसोट) का विद्युतिकरण

19. श्री मीठालाल मीणा (लालसोट): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम 'टोडा ढेकला, तहसील लालसोट, जिला जयपुर में विद्युत की अग्रिम धनराशि योजना के अन्तर्गत विद्युतिकरण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के वर्क आर्डर निकालने के पश्चात् भी 35 दिन तक कनिष्ठ अभियन्ता, लालसोट ने जानबूझ कर कार्य चालू नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा सहायक अभियन्ता, दौसा कार्यालय से वर्क आर्डर निकलने व कार्य चालू होने की तारीखें क्या हैं ?

(3) क्या यह सही है कि एस्टीमेट में जितने पोल्स बताये गये थे उनसे अधिक पोल्स लगाये गये ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

(4) क्या यह सही है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट को अधिशासी अभियन्ता के स्वीकृत करने में जानबूझ कर विलम्ब किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त रिवाइज्ड एस्टीमेट दौसा सहायक अभियन्ता कार्यालय से कब भेजा गया और रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, जयपुर द्वारा कब दी गयी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् एस्टीमेट का संशोधन करने की आवश्यकता पड़ने से कार्य पूरा करने में समय लगा । प्रथम मांग–पत्र की रकम दिनांक 26–12–74 को जमा हुई । वर्क आर्डर दिनांक 30–12–74 को जारी किया गया व कार्य 12–2–75 को पूरा हुआ । कनेक्शन आर्डर 27–2–75 को जारी हुआ और 4–3–75 तक सभी कनेक्शन हो गये ।

(3) जी नहीं । रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार ही पोल्स लगाये गये हैं ।

# Page No 39

(39)



(विद्युत मंत्री)

(4) रिवाइज्ड एस्टीमेट सहायक अभियन्ता ने 25-1-75 को अधिशासी अभियन्ता को भेजा था जो दिनांक 29-1-75 को अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में प्राप्त हुआ। कार्य करने की स्वीकृति टेलीफोन पर दे दी गई थी व कार्य 27-1-75 से आरम्भ किया जाकर 12-2-75 को पूरा किया गया।

(5) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 4 के उत्तर में सम्मिलित है।

जयपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर खर्चा

20. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर जिले में जनवरी, 1972 से अब तक कौन-कौन सी तहसील में किन-किन सिंचाई कार्यों व नहरों के लिए अकाल राहत कार्यों में, क्रेश प्रोग्राम में व विभाग द्वारा कितना-कितना रुपया खर्च किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री गिरधारी लाल भार्गव को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 5 जनवरी, 1976 से सत्र के अन्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अध्यादेश

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1976) को सदन की मेज पर रखता हूं।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की निम्नांकित 1 से 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं–

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 21(7) राज।उप।75, दिनांक 15 दिसम्बर, 1975

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 21(7) राज।उप।75, दिनांक 15 दिसम्बर, 1975.

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 21(10) राज।उप।75 दिनांक 16 दिसम्बर, 1975.

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष: प्रतिवेदन एवं लेखे आदि।

श्री शिवचरण माथुर (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1973-74 को सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सम्मति है कि पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 20 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976

श्री अध्यक्ष: दूसरा।

श्री मूलचन्द मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान राजस्व विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 13 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, · · · ·

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का टाइम तो खत्म हो चुका है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मुझे कन्टीन्यू कराया गया था।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 10 तारीख को इस सदन के अन्दर इस प्रश्न को बहुत ही गम्भीरता से प्रस्तुत किया था कि आज भी प्रतिक्रियावादी और वामपन्थी, आनन्दमार्गी और आर.एस.एस. के लोग और विभिन्न प्रतिक्रियावादी लोग, दक्षिण पन्थी और वामपन्थी लोग हमारी शिक्षण-संस्थाओं में हमारे अधिकारियों में और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अन्दर प्रचण्ड रूप से सक्रिय हैं। मैं विशेष रूप से इस तथ्य को इस रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा कि रामबाग पैलेस होटल में 11,12 और 13 दिसम्बर, 1975 को एक सेमिनार हुई थी जिसमें जी. सी. पाण्डे और एच.जी. पन्त उपस्थित थे। यह सेमिनार आनन्दमार्गियों की थी। केवल इतना ही नहीं, यह सेमिनार ऐसले सहानी इन्स्टीट्यूट ऑफ बाम्बे के द्वारा स्पोन्सर की गई थी। इस सेमिनार में 'पाइन्ट ऑफ व्यू' के एक देवदत्त भी थे जो कि एक एन्टी इण्डियन पेपर है और जो पीकिंग रेडियो से भारत विरोधी प्रचार करता है, पीकिंग रेडियो रिले करता है, वे देवदत्त साहब भी उस सम्मेलन में मौजूद थे। दूसरा व्यक्ति एक मिस्टर देसाई था जो गुजरात से आया था। इस सम्मेलन की 18 पेज की रिपोर्ट भी है जिसमें प्रजातन्त्र को एक प्रकार से समाप्त करने का षड़यन्त्र रचा गया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर बात है और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एच. जी. पन्त और जी. सी. पाण्डे स्थायी रूप से आनन्दमार्गी हैं और देशद्रोह की कार्यवाहियां कर रहे हैं। इतना ही नहीं मैंने 10 तारीख को भी सदन के अन्दर कहा कि ये लोग बहुत से षड़यन्त्र करते हैं। जिस समय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन हुआ था और एक कमेटी के चेयरमैन मुख्य मन्त्री जी थे और श्री देवपुराजी उसके सेक्रेट्री थे उस समय आनन्दमार्गियों ने एक स्मारिका निकाली थी। उसकी पुरानी कहानी मैं सदन के सामने रिपीट नहीं करूंगा। एक चाकसू के महन्त हैं श्री पुरुषोत्तमदासजी जो गासलाई मठ के महन्त बन कर बैठ गये। उन्होंने प्रचार किया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में दखल करेंगे और यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि जिससे आनन्दमार्गियों के षड़यन्त्रों का उपयोग किया जा सके। उस पत्र की मैं दो लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूं—

"दीवारों पर आनन्दमार्गी प्रचार की लिखाई के पैसे आपकी चिट्ठी लाने वाले पत्रवाहक को चुकवा दिया है।

आपका स्थान व मन्दिर बहुत रम्य है, एकान्त में है और अच्छा है। मीटिंग और संगठन के प्रचार की दृष्टि से ठीक है।

मीटिंग का सफल आयोजन कराने के लिये आभार। विशेष आप जब जयपुर आवें मिलते रहें।

# Page No 42

(४२)



(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

जय आनन्दमार्ग, जय बाबा ।

दिव्यज्योति अवधूत"

इसकी एक फोटो स्टेट कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूँ। एक तो उस पैकेट की है जिसमें आनन्दमार्गियों के प्रचार का सारा मैटर है और दूसरी उस धन्यवाद के पत्र की जिसमें महन्त साहब के प्रति पोस्टर वगैरह लगाने और मीटिंग करने के सम्बन्ध में लिखा गया है।

(फोटो स्टेट कापियां सदन की मेज पर रखी गई)

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, इस समय राजस्थान के अन्दर एक रमजानखां"

**श्री जयकिशन लाल तोसावडा** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, यह गलत है।

**श्री अध्यक्ष** : आपको किसने कहा अचानक बोलने के लिये।

**श्री जयकिशन लाल तोसावडा** : अध्यक्ष महोदय, यह असंसदीय झूठ बोल रहे हैं।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : मैं तो डाक्यूमेन्ट रख रहा हूं। आपका नम्बर आवे तब गलत साबित कर देना। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि रमजानखां का जीवन बहुत ही कलंकित रहा है और वे हमेशा पाकिस्तान के सी. आई. डी. का काम करते आये हैं और कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह महापुरुष रमजान खां आज अपने आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बताते हैं और उनके जो भी आर्टिकल और लेख पब्लिश हो रहे हैं वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। एक पत्र काठात सन्देश में रमजान खां का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के नाम से पब्लिश हुआ है। यह कलेक्टर के साथ रोज दौरे पर निकलते हैं, अजमेर के कलेक्टर के साथ रोजाना दौरे पर निकलते हैं। 1951 के अन्दर सातवीं जमात पास करके यह रमजानखां नेवी में भर्ती हुए और नेवी सेना की ड्रेस में विलायती शराब ब्यावर में लाते रहे और उसका क्रय-विक्रय करते रहे। इस विलायती शराब की तस्करी के दौरान उसने 326 ता. हिन्द के दरमियान सजा योग्य जुर्म नेशनल होटल कमरा नं. 24 फाउन्टन रोड बम्बई में एक व्यक्ति, जो तस्करी के धन्धे में इसका साझेदार था, पर तेजाब फेंक कर किया था। इस अपराध में इसे प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट बम्बई की अदालत में 7 साल की कठोर कारावास की सजा दी, बाद में महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने इसकी अपील पर 7 साल की सजा कम कर 3 साल की कर दी। यह सजा कैदी नम्बर 10768 ने महाराष्ट्र में काटी और बाद में यहां जेल में शिफ्ट हुआ। इतना ही नहीं, रमजान खां को ओपियम एक्ट की धारा 419, और विस्फोटक आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत साल दो साल की सजा हुई। इसके अलावा इसको मोरल टर्पीट्यूड में भी सजा हुई। अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि 1972 में इसे सजा हुई और जो इलेक्शन के लिए डिसक्वालिफिकेशन पैदा करती है, उस इलेक्शन लड़ने की डिसक्वालिफिकेशन को राज्य सरकार के द्वारा हटा दिया गया, जिसे कि किसी भी दशा और किसी भी कानून के अन्तर्गत नहीं हटाया

(श्री योगेन्द्र नाथ हाडा)

जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं इससे भी खतरनाक बात इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं । ब्यावर के मशहूर स्मगलर सेठ शांतिलाल जैन, जिनका कि पूरा का पूरा मार्केट के.एम. रोड पर है, के साथ यह स्मगलिंग का धन्धा करता है । इतना ही नहीं यह शख्स भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के लिए जासूसी एवं खबरें भेजने का धन्धा भी करता है । इसके पास पाकिस्तान से पत्रादि गुजरात की सरहद पार करके चान्दरवाड़ा के सेठ बियाजी के नाम से आते हैं । चान्दरवाड़ा पाकिस्तान सरहद से केवल 11 मील की दूरी पर है । आई. पी. सी. का कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें इस शख्स को सजा नहीं हुई हो । आई.पी.सी. के मुख्य-मुख्य सेक्शन के अन्तर्गत रमजान खां सजायाफ्ता है । इसने मुख्य मुख्य सेक्शन का वायोलेशन किया है । इस शख्स ने एस.पी. जालोर के ऊपर गोली चलाई है । इसकी हाल ही में अफीम से भरी हुई गाडी जालोर में पकड़ी गई है । आज यह करोड़ों की सम्पत्ति का मालिक है । इसके पास कई ट्रकें हैं और अनेक प्लाट हैं । इस शख्स का दस-पन्द्रह लाख रुपया नकद बाजार में चलता है । इस प्रकार का व्यक्ति अपने आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य कहता है । मुख्य मंत्रीजी ने वरिष्ठ घोषणायें की हैं, एन्टी फासिस्ट सम्मेलन में घोषणाएं की हैं कि इस प्रकार के देश-द्रोही एलीमेंट्स को जड़ से उखाड़ दिया जायेगा । इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आसलाई मठ के महन्त और इस रमजान खां पर कठोर से कठोर कदम की अपेक्षा करता हूं । मैं विश्वास के साथ यह कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठायेंगे ।

मेरे पास अनेक मसले हैं लेकिन उन सब को मैं समय के अभाव में सदन में प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा । लेकिन एक बात स्पष्ट है, रायपुर का हायर सैकेण्डरी स्कूल है, उसके शिक्षक हैं पुखराज प्रजापति । वह स्कूल के अन्दर शाखा चलाते हैं और जो शिक्षक शाखा नहीं लगा पाता है उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है । अग्रवाल कालेज के प्रिन्सिपल ने छः दिसम्बर को मुख्य मंत्रीजी को पुरस्कार वितरण के लिए बुलाया । उस दिन मुख्य मंत्री जी वहां नहीं पहुंचे लेकिन वहां पर मुख्य मंत्री मुर्दावाद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिन्दाबाद, एमर्जेन्सी को समाप्त करो, इन्दिरा गांधी को हटाओ आदि नारे लगाये गये । मैं लालबहादुर शास्त्री कालेज के मसले की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 26 दिसम्बर के रोज इस प्रकार के सम्मेलन के अन्दर मुख्य मंत्री को आमन्त्रित किया गया, 19 दिसम्बर, आप करेक्ट कर लीजिये उस दिन भी मुख्य मंत्रीजी वहां नहीं पहुंच सके लेकिन वहां पर भी नारे लगाये गये । इस प्रकार की अनेक पत्रावलियां मेरे पास मौजूद हैं । आज भी लोकतंत्र संघर्ष समिति के द्वारा निकाले जाते हैं पेम्फलेट और सरक्यूलर । ऐसे पेम्फलेट और सरक्यूलर आज भी वितरित हो रहे हैं जिनको मैं सदन की मेज पर पेश कर रहा हूं । मैं इनकी शब्दावली नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वह बहुत ही देशद्रोही और घृणित है । मैं निवेदन करता हूं कि आपको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । कोटा डिविजन की ओर आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं । कोटा में दिन दहाड़े जुलूस निकलते हैं । जनसंघ ने 12 दिसम्बर को कोटा शहर में

Page No 44

(४४)



(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

खुले रूप में जुलूस निकाला जिसमें हजार, दो हजार व्यक्ति सम्मिलित हुए, थालियां पीटी गईं। लेकिन सिर्फ एक दस साल के बच्चे को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार की अनेक घटनायें हैं। आपने मंगन बिहारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जो अवधूतों को बस में फ्री ले जाते हैं, और उनके लिए वह खाद्य पदार्थों आदि की व्यवस्था करते हैं? मिश्रा साहब, एस. पी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिनके खिलाफ आनन्दमार्गी होने के आरोप हैं? आपने 1906 व्यक्तियों को सेवा से मुक्त कर दिया जिसमें एक आई.ए. एस.है और पांच छः आर. ए. एस. हैं, और बाकी के थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं। आज भी इस प्रकार के अधिकारी हैं जो खुले रूप में लूट करते हैं। रूपचन्द माथुर, रोडवेज के अन्दर जनरल सेक्रेटरी है जो तीस चालीस मुरब्बे जमीन पर राजस्थान कैनाल में अपने आपको जागीरदार बता कर बैठे हुए हैं, अपने बच्चे बच्चियों, पोते पोतियों और जो पैदा नहीं हुए हैं उनको जागीरदार बता कर जमीन पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा देशद्रोहिता का क्या कार्य हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया उसमें विशेष तौर पर इस बात का जिक्र है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जो वरिष्ठ कदम ग्रामीण लोगों को प्लाट देने के सम्बन्ध में उठाया गया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसका बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसकी ओर दृष्टिपात करें तो सात लाख 10 हजार लोगों को पहले 1974 में और 1975 के अभियान के अन्दर दो लाख लोगों को प्लाट दिये हैं, एमर्जेन्सी लगने के बाद मार्जिनल फार्मर्स, गरीब किसान, आदिवासी और भूमिहीनों को प्लाट वितरित किये हैं। लेकिन केवल प्लाट वितरित करना ही संतोष की बात हो–ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज भी ऐसी मिसालें हैं कि सामन्त और करोड़पति और भूमिपति आज भी इन हरिजनों को, मार्जिनल फार्मर्स को इन प्लाटों के कब्जे नहीं लेने दे रहे हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल महाराजा करणी सिंह की प्रस्तुत करूंगा, जिनके फार्म में काटे गये प्लाट का आज तक····

श्री अध्यक्ष : और भी बोलने वाले हैं। समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : पांच मिनिट।

उनके फार्म के अन्दर जो प्लाट काटे गये हैं उनका कब्जा गरीब हरिजनों को नहीं दिया गया है। अबबरा फार्म पर आबादी नहीं थी लेकिन युवक कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयत्न के बाद में आबादी के लिए प्लाट काटे गये लेकिन जो डेढ़ सौ, दो सौ गरीब लोग फार्म पर बैठे हैं, उनकी छाती में आज भी गोली उतारी जा रही है। मैं राव बीरेन्द्र सिंह की कैबिनेट के भूतपूर्व मंत्री श्री नाथ के फार्म का जिक्र अवश्य करूंगा। उनकी पन्द्रह हजार एकड़ जमीन गंगानगर में है। अब उस पर मिजराने बैठे हैं, उनको प्लाट दिये गये हैं लेकिन वहां पर एस. पी. जाते हैं, डी. एस. पी. जाते हैं, और उन मिजरानों को पीटा जाता है और उनके विरुद्ध 107 के सारे झूठे मुकदमे बनाये जाते हैं। इस सदन के अन्दर

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
माननीय सदस्या ने बिड़ला जी की धरती का जिक्र किया। यह ठीक है कि एयरोड्रम की नो सौ बीघा जमीन को झुंझुनू में दबाये बैठे हैं। लेकिन केवल इतनी ही धरती होती तो बात दूसरी थी, वह तो झुंझुनू में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दबाये बैठे हुए हैं। वहां जो अलाटमेंट कमेटी है, उसकी मीटिंग में रामनारायण चौधरी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में यह प्रश्न प्रचण्डता के साथ में पेश किया गया कि बिड़ला जी की साढ़े चार हजार एकड़ धरती को अवाप्त क्यों नहीं किया जाता है? बिड़ला को दस पैसे प्रति यूनिट बिजली क्यों दी जाती है? रामनारायण जी इस बात को जानते हैं कि वहां हजारों लोगों के कनेक्शन काट दिये गये हैं, उन लोगों को दस पन्द्रह मील से पानी लाना पड़ता है। उनको 23 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है जब कि बिड़ला जी को 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली पिलानी में दी जाती है। झुंझुनू के किसान इस पक्षपात से ज्वलित हो रहे हैं, उनमें से ज्वाला निकल रही है। बिड़ला जी के कब्जे में जो साढ़े चार हजार एकड़ जमीन है, उसमें से 1665 एकड़ पिलानी, खेड़ला व हनुमन्तपुरा में है, 306 एकड़ ढक्करवास और जीनी में है, 122 एकड़ मरहड़ में है। इसके अलावा पिलानी का बीड़ है, सहारणवाला का जोहड़ है, जोहड़ धनाणा है, जोहड़ी देहलाणा है, जोहड़ी सरजन दास वाली है, जोहड़ी मीठावाली है, दादू पंथियों का जोहड़ है, कबीर पंथियों की बाड़ी चिड़ावा है, घीघवा ग्राम की जमीन है। इस धरती को लिया जाय और उस धरती में प्लाट काटे जायें और इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहने में अवश्य ही गौरव प्राप्त करूंगा। यह सही है कि आज सीलिंग कानून को बहुत कुछ तेजी से लिया गया और सीलिंग के मुकदमे काफी संख्या में तय किए जा रहे हैं लेकिन एक बात विशेष रूप से खटकती है वह यह कि पुराने कानून में जहां 16 लाख एकड़ जमीन सीलिंग कानून में आने वाली थी वहां इतनी तेजी करने के बाद भी 4 लाख एकड़ से अधिक जमीन आने की सम्भावना नहीं और यह केवल इस कारण हुआ कि पुराना कानून जो 1966 में लागू हुआ था, 1–1–71 से उस कानून को पूरी ताकत से लागू नहीं किया गया। अगर लागू किया जाता तो 16 लाख एकड़ धरती प्राप्त होती। आज एमर्जेंसी के अन्दर चुस्ती लाई गई है। मेरी सूचना है कि केबीनेट, राज्य सरकार और मुख्य मंत्री ने इस बात का निर्णय लिया है कि सारे के सारे फैसले 1963 के कानून के तहत किए जायं और आशा की जाती है कि 16 लाख एकड़ हमें प्राप्त होगी। मैं जिस जिले से आता हूं वहां बड़े बड़े भूखंड हैं, आज 5 हजार एकड़ जमीन पर बांगड़ साहब विराजमान हैं, आज जोधपुर के घराने के पास 5 हजार एकड़ जमीन है, अनूपगढ़ तहसील में झंडा लहरा रहा है, सेठ साहब ने जमीन दबा रखी है, 5 हजार एकड़ धरती पर कब्जा है और नारायण सिंह, जिनका दिल्ली में इम्पीरियल होटल है, गंगानगर में 7 हजार एकड़ धरती पर मालिक हैं। मेरे पास समय का अभाव है, नहीं तो और केसेज मैं सदन में प्रस्तुत करता।

अंत में, मैं एक मिसाल सदन में प्रस्तुत करता हूं कि जिनके पास 50-50 हजार

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

एकड़ जमीन हैं, कइयों ने अपनी स्त्रियां मरी हुई बताई हैं, कइयों ने तलाक दिया हुआ बताया है और मरी हुई स्त्रियों और तलाक शुदा स्त्रियों के बच्चे पैदा हुए हैं। श्री राजदेव सिंह गंगानगर से थोड़ा दूर है, वहां पर 15 बीघा जमीन उनके पास है। अपनी स्त्री को तलाक दिया हुआ बताया है लेकिन बाकायदा स्त्री घर पर है, इस तरह धोखा किया गया है। सुरजीत सिंह ने अपनी स्त्री को तलाक दिया हुआ बताया है। यह 1970–71 के अन्दर तलाक बताया है और आज 1975 में उनके बाकायदा बाल बच्चे पैदा हो रहे हैं। कम से कम वेसक्टोमी करा लेते, बर्थ कन्ट्रोल पर ध्यान देते, तो बात छिप जाती लेकिन सत्य सामने आ रहा है। अन्त में····

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें। आज सरकार का जवाब भी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: एक बात शहरी प्लाट्स के सम्बन्ध में····

श्री गुरुदयाल सिंह संधु: सुरजीतसिंह तो 11 साल पहले मर चुका।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: जमीन तो 800 एकड़ से अधिक है लेकिन जब मर जाते हैं जब जी जाते हैं, पर बासी मर जाती है, लड़के मर जाते हैं, जिसके लड़के नहीं होते हैं उनके लड़के हो जाते हैं। क्योंकि सरदार साहब ने छेड़ दिया मुझे कहना है कि जिनके 5–6 बच्चे हैं उनकी इन्वेस्टीगेशन से मालूम होता है कि 7–7 बच्चे दिखाए गए क्योंकि 1963 के कानून से एर-यूनिट अधिक जमीन लेनी थी। ऐसे 200–300 केसेज राज्य सरकार को मेरी पार्टी ने दिए। अगर इन सारे केसेज में जांच हो जाए, जिला इम्पलीमेंटेशन कमेटी इस बात में गहराई में जाए तो सारे तथ्य आपके सामने आयेंगे।

शहरी प्लाट्स के लिए कभी आप लोगों ने विशेष कदम नहीं उठाए, जो उठाए उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। लोगों के कच्चे मकान तोड़े गए हैं। केवल जयपुर का प्रश्न नहीं, चाहे जोधपुर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो, वहां कच्ची बस्तियां हटाई गई। इस सर्दी में उनको आल्टरनेटिव प्लाट्स नहीं दिए गए हैं। अगर दिए गए हैं तो ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे मकान बना लें। जयपुर में आदर्श नगर में आपने बस्तियां बुलडोजरों से गिरा दीं। कम से कम अमृतपुरा में 200 झोपड़ियां तुड़वाई। अगर किसी कच्ची झोंपड़ी को तोड़ें तो आल्टरनेटिव साइट्स दिए जायं, मकान बनाने की व्यवस्था की जाए। किसी का मकान हटा देने पर उनको आल्टरनेटिव साइट्स दें चाहे फोरेस्ट लैंड हो, चाहे रीहेबिलीटेशन-लैंड हो। गुजरात की तरह यहां कानून बनायें जिसका नतीजा यह हो कि गरीबों को फ्री प्लाट्स देने पड़ेंगे, हाउसिंग साइट्स देने पड़ेंगे, मकान बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। बड़ी इन्कम के लोगों को स्लैब सिस्टम से दे सकते हैं। बहुत ज्यादा कीमत के प्लाट्स ऑक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। गरीब लोगों को बसाने के लिए इस बात पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात कायम नहीं रहती।

# Page No 47

(५७)



श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : केवल एक पाइंट। गंगानगर जिले में आज कीमतों के जरिए किसानों की लूट जारी है। हर चीज, जो किसान पैदा करता है, की कीमतें गिर रही हैं और जो किसान प्राप्त करता है चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, सीमेंट हो, चाहे खाद हो, पूंजीपति कीमतों के जरिए किसानों का सारा का सारा खून चूस रहे हैं। कपड़े की कीमत उतनी बरकरार. कायम है लेकिन कपास की कीमत गिर गई है। गंगानगर में पूंजीपतियों ने षड्यंत्र कर रखा है जिसके साथ विद्युत् मंडल भी शामिल है।

सहकारिता मंत्री उठ कर चले गए। तीन कोआपरेटिव जिनिंग प्रेसेज चालू हुईं, रायसिंहनगर में भी कोआपरेटिव प्रेस चालू हो चुकी है। 4 महीने हो गए। आपने एडवांस राशि जमा करा रखी है। मोटर की सेंक्शन विद्युत् मंडल से हो गयी लेकिन सारी मिलस ने अपनी मोनोपोली बनाकर आज तक कनेक्शन देने नहीं दिया। कलेक्टर के बार बार टेलीफोन करने पर भी विद्युत् मंडल अधिकारी जिनिंग प्रेसेज को कनेक्शन नहीं देते हैं। 15–15 दिन किसानों की फसल बाजार में रहती हैं। काटन कारपोरेशन आफ इंडिया बाजार में आ रहा है। भाव में 30–35 रुपए प्रति क्विंटल का फर्क है। रायसिंहनगर और गंगानगर में भाव में 50) रु. का फर्क है, चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो-शोषक वर्ग सारा का सारा खून किसानों का चूस रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अन्दर, कृषि उत्पादन के अन्दर उनकी प्राइसेज के अन्दर आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमें 20 सूत्री कार्यक्रम सफलता से लागू करना है तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री सांवरमल मौर।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारे देश में एमर्जेन्सी लागू हुई है तब से हमारे देश में दो तीन बातें विशेष तौर से हुई हैं।

(12.29 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

हमारा देश, उपाध्यक्ष महोदय, जिन दो तीन बातों से प्रभावित हुआ है उसमें सबसे पहला तो प्राइस स्टेबल है। दूसरा हमारे देश में लोगों में सेन्स आफ डिसीप्लिन आया है। लोगों में अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ी है। तीसरी बात है हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है। इन तीनों चीजों के साथ दिनांक 1 जुलाई, 1975 को हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे देश में बना कर रखा। उपाध्यक्ष महोदय, वह 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है? यह

(श्री पी. के. चौधरी)

कोई नया कार्यक्रम नहीं है। इस बीस सूत्री कार्यक्रम का मकसद है हमारे देश के जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको ऊपर उठाना। उनकी हालत को सुधारना। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसके पहले ही कुछ कदम ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ में और स्मगलिंग करने वाले लोगों के खिलाफ में लिये थे। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे देश के जो लोग डाउन ट्रोडन लोग हैं जो कि छोटे लोग हैं गरीब तबका है उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करके उनकी हालत सुधारने के लिये कुछ कार्यक्रम दिये हैं। अगर हम उनकी हालत नहीं सुधार सकते हैं तो हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह पूरा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पार्लियामेन्ट में दिनांक 9 जनवरी, 1976 को जो दो तीन सैन्टेन्सेज कहे थे वह मैं आपको यहां पर सुनाना चाहता हूं। प्रधान मन्त्री ने कहा कि–

"The philosophy behind 20 Point Programme was that it dealt with immediate tasks and long neglected issues. It introduced new priorities in identifying programmes of special concern to those at the bottom of the ladder. It set to impart new trust and vigour to their implementation."

इसका यानि कहने का मतलब यह है कि

most important point is that of implementation.

इस प्रोग्राम के अन्तर्गत हमें डाउन ट्रोडन लोगों को ऊपर उठाना है। उपाध्यक्ष महोदय, इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 पोइन्ट्स तो ऐसे हैं जिनकी क्रियान्विति की प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेट गवर्नमेन्ट पर है और बाकी जो टेन पोइन्ट्स हैं वह हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के स्फीयर में आता है। एक बात जो सब से इम्पोर्टेन्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह कोई फैसला करना या भाषण देना या घोषणा करना ही नहीं है बल्कि सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है उसका इम्पलीमेन्टेशन करना। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम 20 सूत्री कार्यक्रम का सही ढंग से इम्पलीमेन्टेशन नहीं करते तब तक आप इसकी क्रियान्विति नहीं मान सकते। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण को पढते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने न्यू इकोनोमिक प्रोग्राम के अन्तर्गत कई कार्यक्रम किये हैं जिसमें पैम्फलेट बांटना, आर्डिनेन्सेज जारी करना, घोषणायें करना व कानून बनाना आदि हैं। तो सिर्फ न्यू इकोनोमिक प्रोग्राम्स के अन्तर्गत अगर आप आर्डिनेन्सेज या कानून पास कर देते हैं या घोषणाएं करते हैं उससे ही आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गयी है यह बात सही नहीं है। इसी से अगर आप समझते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम का इम्पलीमेन्टेशन हो गया यह सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को असली जामा पहना दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हम यह भी देख रहे हैं कि राज्य सरकार तो यहां तक कहती है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को

(श्री पी. के. चौधरी)

क्रियान्विति तक हो चुकी है। और हमारे मुख्य मन्त्रीजी तो इसकी क्रियान्विति के लिये अपना अभिनन्दन भी करा चुके हैं 19 दिसम्बर को। और उनको एक लाख रुपये की थैली तक भेंट की जा चुकी है। लेकिन इसके विपरीत हमारी प्रधान मंत्री तो यह कहती हैं कि यह प्रोग्राम तो एक शुरूआत है। इसकी क्रियान्विति तो बहुत दूर है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कॉम्प्लीसेन्सी राज्य सरकार के दिमाग में है उसको दूर करने की आवश्यकता है। सिर्फ आर्डिनेन्सेज जारी करने, कानून बना देने से ही इस प्रोग्राम का पूरा होना नहीं मान सकते। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रोपर इम्प्लीमेन्टेशन होना जरूरी है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो गांवों में जाकर देखिये। आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कोई सही इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ है। आपको इसका नतीजा देखना है तो गांवों में जाकर देखें। इसके लिये मैं दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो सीलिंग लॉ के बारे में। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने 2 लाख 78 हजार एकड़ जमीन अपने कब्जे में सीलिंग कानून के अन्तर्गत की है। लेकिन सरकारी कागजों के हिसाब से राज्य सरकार के पास 5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस है। उसमें से सरकार ने दो लाख 31 हजार एकड़ जमीन तो अपने कब्जे में 1 जुलाई के पहले ही ले ली थी और 1 जुलाई के बाद में सरकार ने 48 हजार एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली। इसका मतलब हमने 2 लाख 31 हजार एकड़ जमीन में से 1 लाख 85 हजार एकड़ जमीन तो पहले ही हमारे कब्जे में ले-ली थी और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू होने के बाद हमने सिर्फ 48 हजार एकड़ जमीन ही अपने कब्जे में ली है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही कम है। और उस 2 लाख 31 हजार एकड़ जमीन में से हमने सिर्फ 81 हजार एकड़ जमीन का अलॉटमेन्ट अब तक किया है। तो यह जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि सीलिंग कानून की राज्य में क्रियान्विति बहुत ही तेजी से की जा रही है यह कहां तक उचित है। न्यू इकॉनोमी प्रोग्राम्स के अन्तर्गत विगरस एक्शन लिये जा रहे हैं मैं ठीक नहीं मानता क्योंकि 1 जुलाई के पहले ही राज्य सरकार ने पौने दो लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली थी और 1 जुलाई के बाद सिर्फ 48 हजार एकड़ जमीन अपने कब्जे में ली। तो मैं उसमें से सिर्फ 81 हजार एकड़ जमीन का अलॉटमेन्ट करना विगरस नहीं समझता। तो इस प्रकार की घोषणायें करने से गवर्नमेन्ट का क्या सेन्स है? उसके पीछे सेन्स क्या है? मैं इसको नोनसेन्स समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पांच लाख एकड़ जमीन है और आप कह रहे हैं कि सीलिंग के अन्तर्गत 85 पर्सेन्ट केसेज का फैसला हो चुका है और अब सिर्फ आठ हजार केसेज ही रह गये हैं। 85 प्रतिशत केसेज के हिसाब से करीब साढ़े चार लाख एकड़ जमीन है उसमें से दो लाख 31 हजार एकड़ जमीन आपके कब्जे में है। तो बाकी जो ढाई लाख एकड़ जमीन भी तो है जिसको आपको रिज्यूम करना है। मेरा मतलब है कि अभी तो करीब ढाई लाख एकड़ जमीन और बाकी है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट आउट कर रहा हूं कि इस

(श्री पी. के. चौधरी)
प्रकार की थोथी घोषणायें करने से क्या फायदा ? जो कहा जा रहा है कि तेजी से इम्प्लीमेन्टेशन हो रहा है वह नहीं हुआ है। जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसके लिये जो फीलिंग श्राफ अरजेन्सी होना चाहिये थी वह उसके इम्प्लीमेन्टेशन में नहीं है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसका सही इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कहना चाहता हूं वह यह कि अभी दो दिन पहले जब विधान सभा में सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में बताया था कि सांडेराव के अन्दर करीब चार हजार एकड़ सिंचित नहरी जमीन जो कि श्रीमती नारायणी देवी की थी और उसने अपना दावा पेश नहीं किया। सरकार ने उस चार हजार एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन साल हो गये उस जमीन का अलॉटमेन्ट नहीं हुआ। पहले साल बगैर अलोटमेन्ट पड़ी रही। लैण्डलैस को अलॉट किये बगैर ही पड़ी रही और उसके बाद में आज पिछले दो साल से लक्ष्मणसिंह सोढ़ा व उसकी फेमिली ने वह जमीन जबरन अपने कब्जे में ले ली और काश्त करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, चार हजार एकड़ जमीन, जो कि जवाई बांध के एरिया में सांडेराव में है, बहुत ही कीमती जमीन है। जो कि गरीबों में, लैण्डलैस में बांटी जानी चाहिये थी। उनको लक्ष्मणसिंह सोढा की फेमिली ने अपने पजेशन में करली और उसमें जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है वह आपकी सरकारी मशीनरी के आफिसरों की नॉलेज में है, सरकारी मशीनरी से कोल्यूजन करके उन लोगों ने उस जमीन पर फसलें पैदा की हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार वहां पर दुजानी गांव में भी जमीन थी जो कि सिंचाई की जमीन थी उसको अपने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोगों में ट्रांसफर कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत से बेनामी ट्रान्सफर्स हुए हैं। यह बोगस ट्रान्सफर्स जितने भी हुए हैं उनमे सरकारी मशीनरी इनवाल्व है। यह जितने भी बोगस ट्रान्सफर्स होते हैं वह आपके पटवारी, तहसीलदार, और एस. डी. ओ. से कोल्यूजन करके लिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आपके सरकारी ऑफिसर लोग खुद जमीनें हड़प लेते हैं। दुजानी गांव जो कि सांडेराव के एरिया में है वहां पर नारायणी देवी की चार हजार एकड़ जमीन को एक आर. ए. एस. आफिसर ने अपने कब्जे में कर लिया है वह सभी की नॉलेज में है। उस पर फसल पैदा की जा रही है और अभी तक उस जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह था कि घोषणा कर देने से और कानून पास कर देने से मकसद पूरा हो गया, यह बिल्कुल गलत है। जब तक उसका पालन नहीं होता है तब तक उसका कोई फायदा नहीं। इस दृष्टि से राजस्थान में प्रधान मंत्री के 20 पॉइन्ट प्रोग्राम का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ।

दूसरी बात, हाउस साइट्स का प्रश्न आया। लोगों को पट्टे बांटे गये। प्रधान मंत्री मनोहरपुर आयी थीं उस वक्त यह घोषणा की गयी थी कि इनको कर्जा भी दिलाया जायेगा और यह उम्मीद बंधाई

(श्री पी. के. चौधरी)

गयी थी कि जिनको ये पट्टे दिये गये हैं उनको मकान बनाने के लिये भी कर्जा देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कोआॅपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का नाम तक नहीं। चार हजार रुपये कर्ज देने की बात का जिक्र तक नहीं। माननीय रामनारायण जी ने बताया कि 22 हजार लोगों को 1' करोड़ रुपया कर्जा देंगे। मालूम किया तो पता चला कि 2।। हजार लोगों को कर्जा देंगे और 6 हजार लोगों के लिये उम्मीद रखी गयी है और बाकी 14 हजार के लिये कुछ नहीं किया। पट्टे बांटने के लिये घोषणा करते हैं और घोषणा करते हैं और देखते हैं और कहते हैं तो कुछ नहीं हुआ। यह एटीट्यूड है कि करना कुछ और किया कुछ। इस तरह से लोगों को गलत आश्वासन देंगे तो प्रोग्राम का जो असर होना चाहिये, जो इम्पेक्ट होना चाहिये उसका उल्टा असर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोग्राम में से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भूमि वितरण प्रोग्राम का उल्लेख आया है। उसमें एक खास पॉइन्ट है–प्रोडक्शन बढ़ाना, चाहे एग्रीकल्चर का हो या फेक्ट्रीज का। लेकिन माइनर इर्रीगेशन का कुछ भी जिक्र नहीं है। मेजर और मिडियम से 4 लाख हैक्टेयर इर्रीगेशन करना चाहते हैं। माइनर इर्रीगेशन के लिये कुछ भी इसमें इगिर नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में जयपुर डिवीजन में मेजर इर्रीगेशन का स्कोप नहीं है। जो कुछ भी इर्रीगेशन हो सकता है तो वह माइनर इर्रीगेशन में हो सकता है। न तो इसका आपने राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया है और न ही भूमि वितरण प्रोग्राम दिया है उसमें जिक्र किया है। 4 लाख हैक्टेयर भूमि में से पहले साल 3 हजार हैक्टेअर में आबपाशी करने का टार्जेट था। 6 करोड़ तो सेन्टर से एडवांस हुए। दो करोड़ गुजरात से मिले। इस साल टार्जेट रखा है 15 हजार हैक्टेयर। इस साल आपको 8 करोड़ ज्यादा मिल गये तो पिछले साल से भी आपका टार्जेट कम है। यह समझ में नहीं आता है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल प्रधान मंत्री आयीं। मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी मनोहरपुर में कि जयपुर के 6 जिलों में एक्सटेन्सिव इलेक्ट्रीफिकेशन किया जावेगा। 50 करोड़ रुपये लोन दिये जावेंगे। प्रधान मंत्री के सामने आश्वासन दिया गया। आज उसका नाम भी नहीं पाते हैं। न राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र है। तो इस प्रकार से घोषणा करने से और वह भी भारत की प्रधान मंत्री के सामने घोषणा करने से क्या फायदा? अब उसकी पूर्ति नहीं करना अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज 25 पर यह लिखा है पुनर्वास योजना के अन्तर्गत लगभग 50 लाख रुपये की लागत से नया बाजार एक बड़े गंदे नाले को पाट कर बनाया जा रहा है जिसमें 350 दूकानें होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही खेद के साथ कहना चाहता हूं कि अजमेरी गेट पर यह करना चाहते हैं। जो लोग वहां पर बसे हुए थे उन को वहां से उजाड़ा जा रहा है। वे लोग 250 वर्ष पहले वहां पर बसे थे। उनको वहां

(श्री पी. के. चौधरी)

बसाया गया था। जो लोग आज वहां बैठे हैं, जो कि माइनोरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको तो आप वहां से हटाना चाहते हैं। उनके मकान तोड़ दिये गये, पक्के मकान हों या कच्चे मकान, सेंचुरीज से थे। वहां पर दूकानें बनायेंगे पुनर्वास के नाम से। 20 पॉइन्ट प्रोग्राम के नाम पर यह किया जा रहा है, यह तो नाम मात्र है। It is for the uplift of the downtroden. समाज का जो डाउनट्रोडन वर्ग है उसके लिये यह है। जो लोग 250 वर्ष से वहां पर बसे हुए हैं, जो गरीब हैं, माइनोरिटी कम्युनिटी के हैं जो झोंपड़े बनाकर अथवा पक्के मकान बना कर रह रहे हैं, कुछ ने पक्के मकान बनाये हैं, उन सब को तो आपने ध्वस्त कर दिया, और अब वहां दुकानें बना रहे हैं। बरकत साहब के जमाने में तो उनको आश्वासन दिया गया लेकिन आज उनको वहां से हटा कर उजाड़ दिया गया। 50 लाख रुपये से आप दुकानें बनायेंगे 350। जो गरीब हैं उनको तो आपने उजाड़ा, उनको तो आपने शरणार्थी बनाया, और दूसरों को आप दुकानें बना कर देंगे। दुकानें बनाना चाहें तो बैंक से कर्जा लेकर दुकानें बना देंगे, लेकिन आप इनको तो वहां से शिफ्ट कर देना चाहते थे। दूसरी जगह भी आप 350 दुकानें बनवा कर दे सकते थे, लेकिन आप तो गरीबों को वहां से उजाड़ना चाहते हैं। सुरक्षा के नाम से आपने किया। कौन से 20 पॉइन्ट प्रोग्राम का इम्प्लीमेंन्टेशन हो रहा है। It is against its spirit and letter.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूं। घोषणा का तो मैं आपको नमूना बताया ही। झुंझुनूं से आयी माननीय सदस्या ने बताया कि बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री से कोऑपरेटिव सैक्टर में टैक्सटाइल मिल्स का शिलान्यास कराया गया, भारत की प्रधान मंत्री से। लेकिन एक साल हो गया उसके शिलान्यास के पत्थर को रखे हुए। वह निजी सैक्टर में मिले जुले रूप में बनेगा। प्राइवेट पार्टनर्स का इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट हुआ क्या ? हमें जहां तक मालूम हुआ है आज तक तो हुआ नहीं। फिर भी इस प्रकार से घोषणा करायी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घोषणा से काम नहीं चलता। एक्शन होना चाहिये। क्रियान्वित होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात की ओर मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कामागाटामारू नगर में कहा था कि बहुत से मुख्य मंत्री हमारे सामने बैठे हुए हैं उन्होंने राज्य में अपोजीशन को फेस नहीं किया है। मैं समझता हूँ, राजस्थान भी ऐसा ही राज्य है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन्स को बेन किया है। उसके बाद हम देखते हैं जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, कोटा में जुलूस निकलते हैं। जयपुर में भी जुलूस निकलते हैं। 6 तारीख को ऐसा ही हुआ। दस पन्द्रह लेडीज जुलूस लेकर आयीं। दो घन्टे तक ट्रॉफिक को जाम कर दिया। क्या उनको दो घन्टे पहले अरेस्ट नहीं कर सकते थे ? मुर्दाबाद का सरकार के खिलाफ नारा लगाया। पूरी मिर्जा इस्माइल रोड पर घूमती हुई भीड़ इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाती है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ? Why they were silent for

(श्री पी. के. चौधरी)

two hours ? जलूस निकालते हैं तो क्यों नहीं पकड़ते हैं ? It is your soft attitude towards reactionary elements. आपका रवैया सख्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी मिसाल आप लीजिए। झुंझुनूं से आयी माननीय सदस्या ने और क माननीय सदस्यों ने बताया। कुछ लोग रेस्ट हाउस में रहते हैं। हफ्ते के हफ्ते उनको इधर उधर ले जाते हैं। फिर इस तरह से डिटेन्शन में रखने से क्या फायदा ? उनको डिटेन्शन में रखने का कारण ही यही है कि वे देश में विघटन कराना चाहते हैं। उनको वहां रखने का मतलब यही नहीं है कि अच्छा खाना-पीना और पहिनने को दें, लेकिन मकसद यह है कि They should be cut off उनका जो सम्पर्क था कार्यकर्ताओं से, उनको अलग करना, यह था मकसद। यह नहीं हो सका जिससे जो नेफेरियस एक्टीविटी थी वह आगे नहीं चलती। ठीक है, वे कोई कार्यक्रम नहीं चला सके, लेकिन यहां पर सवाई मानसिंह अस्पताल में वे लोग सप्ताह में दो दिन आते हैं और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है-कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। एक पर्चा एम.एल.ए. क्वार्टर्स के सामने भी बांटा जाता है और वह जेल में से बनकर आता है–रात को मेहमान लोग आते हैं और पर्चा बांट जाते हैं। सारे जो चोटी के नेता हैं, उनको डाइरेक्ट करते हैं। हम कैसे मानें कि जो सख्ती का काम करना चाहिए था वह किया गया है ?

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आर.एस.एस. के दफ्तर में रेड हुई, कल हुई जयपुर शहर में आज हुई और जयपुर शहर के बाहर दूसरे दिन रेड होती है, यह क्यों ? उनको मौका देने के लिए कि आपने जो साधन हैं वह छिपा लें। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स के लिए नेक्स्ट डे इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू होते हैं, यह कौनसी अक्ल की बात है। यह मोटिवेटेड है नहीं तो इग्नोरेन्स है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आई.ए.एस. अधिकारियों के सम्बन्ध में बात आई है, वह बात सही है–मंगल बिहारी की जो बात कही है वह सही है। आनन्दमार्ग की प्रोसिडिंग्स पर मंगल बिहारी के दस्तखत थे, लेकिन एक्शन नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी बनी, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया कि जो लोग मीसा में गिरफ्तार हैं वे उस कमेटी के मेम्बर हैं, जनसंघ के प्रेसीडेन्ट हैं। यह क्यों ? हमने सदन में देखा, 26 जून को जनसंघ के नेता अरेस्ट हुये और 30 जून को उन्हें छोड़ दिया गया। पता नहीं क्यों ? हमने अखबारों में पढ़ा कि जनसंघ के नेता ने मुख्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। ये हमारी पॉलिसी के, कार्यक्रम के खिलाफ गए और उनसे पूछिये कि 30 जुलाई को नानाजी देशमुख जयपुर में आते हैं जो आर. एस. एस. के संचालक थे, आर.एस.एस. के इनचार्ज थे, वे जयपुर आये आप उनसे पूछिये जिनको आपने छोड़ा है उनसे क्या सलाह मशविरा की ? उसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और उसके बाद उनके कार्यक्रम में तेजी आई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रधान मंत्री कहती हैं कुछ मुख्य-मंत्री और कुछ लोगों ने देश में जो बैन्ड आर्गेनाइजेशन्स हैं उनके साथ सख्ती से काम नहीं किया।

(श्री पी.के. चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं––काफी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं जो आर. एस. एस. से सम्पर्क रखते हैं, वह चाहे अध्यापक हों या दफ्तर में काम करने वाले हों, क्या आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया है ? केवल 117 का आपने बता दिया उसमें वह लोग नहीं है, आर.एस. एस. के लोग नहीं हैं, शाखा लगाने वाले लोगों को आपने पकड़ा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह कमिटेड है चाहे कांग्रेस दल हो या कम्यु-निस्ट पार्टी जब तक आप उन सबको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक अच्छा इम्पली-मेन्टेशन नहीं होगा। जो ब्यूरोक्रेसी के आधार पर कमेटी बनाई है उसके आधार पर नहीं हो सकता है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन करते हुये कुछ विशेष मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शुरू में ही एमर्जेन्सी क्यों लागू की गई इसके बारे में कहा है। यह सब जानते हैं कि किन हालातों में यह एमर्जेन्सी लागू की गई। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कुछ प्रति-क्रियावादी दलों ने और निहित स्वार्थी तत्वों ने देश में छात्रों को हड़ताल का नारा देकर, मजदूरों को हड़ताल का नारा देकर इस प्रकार के हालात पैदा करके जनतन्त्र को और देश की आजादी को खतरा पैदा कर दिया था, दूसरी तरफ उत्पादन में कमी होने के कारण देश में आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में, उसकी क्रियान्विति में दिक्कतें आई तो जो एमर्जेन्सी डिक्लेअर करके कदम उठाया है उससे जनतन्त्र की रक्षा हो सकी है।

इसके बाद हम देखते हैं एमर्जेन्सी के बाद देश में नया वातावरण पैदा हुआ है, देश में नई लहर आई है लेकिन इस नई लहर के लिये आवश्यक है कि अनुशासन और कर्तव्यपरायणता जीवन का एक अंग बन जाय। दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और उसका हर कार्यकर्ता निश्चित रूप से देश में जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसके कल्याण के लिये जुटा है, और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक मूवमेंट चला रही है जैसी कि हमने पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की है।

इसी प्रकार एक विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को उठाने के लिये हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अगुवाई की है। उनकी आर्थिक योजनाओं को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करने के लिये कटि-बद्ध हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय दिलाने का और उन लोगों को ऊंचा उठाने का है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। राजस्थान सरकार की विशेष रूप से जिम्मेदारी है, जहां अधिक क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसके साथ-साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों की और सभी मिलती-जुलती विचारा धारा के लोगों की भी जिम्मेदारी है।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

हम हमारे देश में देखते हैं कि एक गरीब एवं छोटा काश्तकार व मजदूर आर्थिक कार्यक्रम का एक पहलू है। हमारी राजस्थान सरकार भी उस आर्थिक क्रियान्विति में किसी प्रकार पीछे नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि आर्थिक कार्यक्रम को लागू करने में हमारे जोशी जी जैसे सबल एवं दूरदर्शी नेता अगुवाई कर रहे हैं। मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के कुछ विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहता हूं जो राजस्थान में लागू किये गये हैं।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने भूमि का आवंटन किया है, भूमि-हीनों को भूमि के पट्टे दिये हैं। छोटे किसानों, कारीगरों एवं खेतीहर मजदूरों को भूमि का आवंटन किया गया है। निश्चित रूप से सरकार द्वारा सराहनीय कदम है। यह तो एक अच्छा कदम है, लेकिन दूसरी तरफ हमने मकान बनाने के लिये कर्जा दिया है, करीब नौ करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं यह व्यवहारिक योजना नहीं हैं, क्योंकि इस नक्शे के हिसाब से या आवश्यकता के हिसाब से 4000 रुपये एक गरीब के लिये मकान बनाने के लिये काफी नहीं है। इसमें न मकान बना सकता है और न वह अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। इसलिये इस पर सरकार को पुन: विचार करना होगा, क्योंकि 4000 रुपये में जो मकान बनाना चाहते हैं वह नहीं बन पाता है। आज जब मकान बनाने लगते हैं तो इससे ज्यादा रुपया बैठता है इसलिए सरकार को इस राशि को बढ़ाना चाहिये। मेरा इसमें यही सुझाव है कि आर्थिक अनुदान के रूप में रुपया दिया जाय जिससे कि वह अपने मकान स्थानीय उपलब्ध सामान के अनुसार सिर ढकने के लिए बना सकें।

दूसरी तरफ आज हम देखते हैं कि शहरों के अन्दर भी कमजोर वर्ग के लिए रिहायशी मकानों की समस्या काफी बड़ी है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी घोषणा की है कि शहरों के अन्दर कमजोर वर्ग के लोगों को प्लाट दिये जायेंगे और करीब 10 हजार प्लाट्स कमजोर वर्ग के लोगों को शहरों के अन्दर आवंटित किये हैं, और बाकी को आवंटन होना है जो कि तेजी से किया जाना चाहिए।

राजस्थान में भूमि-सुधारों का जहां तक प्रश्न है जब से हमारा राजस्थान बना तब से ही भूमि-सुधारों के मामले में प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं। लेकिन राजस्थान में भूमि-सुधारों की अब भी बहुत बड़ी समस्या है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया कि खातेदारी के मामले में, रेकार्ड की दुरुस्ती के मामले में, म्यूटेशन के मामले में कुछ तेजी से कदम उठाये गये हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी रेकार्ड की दुरुस्ती की दिशा में नये कार्यक्रमों को तेजी से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसान लोगों को इन रिकार्डों की दुरुस्ती नहीं होने की वजह से काफी परेशान होना पड़ता है और भटकना पड़ता है। इसलिए इस दिशा में और भी तेजी से कार्य किया जाना चाहिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी बताया गया है कि सीलिंग के कानून को

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

राजस्थान में बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इस अभियान के अन्तर्गत 85 पर्सेन्ट सीलिंग के मुकद्दमों का फैसला कर दिया गया है। गंगानगर जिले में सीलिंग कानून तेजी से लागू किया जा रहा है, लेकिन आज भी बेनामी ट्रान्जेक्शन के नाम से काफी गड़बड़ियां हैं, और आज भी लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है। कांग्रेस और सी.पी. आई. के कार्यकर्ताओं द्वारा राजस्थान सरकार को भूमि चोरों की सूची दी गई है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ऐसे मुकद्दमों को खोले। भूमिहीनों को भूमि देने का भी तेजी से काम चलाया जा रहा है–हम इसको मानते हैं और 3 लाख एकड़ के करीबन भूमि 1 लाख 20 हजार भूमिहीन परिवारों को दी गयी है जिसमें 60 पर्सेन्ट अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं। जहां तक भूमि के एलॉटमेन्ट का प्रश्न है निश्चित रूप से भूमि उनको मिली जिनको आवश्यकता थी। मैं ऐसा नहीं मानता कि भूमि के एलॉटमेन्ट से ही आर्थिक दशा उनकी सुधर जायेगी, क्योंकि उनको हल के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए जब तक सहायता नहीं पहुँचायेंगे तब तक हरिजन और भूमिहीन आदमी खेती नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को ऐसा सिस्टम जारी करना होगा, व ऐसी कोई व्यवस्था लागू करनी होगी चाहे सहकारिता के जरिये हो या आर्थिक अनुदान के जरिये हो जिससे भूमिहीनों को आर्थिक अनुदान मिले और जिससे भूमि का सुधार करके हल और बीज की व्यवस्था करके जमीन को वह बो सकें।

उसके बाद भूमि सुधार के मामलों में मेरा यही सुझाव है कि इसको और भी तेजी से लागू किया जाये। जैसे सीलिंग के मामले में एलॉटमेन्ट के मामले में सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि 20 जून तक यह कार्य कर दिया जायेगा। इसी तरह से चाहे खातेदारी का प्रश्न हो, म्यूटेशन का प्रश्न हो, कब्जों का प्रश्न है सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि 30 जून या और अन्य किसी तारीख तक इस कार्यक्रम को भी लागू कर दिया जायेगा।

इसके बाद हम देखते हैं कि देश के अन्दर बहुत बड़ा शोषित वर्ग हरिजन आदि कर्जों से दबे हुए थे और राजस्थान सरकार ने एक वर्ष का स्थगन आदेश करके वास्तव में शोषित लोगों के लिए एक ऐसा कदम उठाया है जिससे उनको शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऋण मुक्ति के साथ ही साथ हम कोई दूसरी आल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक यह काम अधूरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक उनको अन्य किसी व्यवस्थाओं से ऋण नहीं मिलेगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी। उसको ऋण नहीं मिलने की वजह से वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकेंगे। राजस्थान की दशा हम जानते हैं कि यहां पर आये साल अकाल पड़ता है और खेती पर निर्भर करने वाले लोग बिना कर्ज के काम नहीं चला सकते। हम मानकर नहीं चल सकते कि जो अभी रूरल बैंक की ऋण देने की व्यवस्था है उसके अन्तगत हम उनको ऋण दे सकेंगे। भारत सरकार की योजना है कि सौ इस प्रकार के देहाती बैंकों की स्थापना की जायेगी उससे तो सम्भव हो

(श्री ज्ञानचन्द चौधरी)

सकेगा, लेकिन अभी जो एक देहाती बैंक खोला गया है उससे तो काम चलने वाला नहीं है। हम जब तक ऋण की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे तब तक शोषण से जो मुक्ति होनी चाहिए थी वह नहीं होगी।

जहां तक सहकारिता का प्रश्न है मैं तो यह मानकर चलता हूं कि राजस्थान ने सहकारिता आन्दोलन के बारे में जो कदम उठाये हैं वह भारतवर्ष के लिए निश्चित रूप से एक गाइड लाइन है और इस मामले में राजस्थान अग्रणी है। इस आन्दोलन में काफी कमजोर वर्ग के सदस्यों को शामिल किया गया है। राजस्थान में सहकारिता में 2 लाख 60 हजार सदस्य ऐसे लोगों को बनाया जो कि वास्तव में गरीब लोग हैं। इस तरह की गतिविधियों से सहकारिता को नया जीवन मिला है और एक तिहाई कमजोर वर्ग के लोगों को सोसाइटीज और बैंकों के संचालक मंडलों में रखने का प्रस्ताव रखा है, तो उससे और भी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये के शार्ट टर्म ऋण और 10 करोड़ रुपये के लॉंग टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। उसमें एक तिहाई कमजोर वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की गयी है। उससे मैं मानकर चलता हूं कि सहकारिता आन्दोलन के अन्दर जो अब तक ऋण से वंचित रहे उनको भी ऋण मिल पायेगा और सहकारिता का लक्ष्य पूरा होगा।

उसके बाद आज हम देखते हैं कि छात्रों को कन्सेशन पर राशन की चीजें मुहैय्या की गयी है और उससे करीब 47 हजार छात्र लाभान्वित होंगे। दूसरी तरफ स्टेशनरी का सामान भी दिया गया है और किताबों की भी व्यवस्था की गई है और करीब 19 हजार पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है। हम देखते हैं आज का छात्र इस आपातकालीन स्थिति के बाद अनुशासित है–इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि अनुशासन छात्रों के जीवन का एक अंग बन जाये उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति को निश्चित रूप से सुधारा जाये। जब तक हम पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार नहीं दिला सकते तब तक हम उनके अन्दर नये जीवन की आशा नहीं भर सकते, व रोजगार से जब तक संबंधित शिक्षा नहीं होगी तब तक स्थायी-रूप से असन्तोष भी दूर नहीं कर सकते। जिस तरह से सहकारिता के आन्दोलन में राजस्थान ने अगुवाई की उसी तरह से शिक्षा-पद्धति को सुधारने के लिए भी राजस्थान को अगुवाई करनी चाहिए और छात्र वर्ग को रोजगार दिलाकर राजस्थान के विकास में उनको भागीदार बनाया जाय।

इसके बाद सिंचाई के मामले में बीस सूत्री कार्यक्रम में विशेष जोर दिया गया है। राजस्थान में 4 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था करने का लक्ष्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में टार्जेट रखा गया है, लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है कि राजस्थान में वृहद सिंचाई योजनाओं में उसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिस क्षेत्र में जमीन ज्यादा उपजाऊ हो व प्रति एकड़ सिंचाई योजना में कम खर्च पड़ता हो। तो इसका उदाहरण हमारे गंगानगर जिले के अन्दर नोहर भादरा का है जो हरियाणा का लगता हुआ एरिया है, वहां की जो समतल व उपजाऊ जमीन है सिद्धमुख नहर व नोहर

# Page No 58

(58)



(श्री ज्ञानचन्द चौधरी)

फीडर की काफी अर्से से सरकार की योजना है उसको लागू किया जावे तो लाखों का अनाज उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर पिछले दो सालों में जब से हमारे मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी आए हैं पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशेष काम किया गया है। चाहे मरु विकास आयोग बनाने का प्रश्न हो, चाहे आदिम जाति विकास बोर्ड का प्रश्न हो, चाहे अन्य बहुमुखी विकास का प्रश्न हो राजस्थान का पिछड़ापन एक दिन में दूर नहीं कर सकते और इसलिए निश्चित रूप से ऐसे कदम भारत सरकार की सहायता से या और किसी तरह से उठाने पड़ेंगे जिससे आदिम जाति एवं पिछड़े क्षेत्रों के लोग आगे आ सकें। इसके मायने यह मान कर चलना चाहिए कि राजस्थान में आज भी विकास की बहुत ज्यादा सम्भावना है और विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि राजस्थान के अन्दर चाहे किसी भी योजना को लेकर हम चलते हैं तो उस योजना के अन्दर उन लोगों का विशेष रूप से फायदा सोचना होगा जिनको आज तक समाज से न्याय नहीं दिया सके हैं। तो मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि राजस्थान में जहां तक पीने के पानी का प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दो चार दिन पहले घोषणा की थी कि इसके लिए निगम की स्थापना की जावेगी। तो पानी के क्षेत्र में बीकानेर, चूरू वगैरह जो सदियों से प्यासे मर रहे थे, के लिए निश्चित रूप से योजना बना कर उनको पानी दिलाया गया है और इससे लगते नोहर, भादरा क्षेत्रों को भी पानी दिलाया जाये।

इसी प्रकार से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की मन्दी की वजह से आज हिन्दुस्तान का किसान परेशान है। निश्चित रूप से इस मन्दी में आज किसान ने जो खेती में पैदा किया है उसके भावों में जो गिरावट आई है उसके कारण उसको उसकी पैदावार का पूरा पैसा नहीं मिला। इसके विपरीत जो किसान के उपभोग की दूसरी चीजें हैं उनमें कोई गिरावट नहीं है। किसान की खेती के लिए जो आवश्यकता की चीजें हैं, रोजमर्रा कपड़े की चीजें, चाहे या अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का प्रश्न है, सहकारी समितियों के मार्फत, उपभोक्ता भण्डारों के मार्फत गांवों में पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसानों को सस्ती दर पर चीजें मिल सकें और जो अर्थ व्यवस्था लड़खड़ा रही है उसको सहारा मिल सके। इसके अतिरिक्त लोन वगैरह की भी व्यवस्था की जाय।

जहां तक उनके बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है गांवों में हजारों काम करने वाले बुनकर हैं जो बेकार बैठे हैं उनको मदद मिल सके तो उनकी भी जीविका चल सकेगी। इसके साथ-साथ मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और इसमें भी विशेष कर गंगानगर आदि ऐसे जिले हैं कि जहां पर कृषि की उपज के आधार पर छोटे उद्योग चल सकते हैं। इससे कृषकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और काटेज इन्डस्ट्रीज भी बढ़ सकेंगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। इसके लिए हम देखते हैं कि पंजाब के अन्दर इस मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। हमारे गंगानगर जिले में कोआपरेटिव सैक्टर में कई

(श्री ज्ञानचन्द चौधरी)

काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग इन्डस्ट्रीज लगी है, गंगानगर जिले में काटन इन्डस्ट्रीज को और बढ़ावा दिया जावे, चाहे कोआपरेटिव सेक्टर से हो व पब्लिक सेक्टर से हो, वहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्रीज सम्भव हो सकती हैं जिससे किसानों को धन्धा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी।

तो अन्त में मेरा निवेदन यही है कि आर्थिक कार्यक्रम को राजस्थान में लागू करने का बीड़ा सरकार द्वारा उठाया गया है और निश्चित रूप से इस दिशा में काफी काम हुए हैं और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि हमारे मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जी जोशी, जो कि एक पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, इस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को ऊंचा उठाने के इस आर्थिक कार्यक्रम का सही नेतृत्व कर सकेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गोपालसिंह।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे को भी टाइम मिलना चाहिए। मैंने लिख कर दिया हुआ है।

**श्री मीठालालमीणा** : लिखकर दिया तो क्या हुआ, पट्टा हो गया। आप शुरू करो जी।

**श्री गोपालसिंह (खण्डेला)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सागड़ी प्रथा को खत्म करने के बारे में तेजी से कदम उठाने के बारे में कहा गया है। कर्जे माफ करने के बारे में भी कहा गया है और मजदूरों को मिनिमम वेजेज और समान वेजेज दिलाने के बारे में भी कुछ कहा गया है। ये सब बातें हैं जो स्वागत के योग्य हैं और हम सबको इनका स्वागत करना चाहिए। इस सागड़ी प्रथा के बारे में हम बहुत दिनों से कुछ सोच रहे हैं। आज के जमाने में जब हम सब लोगों को सामाजिक तौर पर एक जगह लाकर खड़ा करना चाहते हैं, उस वक्त भी राजस्थान के एक तिहाई हिस्से में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सागड़ी प्रथा जैसे पहले चलती थी वैसे ही चली आ रही है और हमारी सरकार आज तक उसके लिए कुछ नहीं कर सकी, यह एक दुर्भाग्य की बात ही है। लेकिन मुझे अखबारों में पढ़ने से और तरह से जो जानकारी मिली है, कुछ ऐसे इन्स्टांसेज, उदाहरण ध्यान में आए हैं कि इस प्रथा को समाप्त करने के बाद भी जो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके अदालतों में चालान पेश किए गए हैं, यह सब स्वागत योग्य बात है।

इसी तरह से गरीब लोगों के कर्जे माफ करने की बात भी स्वागत योग्य है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मिनिमम वेजेज का प्रश्न है और स्त्री पुरुष को समान वेतन दिलाने के बारे में जो सरकार ने नीति निर्धारित की है यह सब स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन यहां पर विचार करना यह है कि इस संदर्भ में सरकार अपने इरादों के प्रति कितनी ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से अपनी घोषणाओं को क्रियान्वित करती है।

(श्री गोपालसिंह)

इसका विश्लेषण करके जब हम देखते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक निर्णय पर पहुंचना पड़ता है और वह निर्णय यह है कि सरकार केवल घोषणाओं में विश्वास करती है, अपने इरादों के प्रति ईमानदारी नहीं बरतती और प्रतिक्रियावादी जो लोग हैं और समाज के जो सूदखोर हैं, एकाधिकारवादी लोग हैं, मुनाफाखोर लोग हैं उन लोगों के प्रति एक सोफ्ट कोर्नर रख कर चलती है। इनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। अगर कुछ करती भी है तो भारत सरकार से कोई गाइड लाइन मिलती है या कुछ आदेश दे दिए जाते हैं तो उसकी खानापूर्ति करने के लिए कोई आयोजन करवा कर अखबारों के लिए न्यूज बना दी जाती है और न्यूज फ्लेश हो जाती है, दिल्ली तक सूचना पहुंच जाती है कि राजस्थान में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ किया जा रहा है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सब तथ्यों के विपरीत है बल्कि यों कहना चाहिए कि वन पर्सेन्ट भी सच्चाई उनमें नहीं होती है। सरकार की तुष्टिकरण की नीति है, लोगों को संतुष्टिकरण की नीति नहीं बल्कि तुष्टिकरण की नीति के तौर पर अखबारों में न्यूज फैलाने की दृष्टि से सब कुछ किया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान में भूमि सुधारों के सम्बन्ध में समय समय पर राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिए उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। यह सही है कि जितने कानून बने और जो कुछ इस सम्बन्ध में किया गया उनको प्रगतिशील कानून कहा जाता है लेकिन हमको यह भी देखना है कि इस सम्बन्ध में क्या क्रियान्विति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत समय पहले राजस्थान में सन् 55 में कानून बना कि जो किसान 55 से काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी दी जाएगी, वे जमीनों के खातेदार हो जायेंगे। जो खेतिहर मजदूर थे वे खातेदार हो जायेंगे, वे बेदखल नहीं हो सकेंगे और इस सम्बन्ध में उस समय का जो राजस्व रिकार्ड है उसके हिसाब से जिनके कब्जे में सन् 55 से जमीन है और काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी मिल जाएगी लेकिन आज तक खातेदारी नहीं मिल पाई है। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू बोर्ड की रूलिंग की बात कही जाती है कि गिरदावरी में नाम है मगर जमाबन्दियों में नाम नहीं है इसलिए उनको खातेदारी मिल नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि जमाबन्दियों में नाम क्यों नहीं है, जब कि गिरदावरी में नाम है, जब पर्टीक्यूलर टाइम से उसका जमीन पर कब्जा है। और इस बारे में यदि कोई कानूनी अड़चन आती है और यदि कोई रूलिंग बनी है तो सरकार को उस रूलिंग के अनुसार उस तरह का संशोधन करना चाहिए और जो सरकार की मंशा थी उस मंशा को पूरा करना चाहिए था। आज मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर जितने सब टीनेंट हैं उनको 85 पर्सेन्ट को खातेदारी नहीं मिली है। वैसे के वैसे ही सब टिनेंट हैं और जिनको खातेदारी नहीं मिली है उनसे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घोषणायें की जाती हैं उनके प्रति सरकार कितनी ईमानदार रहती है, उस सम्बन्ध में मैं कह रहा हूं।

इसके अलावा भू-आवंटन के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया। भू-आवंटन का एक

(श्री गोपालसिंह)

प्रोग्राम राजस्थान में चल रहा है और इधर उधर कुछ होता भी है। लेकिन जितने भी भू-आवंटन के मामले सामने आये हैं, उनमें एक बीघा से चार बीघा तक के मामले सामने आये हैं जो लोगों को आवंटित हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह से लोगों को एक-दो बीघा जमीन देना उनको केवल तुष्ट करना है, सन्तुष्ट नहीं करना है। इससे उनका जो आर्थिक ढांचा है वह और भी बिगड़ेगा और जो काम वे कर रहे हैं उससे भी वे हट जाएंगे और नये काम से भी वे सैटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हमारा जो दृष्टिकोण समाज के प्रति और पिछड़े हुए लोगों के प्रति होना चाहिये वह ईमानदारी का और वास्तविकता का होना चाहिये। इसके लिए एक मिनिमम सीमा फिक्स करनी चाहिये जिससे कम से कम यह हो कि यदि किसी नये आदमी के पास भूमि नहीं है, वह भूमिहीन है और काश्तकारी का धंधा कर सकता है तो मिनिमम सीमा की उसको जमीन जरूर मिले। यदि इस तरह का हमारा व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो हमारी सरकार का जो दृष्टिकोण है, वह ईमानदारी का नहीं है, समाज के गिरे हुए लोगों के प्रति।

माननीय उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम में गति लाने के लिए जिला स्तर पर जो कमेटियां बनायी गयी हैं, उन कमेटियों में कौन सी पार्टियों के लोग हों, यह मैं नहीं कहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिए सभी पार्टियां हमेशा से कहती आ रही हैं। डेमोक्रेसी में कोई भी प्रगतिशील पार्टी इस कार्यक्रम से इन्कार नहीं कर सकती है। इसलिए इन कमेटियों में ऐसे लोग हों जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हों, जो सर्वहारा वर्ग के लोग हों, और मुनाफाखोर, एकाधिकारवाद के लोग इनमें नहीं हों। इस इरादे से कमेटियां नहीं बनती हैं तो हमको यह मानना होगा कि जिस तरह से आज तक पेपर प्लान चलता आया है ठीक उसी तरह से यह भी पेपर प्लान रह जायेगा। इसलिए सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिये। इस तरह की जो कमेटियां हों उनमें सर्वहारा वर्ग के लोग होने चाहिये ताकि जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एमर्जेन्सी के नाम पर आज राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है, उसको हम सब जानते हैं। विरोधी दल के लोगों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु जो लोग कांग्रेस के अन्दर हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। आज राजस्थान के अन्दर इस एमर्जेन्सी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इसके लिए मैं सीकर जिले की खंडेला पंचायत समिति का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पिछले सात माह से खंडेला पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी का और पिछले तीन साल से वहां के उप प्रधान का स्थान रिक्त है। एक तरह से वहां की पंचायत समिति को डिफंक्ट कर दिया गया है और उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता है। जिला अधिकारी समय समय पर स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव की तिथियां तय करते हैं और चूंकि सत्ता पक्ष का बहुमत

# Page No 62

(62)



(श्री गोपालसिंह)

नहीं बन पाता है, इसलिए कभी तो हमारे पंचायती राज मंत्री जब चुनाव की तारीख होती है उसके एक दिन पहले चुनाव अधिकारी को अपने पास बुला लेते हैं तो कभी मुख्य मंत्री महोदय जिलाधीश को टेलीफोन कर देते हैं, तार भेज देते हैं कि चुनाव मत कराओ। इस तरह एमर्जेंसी का दुरुपयोग आज सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है। इसकी एक सीमा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां खंडेला में उप प्रधान के चुनाव के लिए 30 नवम्बर की तारीख तय हो गयी थी। चुनाव की सारी तैयारियां हो गयीं परन्तु चुनाव के ठीक आधे घंटे पहले जब मुख्य मंत्री महोदय नीम का थाना जा रहे थे, रास्ते में अजीतगढ़ में जिलाधीश को आदेश दे दिया कि चुनाव पोस्टपोन करा दिए जाएं और मतदान शुरू होने के 15।20 मिनिट पहले चुनाव को स्थगित कर दिया गया। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इससे डेमोक्रेसी को कोई शक्ति नहीं मिलती है। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार एमर्जेंसी के पीरियड में अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और वह एक सीमा से आगे चली गयी है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पार्टी के एक ग्रुप के हितों के लिए सरकार को ऐसे गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी अभियान में राजस्थान में तेजी लाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह स्वागत की बात है कि सहकारी अधिनियम में परिवर्तन करके यह कहा गया है कि जो सहकारी संस्थाओं के सदस्य बनना चाहेंगे वे दरख्वास्त के साथ ही सदस्य बना दिए जाएंगे। यह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से खुली छूट देने के जो नतीजे होंगे, उसके बारे में भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि आज भी सहकारी संस्थाओं के अन्दर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग मौजूद हैं और ये वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग दूसरे लोगों को वहां पर पनपने नहीं देते हैं, काम नहीं करने देना चाहते हैं। फिर इस तरह की खुली छूट दे दी गयी और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा तो मैं यह कहूंगा कि पूंजीपति लोग, एकाधिकारवाद के लोग, जिनका कि इरादा हर वक्त मुनाफे की ओर होता है, संस्थाओं में घुस जायेंगे और ये लोग सहकारी आन्दोलन को एक तरह से कर्ब डाउन, कमजोर कर देंगे। इस तरह की खुली छूट देना इन संस्थाओं को मारना होगा। इसमें नियम बनाने होंगे, कोई न कोई प्रतिबन्ध लगाने होंगे ताकि इन संस्थाओं के जरिए जो लोग ऊपर उठना चाहते हैं, उनको मौका मिले और एवरी होम, डिक एण्ड हैरी, याने कोई भी आवे और घुस जावे, ऐसा न हो। वरना निहित स्वार्थ के लोग सहकारी संस्थाओं में घुस जाएंगे। उनकी एक गैंग बन जायेगी और वे लोग प्रगति के कार्यों में रुकावट डालेंगे। इसलिए इस बात को गंभीरता से देखने की बात है वरना इसके रिजल्ट उल्टे होंगे और हमारे सहकारी आन्दोलन को अपने हाथों से ही हम खत्म कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कई दफा इस सदन के अन्दर और बाहर भी

(श्री गोपालसिंह)

सीकर जिले में नीम के थाने में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। जब-जब उनके सामने समस्या रखी गयी तो मुख्य मंत्री महोदय ने इस हाउस में और बाहर भी यह स्पष्ट आश्वासन दिया कि इस बारे में जो भी दिक्कतें आएंगी वे उनको दूर करेंगे और नीम का थाना में सीमेन्ट फैक्ट्री लगेगी। पिछले तीन चार साल से देख रहे हैं कि नीम का थाना में सीमेन्ट फैक्ट्री नहीं लग पा रही है। जिन लोगों को इजाजत मिली थी उनको मजबूर कर दिया गया है कि वे वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री न लगावें। यह कैसे हो गया? नीम के थाने के अन्दर जहां सीमेन्ट फैक्ट्री लगने वाली थी 25 करोड़ की लागत से, जिससे वहां के मजदूरों को मजदूरी मिलने की संभावना थी, अच्छा प्रोडक्शन होने की संभावना थी, उस एरिया को वहां के मोदी परिवार को लीज आउट कर दिया गया है। इस 8 मील के ब्लाक में से ऐसा एरिया उनको दे दिया गया है ताकि सीमेन्ट फैक्ट्री का भविष्य अन्धकार में पड़ जाये। यह बात अंधेरे में नहीं रही इसके लिए समय-समय पर सीमेन्ट फैक्ट्री को स्थापित करने के बारे में वहां के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि बराबर मुख्य मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं कि इसमें से नाजायज तरीके से लीज आउट कर चुके हैं जिससे सीमेन्ट फैक्ट्री की योजना खटाई में पड़ जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि इस एरिया का सीमेंट फैक्ट्री के लिए सर्वे कराने के लिए 8—10 लाख रुपया सरकार का खर्च हो चुका है और 8—10 लाख रुपया खर्च होने के बाद इस तरह से बेईमानी से लीज आउट कर दिया गया।

**श्री सांवरमल मोर** : गलत कह रहे हैं।

**श्री गोपालसिंह** : आप बैठिये।

इस एरिया में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स ने उस लीज में भागीदार बनने के इन्ट्रेस्ट से उस एरिया को मोदी परिवार को दे दिया ताकि वह सीमेन्ट फैक्ट्री का काम पड़ जाय। यह हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी, हमारे लिए एक कलंक होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर्टीक्यूलर एरिया को, जिसमें सीमेंट फैक्ट्री की बात है, मोदी परिवार को, चाहे वह संसद के सदस्य हों चाहे भूतपूर्व विधायक हों या और इस तरह के एकाधिकार वाले लोग हों, मुनाफाखोर लोग हों, 40 हजार सालाना में सरकार ने दे दिया जब कि दूसरे उन लोगों को नहीं दिया जो उसके लिए डेढ़—दो लाख रुपया आफर कर रहे थे। यह बेईमानी का खुला चित्रण है, नंगा चित्रण है, इसको सारा राजस्थान देख रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बारे में निश्चित रूप से इस तरह की लीज जो दी गई है, को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए, और वास्तविक रूप से इस स्थान के हित में, उस इलाके के हित में जहां 25 करोड़ की लागत के कारखाने की सम्भावनाएं हैं, जहां 10—15 हजार लोगों को मजदूरी मिलने की सम्भावनाएं हैं वहां पर चाहे वह मोदी हों चाहे मुख्य मंत्री हों उनको मोह छोड़ देना

(श्री गोपालसिंह)
चाहिए और राष्ट्रहित की बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से और सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह अपनी जो नीतियां हैं उनको बदलें। समाज के हित में, प्रान्त के हित में और देश के हित में जो उनकी विचारधारा होनी चाहिए वह उन्हें अपनानी चाहिए, केवल नारों से काम नहीं चलने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष जी...

**श्री उपाध्यक्ष:** You have finished, I think.

**श्री गोपालसिंह:** Just a minute.

लोगों के सभी कार्नर्स से यह बात आती है और स्वागत भी होता है कि राजस्थान में 7 लाख लोगों को, जिनके पास में जमीन नहीं है, मकान बनाने के लिए हाउस साइट्स दिये गये हैं और जल्दी से, तेजी से कार्यक्रम आगे आयेगा और लोग मकान बनाकर उसमें रहेंगे। इस बारे में मैं कहूंगा पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं मुद्दे की बात कहना चाहता, हूं कि यह गरीब तबके के लोग ज्यादातर आर्टीजन्स हैं जो उसी घर में अपना धन्धा करते हैं। उसी घर में वह रसोई रखते हैं और उसी घर में एक दूसरा मकान रखते हैं जिसमें होम इन्डस्ट्री उनकी उसके अन्दर चलती रहती है। इस तरह के लोगों को इस तरह से जमीन मिली है। माननीय उपाध्यक्ष, कृषि आयोग ने इस बारे में स्पष्ट कहा है अपनी रीसेन्ट रिपोर्ट में कि इस प्रकार के जो आर्टीजन और कमजोर तबके के लोग हैं उनको कम से कम 250 गज जमीन मकान के लिए चाहिए। राजस्थान की परिस्थितियां इसके अनुकूल हैं। राजस्थान में आज बसने के लिए जमीन की इतनी डर्थ नहीं जितनी हिन्दुस्तान के और प्रान्तों के अन्दर है। हमारे यहां जमीन की इतनी कमी नहीं है जो कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर है। जब कमी नहीं है और जमीन सरप्लस पड़ी हुई है और एक परिवार को नये तरीके से जमीन देकर मकान बनाकर बसाने की व्यवस्था करते हैं तो सरकार को मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड जो अभी जमीन है उसके बजाय 250 गज जमीन उन लोगों को देनी चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर ऐसा नहीं किया तो गरीब लोगों को बेकार करना होगा। एक जगह अपनी रसोई बनायेंगे और दूसरी जगह पर अपना धन्धा करेंगे, जैसे चमड़े का काम करेंगे तो इस तरह से जहां एक एक मिनिट का उपयोग होता है होम इन्डस्ट्री के अन्दर वह नहीं कर पायेंगे, और इस तरह से उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जायगी। आज जो हम इस आइडिया पर चल रहे हैं कि गरीब लोगों को जमीन दें तो इस आइडिया का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ व्यवहारिक पहलू नहीं देख पा रहे हैं। इसका व्यवहारिक पहलू देखना चाहिए। जब कि राजस्थान में जमीन की कमी नहीं है तो उनको पूरी जमीन देनी चाहिए ताकि उनकी इकोनामी डिस्टर्ब न हो, अव्यवस्थित न हो। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इतना ही कहकर मेरी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्री जयकिशन लाल।

**श्री अजीतसिंह:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन दिन से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन के अन्दर दिया है उस अभिभाषण के अन्दर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे समक्ष उपस्थित की हैं। इसके साथ-साथ उन योजनाओं को यदि हम क्रियान्वित कर लेंगे तो वास्तव में हमारा पिछड़ा हुआ प्रदेश है वह उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन इस अभिभाषण के अन्दर कुछ चीजों को छोड़ दिया गया है जिनके ऊपर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया गया है। यदि उन पर विस्तृत रूप से विचार कर लिया जाता तो शायद हमारे गरीब देश में गरीब लोग ज्यादा रहते हैं उन व्यक्तियों को अवश्य लाभ मिल सकता था। उदाहरण स्वरूप, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं।

भूमिहीनों की हमारे समक्ष बड़ी भारी समस्या है। कृषि संबंधी जमीन कई लोगों को नहीं मिली है। साथ ही साथ आवासीय भू-खण्ड जो हमारी सरकार द्वारा एक नीति बनाकर दिये जा रहे हैं उनके अन्दर विभिन्न प्रकार की कमियां जब हम क्षेत्रों में जाकर देखते हैं तो हमें नजर आती हैं। भूमिहीनों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यदि भूमिहीन लोगों को भूमि देने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ-साथ हम यदि विशेष प्रकार की एन्क्वायरीज कर लें, कुछ इस प्रकार की जांच कर लें तो आज भूमिहीनों की समस्या हमारे सामने से मिट सकती है। उदाहरण स्वरूप जैसे सारे राजस्थान के अन्दर कई लोगों ने बेनामी एलाटमेंट करवा रखे हैं यदि उनकी लिस्ट बनवाई जाय और उन बेनामी लोगों की वास्तविक लिस्ट हासिल करके अच्छी तरह से उसको देखा जाय तो वास्तव में बहुत सारी जमीन हमें उपलब्ध हो सकती है।

दूसरी स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि कई व्यक्तियों ने जिनके संतान भी पैदा नहीं हुई है और झूठा नाम सन्तान का रख कर जमीनें एलाट करा ली हैं। यदि इस प्रकार के लोगों की लिस्ट प्रत्येक तहसील में पटवारी को सूचित करके दे दी जाय तो वास्तव में बहुत सारी संख्या बीघों की जमीन उपलब्ध हो सकती है।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि कई कर्मचारी जो 5 साल से एक जगह पर रहने वाले हैं जब वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं नौकरी देने के लिए तो वहां जाकर अपनी पत्नी के नाम से, साले के नाम से या अन्य सम्बन्धी के नाम से जमीन एलाट करा लेते हैं। यदि उनकी लिस्ट को अच्छी तरह से देखा जाय तो काफी ज्यादा भूमि उपलब्ध हो सकती है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार के कई लोग जो बड़े बड़े सेठ हैं, जब एक तरफ तो हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति के अनुसार हम चलते हैं, उनकी घोषणाओं के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

जो बड़े बड़े लखपति हैं उनके पास नौकरी करने के लिए हरिजन जाति के लोग हैं उनके नाम से उन्होंने जमीनें एलाट करवा रखी हैं। यदि ऐसी जमीनों की लिस्ट लेकर उन को पूर्ण रूप से जांच करें तो हमारे पास बहुत सारी जमीन उपलब्ध हो सकती है। यह समस्या हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर फैली हुई है। इस समस्या का आसान हल यह है कि इन सारे एलाटमेंट्स को कैन्सिल करके भूमि को सिवाय चक में घोषित करके उसे भूमिहीन लोगों में बांट दिया जाय।

आखिर में मेरा निवेदन यह है कि आज हमारा देश खेतीप्रधान देश है, और खेतीप्रधान देश होने के बाद ज्यादातर हमारे किसान गांवों में रहते हैं और जमीन के ऊपर नाज बोकर जीवन-यापन करते हैं। आप अच्छी तरह से देखें तो आज अनाज बहुत सस्ता हो गया है। आपात कालीन स्थिति की घोषणा के पश्चात् हर क्षेत्र में विकास की भावना आई है, हर एक व्यक्ति में आलस्य की भावना को छोड़कर कार्य करने की भावना आ गई है लेकिन किसानों पर आपत्ति आ गई है। जहां तक अनाज सस्ता हुआ है, वह तो ठीक है। इससे गरीब आदमी अपने पेट की भूख मिटाने की कोशिश कर रहा है। वह मिटती भी जा रही है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो किसान की खेती के काम में आने वाली विभिन्न प्रकार की चीजें हैं–खाद, मशीनरी, डीजल आयल और ट्रैक्टर आदि हैं, इन चीजों के भाव भी ठीक कर दिये जाने चाहिये। आज जब किसान कोई चीज लेता है, तो पहले जहां उसको दो बोरी अनाज देना पड़ता था, आज उसको 5 बोरी देना पड़ता है। तो मेरा सरकार से यह निवेदन है कि किसानों के काम में आने वाली जो अन्य प्रकार की चीजें हैं, उनके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर यहां की सरकार ध्यान नहीं दे तो केन्द्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर इस बोझ को नहीं हटायेंगे तो किसान पिछड़ा ही रहेगा। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आपातकालीन घोषणा होने के बाद जो इस प्रकार की राहत मिली है, इस प्रकार की एक भावना पैदा हुई है। तो इसके बारे में हम सतर्क नहीं रहेंगे, हमारी सी.आई.डी. मजबूत नहीं रहेगी तो अब जो देश में और प्रदेश में चल रहा है जैसे कि आर.एस.एस., आनन्द मार्गी और जमायते इस्लामी आदि हैं, इन संगठनों पर जब तक पूर्णरूप से प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाएगा तब तक यह गतिविधियां बन्द नहीं हो सकती हैं। यह हर स्थान पर अपनी गतिविधियां तेज करते जा रहे हैं। आज संघ के व्यक्ति नारे लगाते हैं, आन्दोलन करते हैं। श्रीमती इन्दिरा गान्धी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यहां पकड़े गये थे। वह जयपुर जेल से अलवर जेल ले जाये जा रहे थे। उनको खुला छोड़ रखा था। रेलवे प्लेटफार्म पर गाड़ी 10.40 पर जाती है। वह खुले रूप में प्लेट फार्म पर नारे लगाते जा रहे थे। पुलिस कर्मचारियों के साथ में हंसते और मखौल करते जा रहे थे। मैं निवेदन करूंगा कि यह कहां की नीति है? हम किस वास्तविकता को प्राप्त करने जा रहे हैं। इधर दिनों दिन उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि सी. आई. डी. का जाल फैला देना चाहिए। जिस प्रकार से वे

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

बच्चों को बहकाकर लाते हैं, इनको पकड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो आर. एस. एस. के व्यक्ति हैं, उनकी लिस्ट बनाकर उनको जेल में डाल दिया जाये जिससे कि यह वातावरण समाप्त हो। जो आनन्द मार्ग के लोग, जमायते इस्लाम के लोग हैं, उनकी पूर्ण रूप से निगरानी की जाये। उनकी जांच की जावे। ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार से बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाय तभी अपनी सरकार को शान्ति मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस आपातकालीन घोषणा के कारण हमको एक अमोघ शस्त्र मिला है। श्रीमती इन्दिरा गान्धी के द्वारा मिला है। विदेशियों ने कई शताब्दी तक इस देश को गुलाम रखा है। विदेशियों के मुंह में इस देश के लिए रसगुल्ले की तरह से पानी आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमारे सच्चे हमदर्द हैं जो हमारे दुःख में शामिल हैं। जो हमारे देश में आराम चाहते हैं, शान्ति चाहते हैं। जो यह चाहते हैं कि हम भाई भाई की तरह से रहें। वह इसी नीति को लेकर चल रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अशान्ति फैलाने वाली एजेन्सियां हैं, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश में हरिजन जाति के कर्जे माफ करने के बारे में निवेदन करूंगा। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कर्जे माफ करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। आदेश प्रसारित करने के साथ में जिन लोगों के पास में 10 एकड़ जमीन है तो उनको स्माल फार्मर माना जाता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में जाकर देखें तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में 10 बीघा, 15 बीघा और 25 बीघा जमीन है। लेकिन उस जमीन में किसी प्रकार का अनाज पैदा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति कर्जे लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस ढंग के किसानों पर जो कर्जा है, उनके साथ में रियायत की जाये। तो वास्तव में जो देश की गरीबी मिटाने के लिए जा रहे हैं, हम इससे गरीबी मिटा सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हम जो सोसाइटी की बात करते हैं, और जैसे कि अन्य कई बन्धुओं ने अपने विचार रखे हैं, मेरा निवेदन है कि सोसाइटी की गतिविधियां बहुत कमजोर है। उनमें विभिन्न प्रकार के कर्जे हैं। कौन से आधार पर लोन दे रखे हैं, यही पता नहीं है। कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनका लोन जमा हो गया है कि नहीं। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। वह जाकर कभी रसीद नहीं लेते हैं। उनका शेयर जमा होना चाहिए, उसके बावजूद वह जमा नहीं होता है। इस बारे में ध्यान दिया जाये तो हमारे प्रदेश का भला हो सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, और यह सुझाव है, अगर अनुसूचित जाति और जनजाति का भला करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि जिस ढंग से खानों के लाइसेंस आप दूसरे लोगों को देते हैं, उनके लाइसेंस बड़े बड़े सेठ और साहूकार लोगों को दिये जाते हैं, जिस प्रकार से पट्टे आदि की व्यवस्था है, यदि यही व्यवस्था हरिजन और अनुसूचित जाति के लिए कर दी जाये, उनका एक कारपोरेशन बना दिया जाये, एक संघ बना दिया जावे, इस प्रकार का एक लाइसेंस बनाकर उनको य'

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

उस संघ को दिया जाये तो वास्तव में उनको राहत मिल सकती है। उनको जो 10 और 15 बीघा जमीन देकर उनकी गरीबी दूर करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकती है। क्योंकि अभी बरसात नहीं हुई तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ। यह घोषणा तो कर दी है कि हमारे प्रदेश में कोई भूमिहीन नहीं रहा है। क्योंकि मैं गांव से पैदा होकर आया हूं इसलिए मुझे इस बात का पता है, मैं यह जानता हूं कि कैसा बीज कैसी जमीन में बोया जाये। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीबों को रोटी-रोजी देना चाहते हैं तो जिस प्रकार से बड़े बड़े साहूकारों को लाइसेंस दिये जाते हैं, उनमें से कुछ चुने हुए उद्योग धन्धे उनको देने चाहिए बाकी इन लोगों को दे देना चाहिए। वह तुरन्त ही गरीबी छोड़ देंगे। धीरे-धीरे उधर चल पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। सेन्ट्रल से फलड के अन्दर हमें ढाई करोड़ रुपया मिला है। आप मेरी नहीं मानते हैं तो फाइल उठाकर देख लें। सैंक्शन हुआ है। पैसा वह देते हैं सड़क, तालाब जो टूट गये हैं, उनके लिए। उनके लिए भारत सरकार से वह पैसा प्राप्त हुआ है। उसके बारे में यह संकेत लाया गया है कि जो सड़क बाढ़ में टूट गई है, उनके लिए 2 करोड़ रुपया रखा गया है और जो बांध और तालाब टूट गये हैं, उनके लिए केवल 50 लाख रुपया रखा गया है।

अब आपसे मेरा यह निवेदन है कि हमें सब प्रकार का रेवेन्यू, सभी प्रकार के फायदे, एक छोटे आदमी से लेकर, एक मजदूर से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक, मगर किसी को भी फायदा मिलता है तो वह सिंचाई के साधनों से न कि सड़कों से। कुछ सड़कों का उपयोग ऐसा हो सकता है जिनसे माल और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने व ले जाने के लिये उपयोग होता हो। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से और अगर वास्तविकता को देखें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा रेवेन्यू अगर मिलता है इस प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तो जो छोटे और बड़े सिंचाई के बांध हैं, जो बड़े-बड़े तालाब हैं जिनसे सिंचाई की जाती है, उनके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, केवल 50 लाख रुपया रखा गया है जब कि बड़ी-बड़ी सड़कों के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इस सारी व्यवस्था के लिए जो भी प्रावधान रखा गया है सिंचाई के बांधों के लिये उस व्यवस्था को पुनः देखा जाय और वास्तव में कमी कहां है और अधिक जरूरत कहां पर है, अनाज कहां से मिलता है, कहां पर कमजोरी है कहां पर गरीबी ज्यादा है उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे तभी मैं समझता हूं कि हम इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मेरा निवेदन यह है, बिजली के बारे में हम घोषणायें तो बहुत सारी करते हैं, गांवों मे बिजली की कई सुविधाओं की घोषणाएं की जाती हैं परन्तु उन घोषणाओं को क्रियान्वित होने की वास्तविक स्थिति की जांच नहीं की जाती है। आज हम खुले रूप में कह सकते

(श्री जयकिशनलाल लोसावड़ा)

हैं कि रेवेन्यू-राजस्व मण्डल में विभिन्न प्रकार की चोर-बाजारी और भ्रष्टाचार हो सकता है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भ्रष्टाचार बिजली विभाग में है उतना भ्रष्टाचार आपको किसी भी विभाग में नहीं मिलेगा। वह क्यों ? इसलिए कि आपके जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं, जो जूनियर इन्जीनियर हैं या जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और एस. ई. हैं सुपरिन्टेंन्डिग इन्जीनियर हैं उनका जो कन्ट्रोल इनके ऊपर होना चाहिए वह आज देखने में नहीं आता है। गाव के लोगों को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के डेपुटेशन, बिजली मन्त्री जी से और मुख्य मन्त्रीजी से भी मिले, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री गिरधारीलालजी व्यास से भी मिले और डी. सी. सी. की मीटिंग में भी इस प्रकार का मसला आया। आज हालत यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर ए. ई. एन. को पैसे नहीं दिये जाते हैं तो क्या किया जाता है। खेतों पर जो किसानों की मशीनें लगी हुई हैं, उस कुए के अन्दर उसकी सील को तोड़कर उसको जेब में रख कर ले जाते हैं और किसान बेचारे बिलबिलाते रह जाते हैं। उनकी जमीन सूखने लगती है, वे गिड़गिड़ा-कर पैरों में पड़ते हैं लेकिन उनके पास दलालों के मार्फत आकर आते हैं, जब तक चार हजार रुपये नहीं दोगे तो मशीन चालू नहीं हो सकेगी और आपके ऊपर उसकी पेनल्टी भी लगेगी और इसके अलावा उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। अब ऐसी हालत में, उपाध्यक्ष महोदय, किसान कहां से बेचारा अपनी रोटी रोजी कमा सकता है और कहां से अपने साधन जुटा सकता है, एक तरफ तो उसकी फसलें जल रही होती हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार की स्थिति उसके सामने हो जाती है। दूसरा उदाहरण मैं चाकसू के कुओं का देना चाहता हूं। चाकसू तहसील के अन्दर जो किसान बिजली के पैसे देते हैं कई वक्त चक्कर लगाने के बाद भी उन किसानों जो अपनी खेती को छोड़कर पैसे जमा कराने जाते हैं, के पैसे जमा नहीं होते हैं और वे तीन-तीन दिन तक वहां पर धक्के खाते रहते हैं। जिनके पैसे ए. ई. एन. के पास चले जाते हैं उनके तो बिल जमा हो जाते हैं और दूसरों के नहीं होते हैं। इस-लिए आप योजनाएं जो चलाते हैं, घोषणायें जो करते हैं उन योजनाओं और घोषणाओं के साथ साथ हमें उनके क्रियान्वयन की जांच करना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी घोषणाओं को झूठ माना जायेगा और हमारी मखौल उड़ायी जायगी। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जाय और नहीं रोका जायगा तो किसानों को और जो समाज का कमजोर तबका है उसको राहत नहीं पहुँचायी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन यह भी है कि आज हम 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर विद्यार्थियों को सब प्रकार की चीजें उपलब्ध कराने की घोषणा कर चुके हैं और कुछ क्षेत्रों के अन्दर उनको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। जो विद्यार्थी होस्टल में रहते हैं, जो विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं उनके लिये तो ठीक व्यवस्था कर दी गई और ठीक चल भी रही है लेकिन जो ऐसे

(श्री जयकिशनलाल लोसावड़ा)

विद्यार्थी हैं जिनको यूनिवर्सिटी में तो एडमीशन मिल गया और कालेज में प्रवेश मिल गया लेकिन उनको होस्टल में, छात्रावासों में जगह नहीं मिल सकी है। वह विद्यार्थी अपने प्राइवेट मकान लेकर रह रहे हैं। उनके लिए न तो खाने के राशन की व्यवस्था है न किताबों की व्यवस्था है। उनके लिए न और अन्य चीजों की ही कोई व्यवस्था है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी स्थिति को देखते हुए आज छात्र वर्ग के अन्दर एक प्रकार की असमंजसता की स्थिति फैल जायगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री की घोषणा के साथ देश को राहत मिली है और मैं कह सकता हूं कि हम देश को बहुत आगे ले जाने की कोशिश में हैं और ले जायेंगे लेकिन जहां पर इस प्रकार की कमजोरियां और कमियां देखने को मिलती हैं तो हम इस आपातकालीन स्थिति के अन्दर भी अगर वास्तविकता को ग्रहण नहीं कर पायेंगे तो हो सकता है कि पुनः पहले जैसी ही स्थिति आ जायेगी और लोगों को जो हम सही रूप में राहत पहुँचाना चाहते हैं वह नहीं पहुंचा पायेंगे। इसलिए इस प्रकार की स्थिति को भी पूरी तरह से जांच करके और विद्यार्थियों को इस योजना का सही रूप से फायदा मिल सके और उनको राहत पहुंचाई जा सके इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आवासीय भू-खण्डों के बारे में मेरा निवेदन यह है, अगर आप इस बात को स्पष्टतः नहीं मानते हैं तो मेरे साथ मेरे क्षेत्र में चलिए ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जायेंगे जहां पर कि जमीन अलॉट होने के रजिस्टर में तो लोगों के दस्तखत हैं लेकिन मौके पर जाकर न तो उनको जमीनें दी गई और न कोई कब्जा ही दिया गया और वे बिचारे भूमिहीन व्यक्ति, जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं है वे इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी तहसीलदार के पास तो कभी पटवारी के पास मिन्नतें करते हैं, कभी एम. एल. ए. से प्रार्थना करते है कभी किसी के पास और कभी किसी के पास जाते हैं लेकिन उनको जमीन नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से उन गरीबों को परेशान किया जा रहा है इसलिए जहां पर उनको पट्टे दिये जायं वहां तुरन्त ही हमारी सरकार के इस प्रकार के आदेश होने चाहिए कलेक्टर की तरफ से तहसीलदार को या पटवारी को कि जिनको पट्टे दिये गये हैं उनको तुरन्त कब्जा मिल जाना चाहिए तब तो हम गरीबी को मिटा सकते हैं और उनके दुःख को दूर कर सकते हैं अन्यथा वे बिलबिलाते रह जायेंगे और समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, गांवों के अन्दर जो जुर्म हो रहे हैं अगर इन दिक्कतों को नहीं सुलझाया गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा यह भी निवेदन है कि जैसी कि अभिभाषण में रिजर्वेशन की बात कही गई हैं इसमें भी बड़ी असमंजसता की स्थिति है। इसके बारे में बार बार निवेदन भी किया गया है और

(श्री ब्रजकिशनलाल तोसावड़ा)

सरकार ने इस तरफ ध्यान भी दिया है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिये यह नियम बनाया गया है कि जब तक 10 व्यक्तियों के प्रमोशन एक साथ नहीं होंगे तब तक उनको भी प्रमोशन नहीं दिया जायगा। आज कल सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का भी सवाल नहीं रहा। आज तो यह हो गया है कि उसकी कार्य कुशलता कैसी है, वह ईमानदारी से कार्य करता है या नहीं। फिर हरिजन जाति के लोगों ने पिछले दस साल से पढ़ना शुरू किया है। उनकी इतनी आकांक्षा है कि हम भी किसी ऊंची कुर्सी पर बैठें, हम भी हमारे जीवन के अन्दर महत्ता प्राप्त करें अच्छाई प्राप्त करें, गौरव प्राप्त करें। लेकिन वह एल.डी.सी. बन कर बैठे हैं, चपरासी बन कर बैठे हैं। ऐसे चपरासी हैं जो एल. डी.सी. की योग्यता फुलफिल करते हैं फिर भी उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। ऐसे एल.डी.सी. हैं जो योग्य हैं यू.डी.सी. बनने के लिए, आफिसर बनने के लिए योग्यता रखते हैं फिर भी उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। मेरा इसके लिए एक सुझाव है, इसके बारे में पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्ला साहब से निवेदन किया था और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन कर दिया है कि जहां से यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की पोस्ट क्रियेट की जाती है, उस स्थान से ही, वह कैसा भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, पोस्ट क्रियेट न हो। यह उनसे निवेदन किया था और इनसे भी निवेदन किया है और अब भी करता हूं और, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन करता हूं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट का कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, उस पर ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की पोस्ट क्रियेट करने की जिम्मेदारी छोड़ दी जाती है। मेरा विचार इससे भिन्न है। उसमें क्या होता है, वह लोग अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार जितनी पोस्ट क्रियेट करना चाहते हैं वह कर लेते हैं, बाकी यों की यों छोड़ देते हैं, इसलिए यह पर्सनल डिपार्टमेंट या होम डिपार्टमेंट से रिजर्वेशन की अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट भेजने देनी चाहिए और उस डिपार्टमेंट के अधिकारी, उस डिपार्टमेंट के कमिश्नर, उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पर जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। साथ ही इस प्रकार के आदेश दे देने चाहिए कि जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा कैन्डीडेट जब तक नहीं मिलता है तब तक चाहे पांच साल बीत जायं, वह पोस्ट यों की यों खाली रखी जाय, तब जाकर हमारी जाति का भला हो सकता है अन्यथा नहीं। क्योंकि अधिकारी क्या करते हैं, उस पोस्ट पर अपने नातेदार अपने सम्बन्धी, अपने दोस्त को लगा देते हैं और राज्य सरकार के पास इस प्रकार की सूचना भेज देते हैं कि इस पोस्ट के लिए कोई कैंडीडेट इस योग्यता का अवेलेबल नहीं है और यदि पोस्ट खाली रखी जाती है तो राज्य सरकार और प्रदेश का कार्य कमजोर पड़ता है। इस प्रकार पोस्ट भर दी जाती है और अपने सम्बन्धियों को उन पर स्थापित कर दिया जाता है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बना दी जाय, जैसा कि वास्तव में आज प्रातःकाल

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

नवेम्बर आवर में यहां डिस्कशन चल रहा था कि स्टाइपेंड पाने वाले विद्यार्थियों को भी आठ घण्टे की ड्यूटी देनी पड़ेगी। इस प्रकार की स्थिति नहीं आ सकती क्योंकि वहां सारे के सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट आ रहे हैं और वह पोस्ट भर जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजना बना कर गरीबों का भला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : दो मिनिट। अभी तो पन्द्रह मिनिट हुए हैं।

श्री विजय सिंह : पन्द्रह घण्टे बोलना है।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : नहीं, पन्द्रह मिनिट !

इसी प्रकार दूसरा मेरा निवेदन यह था, कुए बनाने की स्थिति है, इसका अभिभाषण में उल्लेख है। मेरा निवेदन है कि हमें सारी तहसीलों का सर्वेक्षण कराना चाहिए। उस सर्वेक्षण में यह हो कि कितने कुए बन गये हैं, कितने कुए बनना बाकी हैं, किस किस किसान को कितना कितना कर्ज दे रखा है, कितना लोन दे रखा है। मेरा निवेदन यह है कि 1972 के अन्दर इस प्रकार की कुए बनाने की योजना चली थी। उसके अन्दर ढाई हजार रुपये अनुदान के दिये गये और 2500 बैंक की ओर से दिये गये। मेरा निवेदन है कि अब भी कई किसानों के जब कि उनके कुए बन गये हैं, जितनी बैंक की स्थिति थी उसके अनुसार कुए बन गये हैं लेकिन बैंक के अधिकारी चले जाते हैं, और तमाम व्यक्तियों से अपना शेयर मांगना चाहते हैं, इसलिए किसानों को बाकी की किश्त नहीं मिल पायी है। मेरा निवेदन है कि बाकी की किश्त देने की योजना बनाई जाय और जहां जहां किसानों की आवश्यकता है, जो बीच में लटके हुए हैं, उनको वह प्राप्त करा दी जाय और कुए बनाने की योजना को चालू करें। हमारे प्रदेश के किसान गरीब हैं इसलिए इस अनुदान की व्यवस्था और कर दी जाय, अगर दस बीघा जमीन किसी के पास हो उसका कुआ बना दिया जाय तो वह अपनी जीविका चला सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी की स्थिति का भी इस अभिभाषण में उल्लेख है। इसके बारे में मेरा विचार ऐसा है कि कौन से क्षेत्र के अन्दर पशु धन अधिक है, उस पशु धन की कहां पर कितनी आवश्यकता है, चरागाह कि क्या स्थिति है, खाने पीने की या नवीन किसी प्रकार की चीज की क्या स्थिति है, क्या आवश्यकता है– इस सबका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। वहां घी कैसा है, वह क्षेत्र कैसा है, पशु धन कैसा है– इसके आधार पर डेयरी स्थापित कर दें तो उससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा इसी प्रकार निवेदन है कि चरागाह के लिए कई लोग कहते हैं कि चरागाह अलाट कर देने चाहिए। मैं भी मानता हूं कि चरागाह अलाट कर देना चाहिए और भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि किसी क्षेत्र में चरागाह किस ढंग का है, वहां पर पशु

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

कितने हैं, वहां चरागाह को अलाट कर देते हैं तो पशुधन की स्थिति है, वह स्थिति अच्छी आयेगी या दूसरी ओर स्थिति खराब आयेगी। मेरा निवेदन है कि भूमिहीन भी न रहें और चरागाह भी नष्ट नहीं हों, पशुधन भी नष्ट नहीं हों–सारी स्थिति को लेकर चलें, वैसी की वैसी सारी की सारी परिस्थिति को लेकर चलें तो अच्छा है।

एक मिनिट में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, हाण्डा साहब कहीं सुनते हों तो सुन लें। मेरा उनसे निवेदन है, वह यहां सदन में आकर बिना किसी प्रकार की सूचना के अनर्गल प्रलाप करके चले जाते हैं। कहीं से उन्हें थोड़ा सा कागज मिलना चाहिए, वह उस कागज के आधार पर यहां बोल जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं चाकसू के महन्त की बात कहूं। 1952 से वह कांग्रेस के सदस्य हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कांग्रेस के व्यक्ति के रूप में म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन निर्विरोध रहे और अब भी निर्विरोध म्यूनिसिपेलिटी के चेयरमेन है। उनके इलेक्शन में माननीय फारुक हुसन गए थे, बनवारीलालजी गये थे, कमला वेनीवाल गई थीं और उनका प्रचार करके आये हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर उन पर आनन्द मार्गी का आरोप लगाते हैं तो हाण्डा साहब की बुद्धि की बलिहारी है। वह जो मैगजीन निकली, उसमें बाबा को लिखा गया अवधूत का लैटर है, बाबाजी को अवधूत का लैटर लिखना बाबाजी का आनन्द मार्गी होना नहीं होता। हां, बाबा की तरफ से पत्र होता, हमारे बाबाजी का लैटर होता और आनन्द मार्गी को मिलता तो वास्तव में बाबाजी आनन्द मार्गी हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है इस बारे में, कुछ व्यक्ति जो ऐसे स्वार्थी हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बाबाजी ईमानदारी से काम करते हैं तो कई लोग जो दलाल हैं उनको उनकी ईमानदारी और मेरी ईमानदारी से चिन्ता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के जब आरोप सदन में लगाये जायं, तो मैं राज्य सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वह सी.आई. डी. से जांच करा ले, और सी.आई.डी. से ही नहीं, सी.बी.आई. से जांच करा लें और जांच कराकर वास्तविकता सदन के सामने रखी जाय तब तो हाण्डा साहब की बुद्धि की बलिहारी कह सकता हूं वरना वह अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि यह झूठ है, झूठ है, झूठ है।

मैं अन्त में राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव···

**श्री उपाध्यक्ष :** विराजो आप।

**श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा :** से पूर्ण रूप से सहमति व्यक्त करते हुए पुनः निवेदन करूंगा, राज्य सरकार द्वारा, जिस प्रकार अभिभाषण में जो पाइन्ट और योजनायें रखी गई है, वह जल्दी से जल्दी क्रियान्वित की जाय जिससे देश और प्रदेश का भला हो, विशेष रूप से राजस्थान प्रदेश, जो पिछड़ा हुआ है, मैं विभिन्न योजनायें चालू की जायं ताकि गरीब जनता को साधारण किसान को, मजदूरों को और व्यापारियों को राहत मिल सके। यह मेरा निवेदन है। यह कह कर मैं मेरे विचारों को यहीं सीमित रखना चाहता हूं।

**श्री अजीतसिंह** (टौंक) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने जो अभिभाषण दिया है उसके अन्दर न तो मौजूदा स्थितियों का उल्लेख है, न उन पर गम्भीरता से प्रकाश डाला गया है और न ही भविष्य में क्या सरकार की जो नीति रहेगी उसका ही जिक्र इसमें किया है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। इस अभिभाषण में सर्व प्रथम इमरजेंसी पर कुछ शब्द कहे गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इमरजेंसी 10 साल से लगी हुई थी, फिर इन्टरनल इमरजेंसी लगाकर बिना कारण बताए लोगों को अन्दर किया गया और इसके साथ इस सदन के कई सदस्यों को भी अन्दर किया है। आखिर इस जनतंत्र में उनको अन्दर रखने के क्या कारण थे ? यह जरूर है कि विरोध के अन्दर, कोई भी सरकार, अगर उसकी नीतियों का पालन नहीं होता है, तो कदम उठाए लेकिन आपने जो विरोधियों को अन्दर किया है, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के माननीय सदस्य अंग्रेजों के दिनों में एजीटेशन में गये होंगे लेकिन उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था, अच्छे तरीके से पुलिस व्यवहार करती थी लेकिन उन परम्पराओं को छोड़कर पुलिस कस्टडी में कार्यकर्ताओं की पिटाई करना उचित नहीं है। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, अंग्रेजों के जमाने में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ, वह भी आज देखने को मिल रहा है। जबरदस्ती ले जाना, उनकी पिटाई करना और अन्दर रखना कहां तक उचित है ? उनके घर वाले परेशान हैं, वे भूखे मर रहे हैं, उनको जो अलाउन्स मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। यह बड़ी गम्भीर बात है, सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर कब तक विरोधियों को अन्दर रखना है, क्या फैसेलिटीज उनको देने वाले हैं।

**श्री विजयसिंह** : इन माननीय सदस्य को अन्दर रखा जाए तो पता लगे कि जेल में क्या फैसेलिटीज मिल रही हैं झूठ बोल रहे हैं, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। ये स्वयं अन्दर जायेंगे तो पता लग जाएगा कि वहां कितना आराम है।

**श्री अजीतसिंह** : यह आपकी मेहरबानी है। अन्दर भेजें या बाहर रखें, यह तो आपको निर्णय करना है लेकिन यह तो कोई तरीका नहीं कि बिना समझे इमरजेंसी लगाई, संस्थाओं पर बेन लगाया, पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, दुनियां भर के लांछन लगाकर अत्याचार कर रहे हैं। पहले आनन्द मार्ग पर बेन नहीं था, आर.एस.एस. पर बेन नहीं था तो अगर लोग चले जाते थे तो क्या अन्याय हो गया, पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए लट्ठ लेकर पीछे पड़े हुए हैं। आपने इमरजेन्सी लगाई है, आपने बैन लगा दी है, उसके बाद यदि कोई गैर कानूनी संस्था में जाता है तो उस पर भले एक्शन ले, बाकी पुरानी दुश्मनी न निकालें। तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए इससे जबरदस्त नुकसान सरकार का भी हुआ है और उनका भी हुआ है जिनके कहने से इमरजेन्सी लगाकर अत्याचार करने पर उतरे हुए हैं, वे कभी भी आपके दोस्त नहीं थे। आप रूस के समर्थक हैं उन्होने मिस्र को धोखा दिया है, यही

(श्री अजीत सिंह)

अंगोला में कर रहे हैं। ये आपको क्या निहाल कर देंगे? राज की नीति किसी के पक्ष में हो सकती है, किसी के विपक्ष में हो सकती है। उनसे जो नीति मिल रही है वह ठीक है। उनके कहने पर ही सारे एक्शन्स लें और विरोधियों को बंद कर दें, वन पार्टी रूल की हवा बना दें। और हमें जबर्दस्ती फासिस्ट कहकर चलते हैं। फासिस्ट की डेफीनेशन क्या है? फासिस्ट वही होता है जिसके बाप, बच्चे, परिवार वाले शासन करते चले आ रहे हैं। प्रजातंत्र का आप सत्यानाश कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि आप स्पष्ट कह दें कि वन पार्टी रूल है। लेकिन जबर्दस्ती लोगों को अन्दर घसीटना, उनके साथ मारपीट करना, एजीटेशन करने वालों पर अत्याचार करना, यह उचित नहीं। जिसका बाप मरेगा वह तो रोता है। मेरे साथी जेल जाते हैं तो मैं कहूंगा ही कि उनको छोड़ो। आप उन पर केस चलाइए लेकिन यह तरीका नहीं कि उन पर अमानवीय व्यवहार किया जाए, उनको बंद रखकर उनके बाल बच्चों को भूखा मारा जाय, यह नीति की बात नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

विरोधी पक्ष वालों के साथ आप इस तरह के अन्याय करें, उनके क्षेत्रों में विकास कार्य बंद कर दें, यह न्यायोचित नहीं। आपने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, यह अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं, आप भले ही 100 सूत्री कार्यक्रम बनायें। आप जो भी कानून पास करेंगे, बहुमत का राज्य है, पास कर देंगे, हम सब मानेंगे। अगर हम उसका विरोध करते हैं तो आप हमें अन्दर कर सकते हैं, यह बात स्वीकार की जाती है लेकिन यह कौनसा तरीका है कि हमारे क्षेत्रों के सारे विकास कार्य बंद कर दें। आपने कमेटियां बनाई, उनमें अपने आदमी रखे कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो विकास कार्यों से फायदा मिलने वाला है उससे हमारी कान्सटीट्यूएन्सी के लोगों को वंचित करें, यह न्यायोचित नहीं है। जनता ने ऐसा कौनसा अन्याय किया है कि आप उनको सिंचाई से, सड़कों इत्यादि से वंचित करें।

इमरजेन्सी लगाई उसके लिए हम पर जबर्दस्ती आरोप लगाया लेकिन भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए टैक्सेज सारी की सारी ऐसी बातें हैं जिनसे जनता में असंतोष है। आप उनका दोष हमारे माथे लगा रहे हैं। जब तक कोई दुखी नहीं होता तब तक हड़ताल नहीं करता। आज भाई भाई की नहीं मानता, आप आशा करते हैं कि हमारे कहने से कोई एजीटेशन करेगा, हड़ताल करेगा? आपके खुद के कारनामे ऐसे हैं, आपने गलत निर्णय लिया, योजनायें बनाई, गलत तरीका अपनाया उसका फल भुगत रहे हैं। मजदूरों की हड़ताल हटाई, फिर यूनियन्स कैसी? हमारा तो लेनदेन नहीं। आपने उनको अधिकार दिया हड़ताल करने का, आपने ये सारे काम किए उसके नतीजे आप भोग रहे हैं।

यूनिवर्सिटीज में यूनियन्स बनाई गई, उससे असंतोष हुआ, आपने उनको यूनियन्स बनाने के अधिकार दिए। जब यूनियन बनती है तो उसका दुरुपयोग भी होता है, नाजायज तरीके से फायदा भी उठाते हैं। आखिर

Page No 76



(श्री अजीत सिंह)

यूनियन बनाकर आप उनको कन्ट्रोल नहीं कर सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, आप उसका फल भुगत रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। जो आपकी खास दिक्कतें हैं उनका हल किए बगैर न फायदा आज होने वाला है न कल। समस्या का समाधान जनता मांगेगी और आपको करना ही पड़ेगा। जो शासन पर बैठेगा उसको निश्चित रूप से करना है।

बेरोजगारी का भयंकर तांडव देश के सामने चल रहा है, उससे हमारा प्रांत अछूता नहीं है, हर नौजवान बेरोजगारी के चक्कर में आपके पास भी आता है और हमारे पास भी आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपने बेरोजगारी की समस्या के लिये क्या किया है। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने नई फैक्ट्रीज लगाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जब कि पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आपने कहा था कि हम राज्य में फैक्ट्रीज लगायेंगे ताकि लोगों की बेरोजगारी की समस्या का हल निकले। उसमें आपने एक बड़ी भारी लम्बी लिस्ट दी थी। लेकिन वह उद्योग कहां कहां खोले जावेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, जब तक आप निराश्रितों और बेरोजगारों को काम नहीं देंगे तब तक मैं समझता हूँ कि आपके सामने यह समस्या हमेशा ही मुंह फाड़े खड़ी रहेगी। और इसका समाधान भी कुछ नहीं होने वाला है। आज कहीं भी कारखाने नहीं चल रहे हैं। नये की बात तो छोड़िये जो पुराने कारखाने थे उनमें से कुछ बन्द पड़े हैं। और अगर लोग इसके बारे में बोलते हैं तो आपने इमरजेन्सी लगा रखी है आप उनको पकड़ कर अन्दर कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को सिर्फ अन्दर करना ही इस समस्या का समाधान नहीं है।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की जो सहूलियतें थीं उनको भी आपने आज हटा लिया है। जिससे मजदूर वर्ग में बहुत ज्यादा असन्तोष है। मजदूरों को जो बोनस मिलता था उसको आपने बन्द कर दिया है और उसके साथ साथ में उनकी कई दिक्कतें थीं उन्हें भी बंद कर दिया है। बेचारे मजदूर इमरजेन्सी लागू होने की वजह से मुंह से बोल नहीं सकते। उनका मुंह बन्द है। आपने उनकी सहूलियतों से उन्हें वंचित कर दिया है। यह ठीक है कि आज वह लोग इमरजेन्सी के कारण स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं लेकिन आखिर आपकी यह क्या व्यवस्था है। आज उनके मन के अन्दर ही अन्दर आग भड़क रही है। अभी थोड़े दिन पहले यहां पर एक मजदूर की मृत्यु हो गयी और आपने उसको 20 हजार रुपया दिला दिया, जो उनकी बेवा थी उसको। पर सिर्फ 20 हजार रुपये देने से ही क्या आपका पिन्ड छूट जायेगा क्या? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हजारों घटनायें होती हैं लेकिन इमरजेन्सी के कारण बाहर नहीं आ सकती हैं। इन सभी समस्याओं के प्रति आपको एलर्ट रहने की जरूरत है। वरना यह आग बहुत भारी भड़केगी। यह ठीक है आपने हम लोगों के मुंह पर और मजदूरों के मुंह पर पट्टियां लगा दी हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निश्चित तौर से कह सकता हूँ

(श्री अजीत सिंह)

कि यह बेरोजगारी की समस्या है और यह मजदूरों को जो आये दिन परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनका राज्य सरकार ने अगर समाधान नहीं किया तो यह बहुत भारी उग्र रूप धारणा कर लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जनता में भारी असन्तोष है। हर वर्ग में असन्तोष है। उसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक आपके सामने आये दिन यह समस्यायें आती रहेंगी। इसके अलावा आज देश में भारी मंहगाई है। काश्तकार की फसल की कीमत गिर रही है लेकिन दूसरी तरफ काश्तकार को जो अपनी खेती के लिए उपयोगी चीजें बाजार से खरीदनी पड़ती हैं वह बहुत ही मंहगी मिलती हैं। आप काश्तकार के गेहूं को खरीदते हैं उसके भाव नीचे जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं आज बाजार में 105 से भी नीचा जा रहा है इससे काश्तकार बहुत ही दुखी हैं। तो जब तक आप उसका समाधान नहीं करेंगे तब तक उसके मन में आग भड़केगी। एक तरफ मजदूर वर्ग में असन्तोष है दूसरी तरफ काश्तकार को अपने प्रोडक्शन के पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं। वह सोचता है कि वह किस प्रकार खेती करे। तो मेरा निवेदन है कि आप कुछ ऐसे उपाय कीजिये जिससे उनको राहत मिले। इसके लिये आपको कीमतों पर अंकुश रखना होगा। इसके बारे में आपको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा भ्रष्टाचार के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से इमरजेन्सी लगी है तब से हमारे देश में भयंकर भ्रष्टाचार फैला है। हमारा तो, जो कि विरोधीपक्ष के लोग हैं उनका तो मुंह बन्द है, कुछ बोल नहीं सकते पर मैं यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार इस इमरजेंन्सी में बढ़ा उतना पहले कभी नहीं था चूंकि देश में विरोधियों का मुंह बन्द है, सरकारी अफसर आज भयंकर रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, नाम के लिये आपने लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना की है। इसके अलावा जिला स्तर पर ग्रिवान्सेज कमेटियां बनायी हैं पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त को रिपोर्ट करता है और अगर कहीं भी थोड़ी ढील रह जाय और जुर्म साबित नहीं हो तो उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है तो लोग इस डर के मारे कुछ भी नहीं करते। इसके अलावा जो ग्रिवान्सेज कमेटी जिला स्तर पर बनी हुई हैं उसमें भी जनता को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जिन सरकारी अधिकारियों की खिलाफत करते हैं कलेक्टर द्वारा उनको बचा लिया जाता है या उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्योंकि कलेक्टर उस ग्रिवान्सेज कमेटी का चेयरमैन होता है। जो भी इन्क्वायरीज होती हैं वह उन्हीं के द्वारा की जाती हैं और उसका नतीजा यह होता है कि इन्क्वायरी करने वाले

(श्री अजीत सिंह)

वही फैसला करने वाले वही तो इसमें भ्रष्टाचारी व्यक्तियों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि तीन तीन साल तक लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट्स की हुई पड़ी रहती हैं और ग्रिवान्सेज कमेटी उन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेती है क्योंकि उन कमेटियों का चेयरमैन कलेक्टर होता है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आपको चाहिये कि आप चाहे विरोधी एम. एल. एज. को उन कमेटियों के चाहे चेयरमैन नहीं बनायें लेकिन आप जिस प्रकार याचिका समिति के चेयरमैन कांग्रेसी एम.एल.एज. में से यहां बनाया हुआ है उसी तरह आप वहां भी कलेक्टर को चेयरमैन नहीं बनाकर ग्रिवान्सेज कमेटी का चेयरमैन किसी कांग्रेसी एम.एल.ए. को बना दो ताकि लोगों को राहत मिले। अन्यथा कोई कार्यवाही नहीं होने वाली है और भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस ओर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो आपने कलेक्टर को वास्ट पावर्स दे रखी है। वह किसी में इन्टरेस्टेड होता है या किन्हीं कारणों से उनका निपटारा नहीं कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा में, उपाध्यक्ष महोदय, आज आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज आपने शिक्षा की कई लाइन बना रखी है। कहीं आपने प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, और सैकन्डरी स्कूल्स खोल रखे हैं। कभी और कोई चेन्ज करना चाहते हैं लेकिन आपकी जो यह एजूकेशन है वह बेरोजगारी ही बढ़ा सकती है। आपको चाहिये कि शिक्षा के साथ साथ उद्योगों के लिये भी एजूकेशन दी जानी चाहिये। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां फैक्ट्रीज हो वहां पर उन लोगों को फैक्ट्रीज में काम सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये आपको चाहिये कि उन्हें हफ्ते में एक दिन वहां ट्रेनिंग दी जाय और उसके लिये उन्हें कुछ पैसे भी मिलने चाहिये ताकि उन लोगों में उसके प्रति लगाव बढ़े। इसी प्रकार गांवों में आपको चाहिये ताकि उन लोगों में उसके प्रति लगाव बढ़े। इसी प्रकार गांवों में आपको चाहिये कि आप गांव के लोगों के बच्चों को खेती की अनिवार्य शिक्षा दें। गांवों में काश्तकारों के लड़कों को आप खेती की शिक्षा देने के लिये जमीन भी दे सकते हैं, पंचायत समितियां भी जमीन दे सकती हैं। इससे काश्तकारों के बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। आप बच्चों को उद्योगों के लिये फैक्ट्रीज में भी काम सिखाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिये आप एक बात तो तय कीजिये कि आपको कैसी एजूकेशन देनी है। जब तक उनको एट्रेक्शन किसी प्रकार का नहीं देंगे तो इसका समाधान होना मुश्किल है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपको गांवों के स्कूल्स में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एग्रीकल्चर की एजूकेशन देनी चाहिये और शहरों में फैक्ट्रीज का काम सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि बेरोजगारी मिटे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में थोड़ा आपको राजाओं की भूमि के सम्बन्ध में कुछ

(श्री अजीत सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजाओं की भूमि अधिग्रहण के बारे में कहा है । आज जिन लोगों ने सन् 59 में राजाओं की जमीन खरीदनी है आप उनसे भी वह जमीन वापिस ले रहे हैं और बेचारे गरीबों को उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है । इन बेचारे गरीब लोगों को सन् 59 में यह सपना थोड़े ही आ रहा था कि अगर हम यह जमीन लेंगे तो राजाओं की जमीन बा ली जायेगी तो हमें भी हमारी जमीन, जो मने राजाओं से ली है, से बेदखल कर दिया जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, पहले राजा लोग अपने बड़े बड़े फार्म रखते थे जिनमें पने घोड़ों के लिये घास उगायी जाती थी । इयों में खेती होती थी । शिकारगाहों की मीनें होती थीं । जब राजाओं का राज माप्त हुआ तब उन्होंने बहुत पहले उस जमीन को काश्त करने के लिये कई काश्तकारों को बेच दी । आज राजाओं की उस बेची हुई जमीन से सैकड़ों परिवारों को बेदखल किया जा रहा । यह तो एक सरासर अन्याय है । इसमें न गरीबों का क्या कसूर है जो लोग आज पिछले 15 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और आपने उनका उस जमीन पर कब्जा नहीं मानते हुए उनको बेदखल कर दिया है दूसरा उनके पास कोई धन्धा नहीं, आप उन्हें कोई धन्धा दे नहीं सकते तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये आप कोई समय तो निश्चित कर दें कि इतने समय पहले जिस जमीन पर कोई काश्त कर रहा है तो उसको बेदखल नहीं किया जायेगा । आज 15-18 साल हो गये हैं बेचारों को जमीन पर काश्त करते हुए उन्हें तो कम से कम आप काश्त करने दें । तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार उन लोगों के लिये गम्भीरता से विचार करेगी ।

इसके साथ ही अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि 1000 आदमियों को सेवा निवृत्त कर दिया गया है बिना कोई कारण बताये । अपील भी मुख्य मंत्री के पास होती है । आखिर आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ ? कोर्ट में जा नहीं सकते । इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन मामलों को दबा कर न बैठें । जो भी फैसला करना हो वह कर दीजियेगा ताकि ग्रिवान्सेज तो लेकर कोर्ट में जाना चाहे तो जावें ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ सरकारी बचत के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया । दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा । ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है । उनकी कटौती करके बचत करिये लेकिन आपने जिस प्रकार से कटौती करके बचत बतायी यह उचित व्यवस्था नहीं है ।

सैटलमेन्ट डिपार्टमेंट निकृष्ट डिपार्टमेंट है काश्तकारों को परेशान करने वाला डिपार्टमेंट है । उसके लिए कोई कानून नहीं है । मन चाहा जिसको जमीन दे दी । चरागाह दे देते हैं । आपने सैटलमेंट के लिये कोई कानून नहीं बनाया है । क्या पावर्स हैं चरागाह बना देते हैं, चरागाह को सिवाय चक बना देते हैं । मन चाहे जिस प्रकार कर देते हैं । मैंने कई

(श्री अजीत सिंह)

बार निवेदन किया राजस्व मंत्रीजी से कि आप सैटलमेन्ट में अमीन का ग्रूप बना कर जिला वाइज तय कर दें ताकि रद्दोबदल कइयों में होता है तो तहसील में लाकर महीने दो महीने में जैसा भी उचित समझे, वैसे वहां पर उस रिकार्ड को पूरा कर लें जिससे हर एक को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वरना तो होता यह है कि सैटलमेंट कराओ, नक्शे बने नहीं, कागज तैयार हो नहीं दस साल में जाकर पर्चे बांटते हैं तो सारा नक्शा ही तब तक बदल जाता है। इस तरह से इस प्रकार के सैटलमेंट से कोई फायदा नहीं है। इस ओर ध्यान दें आप और इसको तुरंत बन्द करें।

सरकार ने तीन नये बोर्ड और बना दिये हैं और तीनों को मंत्री स्तर की सुविधायें प्रदान की हैं। तीनों चेयरमैन बनाये वे पहले मंत्री रह चुके हैं। मंत्री ही बना देते तो क्या हर्ज होता। बोर्ड के क्या काम हैं उसके प्रति भी विशेष जानकारी भाषण में दी नहीं। नाजायज जो खर्चा बढ़ाया है उसके लिए मुझे आपत्ति है। या तो इनको मंत्री बनाओ और काम लो। क्या प्रोग्रेस है और ये क्या करेंगे—यह भी नहीं बताया है इसमें। इससे कोई फायदा नहीं। कम खर्चा करने वाली बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह से खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं और खर्चा बढ़ाने की बातें बता रहे हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

लेवी के सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। आपने खर्चा किया है। 7 करोड़ का घाटा इस पर आया है। आपने बोनस देने वाली बात की थी। यह कहां है? आपने किसानों से वायदा किया था, बोनस दिया जावेगा। आपको बोनस मिलेगा। किस तरह से उसका उपभोग होगा यह तो तय नहीं किया। घोर अन्याय किया है हमारे साथ। बोनस देने का वायदा दिया, लेवी के सम्बन्ध में बात आयी, बोनस देने वाली बात कही थी, आपने कोई राय प्रकट नहीं की इस पर, कितना बोनस बना और उसका उपयोग किस प्रकार होगा। सरकार इस पर भी जवाब दे। बताये कि बोनस के पैसे को किस प्रकार से उपयोग में लेंगे।

डेयरी के सम्बन्ध में भी बातें बहुत कही गयीं। डेयरी योजना के तहत टोंक भी आता है। दो तीन साल हो गये, हमारे यहां प्लान्ट लगाया वह बंद पड़ा है। लाखों रुपया खर्च कर दिया लेकिन बन्द पड़ा है। लोग इसके बारे में पूछते हैं कि यह क्या बना। दूध कब खरीदेगी सरकार? लोगों ने जानवर खरीद लिये। अब प्लान्ट अनुपयुक्त है। इस तरह डेयरी की योजना को चलायेंगे तो मेरी समझ में नहीं आवेगा कि वर्ल्ड बैंक से रुपया ले रहे हैं जबरदस्ती का कर्जा और क्यों बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको करना है तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू करिये।

20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया और बड़ा भारी उसके लिये जोर लगा रखा है। बड़े बड़े अफसर लोगों को लगा रखा है 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरा करो। अलाटमेन्ट के सिवाय और कुछ नहीं किया है।

(श्री अजीतसिंह)
समारोह हो रहे हैं। कार्यक्रम पूरा करना है तो सही ढंग से करिये जिससे काम हो।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करिये।

**श्री अजीतसिंह** : एक ही मिनिट।

भूमि अलाटमेंट के लिए भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। 150 गज स्क्वायर एकड़ में तो जानवर भी नहीं बंध सकते। इतनी थोड़ी सी जमीन में वह घर कैसे बना लेगा। आपने सौ सौ रुपया लेकर सोसाइटियां बना दीं। लोन देने वाली बात नहीं। प्रश्नोत्तर में मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो भी उन्होंने एश्योर नहीं किया कि कब तक पैसा मिल जावेगा। यदि पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम सौ-सौ रुपया तो वापिस दीजियेगा। गरीबों के रुपये लेकर आपने रख लिये। बाकी पैसा देने के लिये नहीं है।

हमारी इन्दिरा गांधीजी आयीं। सांगानेर के बीच मकान बनाने के लिये पट्टे दिये गये। 1600 रुपये मिले। आधा मकान बना है और छत गायब है। पूरे पैसे देने हैं तो उनको दें। हर बार मंत्री जाते हैं और उद्घाटन करते हैं। दुनिया भर का खर्चा लगता रहता है। एक बार पूरा पैसा लगवा कर मकान बनवा दीजियेगा। जितना आप फाइनेन्स कर सकते हैं उतना करिये। सोसाइटी बना दीजिये और मकान पूरा करायें। इससे कोई फायदा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उनको अटका दिया। क्या नीति है राज्य सरकार की? आप जो भी टार्गेट रखें लेकिन उनको पूरा तो करवाओ। आधा काम होने से और अधिक परेशानी बढ़ जाती है। इसलिये जो भी योजना बनाओ वह पूरी बनाओ और उनको क्रियान्वित करो तब ही लाभ होगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

(अनुपस्थित)

**श्री चतुर्भुज।**

**श्री चतुर्भुज (टोडाभीम)** : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों ने इस सदन के अन्दर काफी प्रकाश भी डाला है। हमारी बहिनजी ने विस्तार से कहा। मैं उसका भी स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में ज्यादा न बतला कर दो तीन बातें ही कहना चाहता हूं।

कई बातों पर विचार किया लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में हमारे राजस्थान में राज्य सरकार की नीति कामयाब हुई है। मैं मानता हूं हमारे गरीबों को बहुत ही राहत मिली है और मिलेगी।

सीलिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूं आज भी कई कानून हैं लेकिन कानून को टेढ़ा निकाल कर बच निकलते हैं–कानून की सीमा में आते ही नहीं हैं इसलिये कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा इसको वास्तविक रूप में देखा जाय और जो भूमि की सीमा निर्धारित कर रखी है उसके आधार पर सख्ती से कार्यवाही की जाय। आज हमारे राजस्थान में कम से कम 10 लाख एकड़ ऐसी जमीन

(श्री चतुर्भुज)

है जो सीलिंग के तहत ली जा सकती है। जो पांच आदमियों के परिवार घोषित करने का हुआ है उसमें झूठी खातेदारी दर्ज करा रखी है। सीलिंग की सीमा से ज्यादा जमीन उनके पास मौजूद है। 500–500 बीघा जमीन करा रखी है और गलत नाम दर्ज करा रखे हैं। मैं कहता हूं ऐसे गलत सलत नाम, जो झूठे खातेदारी में हैं, को कानून से नहीं पकड़ा जा सकता है और कानून बनाने से कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि वे कानून को पकड़ में आते ही नहीं हैं। ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्यवाही की जाय।

आज लाखों एकड़ जमीन सेठों के पास है, बड़े-बड़े फार्म हैं उनको कौन देखे, कौन पकड़े, कौन तलाशी ले? ऐसी हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, राजस्थान के अन्दर 10 लाख एकड़ जमीन से कम नहीं है, अगर ईमानदारी से क्रियान्वित करें तो राजस्थान सरकार को काफी फायदा हो सकता है और राजस्थान में खेती की जमीन की कमी नहीं रह सकती है। मैं राज्य सरकार से आशा करता हूं हमारे सीलिंग कानून के तहत जितनी भूमि है उसको सरकार अपने कब्जे में करे।

(2.40 म. प)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

और गरीब भूमिहीन लोगों को बांटे...

श्री गोकुल चन्द : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, इस सारे कार्यक्रम को किया जाय तो लाखों एकड़ जमीन मिल सकती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि...

श्री गोकुलचन्द : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(माननीय सदस्य के बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री सभापति : (गण पूर्ति के पश्चात्) माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि या तो राज्य सरकार घोषणा करे नहीं और करे तो उसको पूरा करे जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा आज हम ढाई हजार वाले आबादी के गांव में क्रियान्वित नहीं करेंगे तो ये अपोजीशन के लोग बहकाते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो घोषणा करें उसको पूरा करें नहीं तो घोषणा ही नहीं करें और इसलिये राज्य सरकार से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं जो घोषणा करते हैं, अगला कानून बनायें या नहीं बनायें, अगला काम करें या नहीं करें लेकिन जो घोषणा करते हैं उसको अवश्य पूरा करें ताकि जनता को बहकाने के लिये मौका न मिले।

(अश्रव्य)

माननीय सदस्यों ने आलोचना की तो यह आलोचना तो अपोजीशन का काम है, हमें आलोचना नहीं करनी चाहिये। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं ढाई हजार की आबादी की कार्यवाही को सरकार शीघ्र क्रियान्वित

(श्री चतुर्भुज)

करे। इसके साथ दूसरा निवेदन यह भी करना चाहता हूं···

(व्यवधान)

मंत्री महोदय 13–10–75 को पधारे थे उन्होंने अपनी आंखों से देखा देवली शहर है, उसमें काफी जन संख्या है लेकिन वहां प्रसूति गृह की कमी है। मंत्री महोदय आज हमारे सामने हैं मैं स्वागत करता हूं···

(व्यवधान)

आपने भी विश्वास दिलाया था प्रसूति गृह खोलने के लिये। हमारे यहाँ बिना प्रसूति गृह के बड़ी भारी कठिनाई होती है। राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं प्रसूति गृह जरूर खोले।

दूसरा मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो कालेज है उसको मान्यता नहीं मिली है। उसको मान्यता मिल जाय तो अच्छी बात है। मान्यता नहीं मिलने से कुछ विद्यार्थियों में, कुछ कार्यकर्ताओं में यह बात रहती है कि अभी मान्यता नहीं है। मैंने कहा राज्य सरकार से मंजूरी मिल जायगी···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं ज्यादा न बोल कर सरकार का स्वागत करता हूं। मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं सरकार को अपने सुझाव दें, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि वे सरकार की आलोचना करें और आज जो हमारे प्रधान मंत्री ने कार्यक्रम किया है उससे बहुत लाभ हुआ है और लाभ होगा। मैं आशा करता हूं और राज्य सरकार से आखिरी बार और कहना चाहता हूं जो काम करना हो तो घोषणा करें नहीं तो नहीं करें।

श्री सभापति : श्री बी. एन. जोशी।

श्री बी. एन. जोशी (बान्दीकुई) : सभापति महोदय, सदन में विचारार्थ जो धन्यवाद का प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस देश में हमने जो प्रजातन्त्र स्थापित किया है वह आज भी प्रजातन्त्र की शक्ल में हमारे तजुर्बे और अनुभव के आधार पर खड़ा है जब कि हमारे पड़ोसी देशों में–एशिया और अफ्रिका के देशों में यह प्रजातन्त्र का नया पौधा बदकिस्मती से मुरझा गया है, झुलस गया है और जहां-जहां प्रजातन्त्र स्थापित हुआ था वहां–वहां आज प्रजातन्त्र की हालत खराब हो गई है और हमारा भारत देश ही सौभाग्य से आज एशिया में ऐसा देश है जो जनतन्त्र के परीक्षण को सफलतापूर्वक चला रहा है। हमारे सामने जनतन्त्रीय शासन प्रणाली का परीक्षण एक शासन प्रणाली के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवन प्रणाली और एक जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया है। उसमें बहुत सी बाधायें और बहुत सी कठिनाइयां आई हैं और आना भी स्वाभाविक था।

असलियत मे प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि कुछ प्रिकण्डीशन्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो मौलिक आवश्यकतायें हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए वह समाज में या देश में उपस्थित नहीं होतो वहां प्रजातंत्र का चलना

(श्री बी. एन. जोशी)

बहुत दुश्वार हो जाता है। उनमें से एक है राष्ट्रीय उद्देश्यों के विषय में, राष्ट्रीय लक्ष्यों के विषय में जनता में वस्तुतः मतैक्य होना चाहिए, यूनेनिमिटी होनी चाहिए। हमारे देश जिसमें इतने प्रकार के धर्म, जाति, भाषायें और संस्कृतियां रही हैं आदिकाल से उस देश में राष्ट्रीय लक्ष्य के बारे में मतैक्य होना सम्भव भी नहीं है। पहली आवश्यकता है प्रजातंत्र की कि country must be united on fundamentals वह शुरू से नहीं है। उसके साथ ही नागरिक समाज में राजनैतिक चेतना की भी आवश्यकता है और राजनैतिक जागृति की भी आवश्यकता है और चेतना या कान्शसनेस केवल उनके अधिकारों के बारे में ही नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके कर्तव्यों के बारे में भी होनी चाहिए। तो जहां तक कर्तव्यों के विषय में चेतना का सवाल है, जागृति का सवाल है हमारे देश, जो कि सैकड़ों वर्षों से गुलाम था, में उस चेतना का अभाव था। यह दूसरा हैण्डीकैप था जिससे कि हमको इस देश में काम करना पड़ा है। इसलिए खास तौर से इन्डियन नेशनल कांग्रेस ने प्रजातंत्र की नींव इस देश में डाली और जनतत्र के लिए संविधान बनाया और हमारा देश इतना बड़ा है कि जो एक महाद्वीप के बराबर है वहां पर इतने बड़े पैमाने पर प्रजातंत्र को कायम किया और हमारे देश को बड़े नाजुक दौर से गुजरना पड़ा। खुशी की बात है कि जो भी परेशानियां हमारे सामने आईं उनके निराकरण के लिए हमारी दूरदर्शी प्रधान मंत्री ने कुछ कदम उठाये हैं–उसके औचित्य के विषय में और आवश्यकता के विषय में कहना कतई जरूरी नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि लोगों को पूरी वाकफियत है और पहले बोलने वाले वक्ता इस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं।

जो देश के लिए हमारी प्रधान मंत्री ने बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है उस कार्यक्रम को सफल बनाना और भारत के प्रजातंत्र को जीवित रखना नितान्त आवश्यक है और उसको सफल बनाने के अतिरिक्त हमारे राष्ट्र के सामने दूसरा विकल्प नहीं है। इन सारी परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अत्यन्त गम्भीरता से इस सारे कार्यक्रम को लेना चाहिए और हमारा नजरिया या दृष्टिकोण ठोस और रचनात्मक होना चाहिए और इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यक्रमों में पहले कुछ भूलें हुई हैं जिन्हें हमें नहीं दोहराना चाहिए। मिसाल के तौर पर राज्य के समस्त जिलों में अभियान के तौर पर भूमिहीन किसानों को जमीन आवंटित करने का कार्यक्रम हमने चलाने का निर्णय लिया। उसके बारे में काफी पब्लिसिटी हुई और पब्लिसिटी होना जरूरी भी है प्रजातंत्र में अगर पब्लिसिटी नहीं होती है तो बेनिफिशियरीज का कैसे पता लगे। भिन्न-भिन्न स्तर पर एस. डी. ओ. ने पब्लिसिटी कराई और उसमें खर्चा भी हुआ? उस पब्लिसिटी से प्रभावित होकर और जानकारी प्राप्त करने के बाद बहुत हर्ष और उल्लास की लहर भूमिहीन लोगों में दौड़ी और बेघर-बार लोग, जो कि बेरोजगारी के शिकार होकर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या अहमदाबाद चले जाते हैं, रोजगार के लिए वह सैकड़ों की तादाद में अपने गांवों में लौट कर

(श्री बी. एन. जोशी)

आये। उन्होंने फार्म भरे, पटवारियों से नम्बर लेने के लिए काफी रुपया खर्च करना पड़ा और गिरदावरों या सरपंच वगैरह को तलाश किया और जहां भी वह काम काज करते थे उनको मजदूरी का नुकसान हुआ, उन्होंने आने जाने का खर्चा वहन किया और जैसा कि हम जानते हैं हमारे लो लेवल पर बदकिस्मती से बहुत सी अनियमिततायें भी हैं। तो पटवारी वगैरह से नम्बर लेने में काफी समय उनका लग गया। उसके बाद यह हुआ कि चरागाह के अलाटमेन्ट के मामले में, जो कि ऐसा समय था कि जिसके बारे में अलग अलग तरह की देरी विभिन्न स्तर पर थी, वह एक रियल डिफिकल्टी हमारे सामने थी लेकिन वह ऐसी दुश्वारी नहीं थी कि जिनकी हमें कल्पना नहीं थी। उसके बारे में हमको पूरी जानकारी थी और जो भी निर्णय लिया जाना चाहिए वह लेना चाहिए था और उसके बाद ही अभियान प्रारम्भ करना चाहिए था और यह नहीं करके सारा कार्यक्रम शुरू कर दिया और पब्लिसिटी करा दी। हजारों लोग आये और उन्होंने अपना पैसा और समय भी बरबाद किया और अब मिलने का समय आया तो वन फाइन मार्निग यह घोषणा हो गयी कि यह अभियान जो अलाटमेन्ट का था वह साइने डाई एडजर्न हो गया और बिना किसी निश्चित तारीख या समय के उनको मुल्तवी करना पड़ा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उससे लोगों को बड़ी जबरदस्त निराशा हुई और बड़ी मायूसी आई और जो उम्मीद लेकर अपना काम छोड़ कर आये थे अपना खर्च करके वह बहुत हताश हुए और हम यह भी बताने की स्थिति में नहीं हैं कि किस समय हम इस अभियान को पुनः शुरू कर पायेंगे और उन्हें जमीन भी मिल पायेगी या नहीं मिल पायेगी। तो जहां हमने उनमें आशायें जागृत की थीं और उनमें जितना नये जीवन का संचार हुआ था उतनी ही मायूसी हुई और ऐसा समय आया कि मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रगतिशील कदम के लिए बहुत ही हानिकारक और ठेस पहुँचाने वाला है और जनता में भ्रम पैदा करने वाला है। तो ऐसी गलतियां हम कर देते हैं। पब्लिसिटी हो जाती है और फिर भी वह काम पूरा नहीं करते। तो ऐसा होना उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिसिटी निहायत जरूरी है प्रजातन्त्र के समय में लेकिन इससे पचासों गुना जरूरी है वह जो कि ठोस काम हम करना चाहते हैं गरीब लोगों को राहत देने के लिए या उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये। यह एक बात थी।

इसी तरह से बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन का सवाल है यह ठीक है। राज्य सरकार ने फैसला यह किया कि कुछ ऐसे लोग भी हमारी सेवाओं में हैं जिनका काम सन्तोषजनक नहीं है, जिनका परफार्मेंस सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, उनका आचरण भी सन्देह से परे नहीं है और हर प्रकार की अनियमिततायें करने के आदि रहे हैं और जिनकी कान्फीडेन्शल रिपोर्ट भी ठीक नहीं है, उनका रिकार्ड भी अच्छा नहीं है और बार बार वार्निग देने के बाद भी वह अपने आपको नहीं सुधार सकते उनको राज्य सेवा से अलग किया जाना चाहिए। अतः यदि हमें स्वच्छ शासन देना है तो मैं इससे बिलकुल सहमत हूं कि राज्य सरकार ने जो इस दिशा में काम किया है वह ठीक है लेकिन मैं यह

(श्री बी. एन. जोशी)

निवेदन करना चाहूंगा, हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि यथा सम्भव एक ही आदमी हमारी शक्ति में ऐसा नहीं आ जाये जिसके बारे में निर्णय लेते समय हमसे गलती हो जाय और वह बेकसूर हो और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की नाराजगी की वजह से वह कोप का पात्र बन सकता है और उसका अकारण ही हमारे द्वारा नुकसान हो जाय। तो इससे हमारे अभियान को ठेस पहुंचेगी और राज्य सरकार और हमारी सर्विसेस अगर डीमोरेलाइज होती हैं तो अन्ततोगत्वा उनकी एफीशियेन्सी पर फर्क आयेगा। अतः सिक्योरिटी आफ टेन्योर राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत आवश्यक है। सारा परिवार कर्मचारी के ऊपर आश्रित रहता है। इस मामले में गलत फैसलों के फलस्वरूप उनके साथ गलत फैसला हो जाता है और जो लोग नहीं निकाले जाने चाहिए उनको निकाल दिया जाता है और इसके विपरीत ऐसे लोग हैं, जिनका परफार्मेन्स बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि काफी बदनाम हैं। हम देखते हैं कि काफी तादाद में ऐसे लोग हैं हर महकमे में और खास तौर से पुलिस में, रेवेन्यू में और जिनके लिए साफ करें यह कहा जाये कि वह नामी-गिरामी डाकू हैं और उनमें से बहुत कम इफेक्ट हुए हैं और वह बड़े आराम से बैठे हुए हैं और पुराने तरीकों से वह काम चला रहे हैं।

मगर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की निगाह जिस पर पड़नी चाहिये थी अभी तक क्यों नहीं पड़ पाई? मैं जानता हूं कि कुछ गलत तरीके से आ गए हैं। मैं इस मामले में अधिक विस्तार में नहीं जाकर एक मिसाल देना चाहूंगा। मुझे एक केस का मालूम है जो एजूकेशनल सर्विसेज से सम्बन्धित है। उनका नाम है वासुदेव शास्त्री, एक संस्कृत कालेज के प्रोफेसर थे। अब, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर क्या तो बेचारा रिश्वत खाएगा और एक प्रोफेसर क्या गबन करेगा? रिश्वत और गबन का कोई सम्बन्ध नहीं उससे और ऐसे कामों से वास्ता तक नहीं होता उसका और न कोई बड़ी गम्भीर किस्म की अनियमितताएँ ही कर सकता है। अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते समय वह कुछ नहीं कर सकता तब भी उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त किया गया है। उसका इतिहास इस किस्म का रहा है कि शायद डायरेक्टर आफ संस्कृत एजूकेशन के पद के विषय को लेकर उन्होंने इस बात का क्लेम किया था कि उन्हें डायरेक्टर बनाया जाय और इस बात को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की थी और हाई कोर्ट से स्टे आर्डर लाए और सरकार के आदेश को, सरकार के एक्शन को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और सक्सेसफुल चैलेंज किया था और इसी वजह से सरकार को उस निर्णय को, जिसमें उन्होंने जूनियर को डायरेक्टर बनाया था, बदलना पड़ा था। अब लोगों का यही सोचना है क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में जा करके रिट करने की जुर्रत की और सरकार के आदेशों को चुनौती दी और हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया था, वही एक नाराजगी हो सकती है हैड आफ दी डिपार्टमेंट को, सरकार को या किसी अधिकारी को जिसकी वजह से इसका शिकार बनाया गया है। इस प्रकार की जितनी बातों का हम मौका देते हैं वह हमारे प्रशासन की प्रतिष्ठा के

(श्री बी. एन. जोशी)

लिए ठीक नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम यह कभी नहीं सोच सकते हैं कि हमारी सरकार भी और हमारे मंत्रीगण भी, हमारे मुख्य मंत्रीजी भी कभी इस बात का दावा करते होंगे कि जो भी हमारे अधिकारी हैं या हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं या गवर्नमेंट सेक्रेट्रीज हैं या मंत्रीगण ही हैं वे जो निर्णय लेते हैं या आदेश जारी करते हैं वह सब हर केस में हमेशा सही ही है। कभी गलतियां करते ही नहीं या गलतियां कर ही नहीं सकते हैं या किसी केस में गल्ती करेंगे ही नहीं। अगर वे ऐसा सोचते हैं तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। वह स्वयं इस बात को मानते हैं कि गल्ती करना एक मानव का स्वाभाविक अंग है। इसलिए प्रत्येक स्तर पर गलतियां होती हैं और उसी प्रकार से इसमें भी गल्ती हो सकती है। इसमें सुधार की जरूरत है जिसके लिए एक रिव्यू बोर्ड हो या ऐसी कोई एजेंसी या कोई ऐसी एक प्रक्रिया अपनाई जाकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये थी कि वे लोग जो यह समझते थे कि उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है वह उसमें अपनी अपील या नजरसानी या निगरानी करना चाहें वह उसमें पेश कर सकते हैं। उसके बारे में सारी मेरिट पर गौर करके निर्णय दें और उसमें अच्छे निष्पक्ष आदमी हों, उनमें ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, नोन-आफिशियल भी हो सकते हैं, इस सदन के माननीय सदस्य भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आदमी आप उसमें रखें वे आफिसर्स हों या सदन के माननीय सदस्यों में से हों या नोन-आफिशियल हों वे ऐसे लोग हों जिनकी योग्यता भी सदेह से परे हो, जिनकी निष्पक्षता सदेह से परे हो, जिनका आचरण ऊंचा हो और जिनके नाम से कोंफिडेंस इंस्ट्रीगेट हो सके जो लोगों का कोंफिडेंस एस्पायर कर सकें और इस प्रकार का सरकारी या गैर-सरकारी बोर्ड, रिव्यू बोर्ड बनाना चाहिए जिसके लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा इस मौके पर कि सरकार को इसे कायम करना चाहिए जो इस प्रकार के अधिकारियों के केसेज को मेरिट पर रिव्यू करे और उसको इस बात की गारण्टी हो कि अगर वह यह समझता है कि उसके साथ आदेश जारी करने में अनियमितता किसी वजह से हो गई है तो वह उसमें अपील कर सके। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसके सामने अपील, निगरानी या आवेदन करके इंसाफ पा सकता है। यह बहुत जरूरी है हमारी सर्विसेज को अननेसेसरी डीमोरेलाइज होने से बचाने के लिए और सब लोगों के साथ इंसाफ हो इस बात को एंश्योर करने के लिए। आज हम इस जनतंत्रीय युग में रह रहे हैं। इसमें जैसी न्याय के बारे में एक कहावत है कि Justice should not only be done, it should also appear to be done. यही पर्याप्त नहीं है कि इंसाफ किया जाय, यह भी आवश्यक है कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। यह दर्शाया जाना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसी प्रकार से यह पर्याप्त नहीं है कि हम प्रजातंत्रीय प्रक्रिया से, प्रजातांत्रिक तरीके से बस रहे हैं। मगर यह सबको प्रत्येक स्तर पर हर बात में

(श्री बी. एन. जोशी)
देखना चाहिए, महसूस होना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए कि पूर्ण प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से चल रहे हैं, सब के साथ न्याय करने का हमारा इरादा है। मनमानी नहीं करना चाहते हैं इस बात का सबूत इस बात में देना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट सर्विसेज की एफिशियेंसी बरकरार रखने के लिए, सिक्योरिटी ग्राफ टेन्योर के लिहाज से इस तरह का रिव्यू बोर्ड का प्रावधान सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कर देना चाहिए।

ट्राइबल डवलपमेंट बोर्ड के बारे में इस भाषण में कहा गया है, यह खुशी की बात है कि हमने पिछड़े हुए भाइयों के लिए कुछ व्यवस्था की है और खास तौर से कार्यक्रम चलाया है। मगर इस कार्यक्रम का जहां तक सवाल है, इसका स्वागत करते हुए मैं यह जरूर जानकारी करना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम और इसका अधिकांश वर्क जो भी है, जो एक्टीविटीज हैं वह सब एक पर्टीक्यूलर क्षेत्र में लोकेट किया गया है जिसमें ईस्टर्न राजस्थान है जिसमें ट्राइबल्स रहते हैं, मीणा ट्राइबल्स काफी तादाद में हैं, काफी बड़ा क्षेत्र है, 7 कांस्टीट्यूएन्सीज रिजर्व्ड हैं मगर वहां उस ट्राइबल बोर्ड की एक्टीविटीज जिस मात्रा में और जिस हद तक होनी चाहिए वह नहीं है। एलोकेशन ग्राफ फण्ड्स भी जिस मात्रा में आबादी को देखते हुए ट्राइबल बोर्ड के पास होने चाहिए वह नहीं हैं। इसी प्रकार इस मौके पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने इसी सदन में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, बहुत गंभीरता से यह आश्वासन क्षेत्रीय असंतुलन के विषय पर बोलते हुए फरमाया था कि क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में कई बार कई तरह की शिकायतें लोगों ने अपने भाषणों के दौरान की हैं लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में सरकार जांच करने को, छानबीन करने को तैयार है, असलियत मालूम करने को तैयार है और जो कुछ भी आंकड़ों से यह साबित हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन किसी प्रकार का रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा। उन्होंने यह माना था कि अगर राजस्थान बनने के बाद से, आजादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है तो सरकार उसके प्रति उचित कार्यवाही करेगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से इस मौके पर जानना चाहूंगा कि उनके उस भाषण के बाद इस पर कौन-कौन सी कार्यवाही की गई क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के बारे में और आज तक सरकार के द्वारा जो भी कार्यवाही की गई हो क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के बारे में क्षेत्रीय असंतुलन का जहां तक सवाल है मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं और दो मिनिट में अभी और कह देना ··

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चाहता हूं कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, जयपुर डिवीजन या अजमेर डिवीजन जिसको कहते हैं, उस क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है, इसमें फर्टीलिटी ग्राफ सोयल की कमी नहीं, वाटर लेवल ऊंचा है लेकिन यहां पर राजस्थान निर्माण से आज तक एक भी मेजर इर्रीगेशन प्रोजेक्ट इस इलाके में नहीं रहा। इसलिए जहां तक खेती को

(श्री वी. एन. जोशी)

प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने का प्रश्न है इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ है। आज तक भी सैकड़ों करोड़ों रुपये राजस्थान में खर्च किये गये है, चाहे भाखरा नांगल में हो, चाहे वह प्रोजेक्ट हो या राजस्थान कैनाल हो या गंग कैनाल हो या चम्बल का प्रोजेक्ट हो, नहरें हों उन सब में से एक बूंद पानी भी जयपुर अजमेर डिवीजन में नहीं आ रहा है। मैं यह कह रहा हूं एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा है जहां सैंकड़ों, अरबों रुपया राजस्थान सरकार के खजाने से खर्च किया जा रहा है उसमें से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। यह अत्यन्त आवश्यक था, इस क्षेत्र के लिए, यहां की जमीन के लिए, यहां की खेती की मांग को पूरा करने के लिए यह जरूरी था, जहां सिंचाई के साधनों का अधिक से अधिक संचार, प्रसार किया जाना चाहिए था। ट्यूबवेल का जाल हर पंचायत समिति क्षेत्र में बिछाने का कार्यक्रम लागू किया जाता क्योंकि यहां का वाटर लेवल काफी ऊंचा है। बिजली का प्रसार भी होना चाहिये क्योंकि यहां की जमीन बहुत अच्छी है। पंचवर्षीय योजनाओं में सेकिन्ड प्लान से फिफ्थ प्लान में, हरएक प्लान में जो उद्देश्य हैं, उनमें एक मूल भूत उद्देश्य यह भी है कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स से जो असन्तुलन पैदा हो, वह दूर करना है। इसके बावजूद भी हमने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है, यह देखने की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार के क्षेत्रीय असन्तुलन को रहने दिया जाता है और इसको दूर करने के लिए कोई मेटेरियल स्टेप्स नहीं लिये जाते हैं तो लोगों में निराशा होगी। मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा से लोगों को बड़ी आशाएं बंधी थीं और मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि वे इस दिशा में, क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाएंगे उस घोषणा के बाद से आज तक कौन से कदम उठाये गये हैं, यह हम जानना चाहेंगे। यह आज तक हमें मालूम नहीं है। अगर यही ट्रेन्ड रहा हमारे डवलपमेंट वर्क्स के एलाटमेन्ट का जो पिछली सरकारों का रहा है, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में जिस तरह से डवलपमेन्ट वर्क का एलाटमेन्ट रहा है, और भविष्य में भी यही ट्रेन्ड अपनाया जाता है तो जयपुर डिविजन फिर पिछड़ा रह जायेगा। आज जयपुर डिविजन में दो बटा पांच आबादी इस राजस्थान की रहती है और जो राजस्थान की रेवेन्यु को लायन शेयर कन्ट्रीब्यूट करता है। इसकी समस्याओं की उपेक्षा होती है तो यहां पर निराशा का वातावरण पैदा होगा, जनमानस में रोष पैदा होगा और इसके परिणामस्वरूप पृथकता की मांग उभरेगी और हमें उसका मुकाबला करना होगा। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं न हों यदि यह हम चाहते हैं तो इस प्रकार की मांग को उभरने का मौका समय रहते नहीं दें और वक्त रहते ही हमें इमीजिएट स्टेप्स को लेने चाहिये। राजस्थान में इस प्रकार की बातें होती हैं, पृथकता की मांग उभरती है, जनमानस में रोष पैदा होता है, और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम पर होगी क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं हम बना रहे हैं और जो एक्सपेन्डीचर के प्रपोजल बना रहे हैं, वह राज्य की जनता के करों की कमाई का खर्च कर रहे हैं, यह सोचने की बात है।

(श्री बी. एन. जोशी)

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे शिक्षा के बारे में भी बहुत कुछ कहना है। मैं समझता हूं अगर मुकाबला करें पुराने जमाने की शिक्षा से तो देखेंगे कि आज हम शिक्षा पर पहले के मुकाबले 30 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम ने इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास किया है। आज हर अच्छे बड़े गांव में मिडिल स्कूल है और छोटे से छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल है। टैक्नीकल स्कूल का भी प्रसार किया है। परन्तु जहां शिक्षा का प्रसार हुआ है वहां क्वालिटेटिव डेप्रिशिएशन भी हुआ है। इसके बारे में सक्रिय, प्रभावशील कदम नहीं उठाये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक तरफ सन्तोष की बात है कि क्वान्टिटी बढ़ी है, तो दूसरी ओर उसकी क्वालिटी गिर रही है। परन्तु यह कोई हमारे प्रान्त में नहीं है बल्कि यह एक आल इंडिया ट्रेन्ड है और मुझे तो यह कहने में भी हेजीटेशन नहीं है कि आज यह वर्ल्ड ट्रेन्ड है। पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों में भी यही ट्रेन्ड है संसार के सब से बड़े धनी देश का भी यही हाल है। वहां पर भी एजूकेशन का क्वालिटेटिव डेप्रिशिएशन हो रहा है। आक्सफोर्ड, केम्ब्रीज जैसी यूनिवर्सिटीज में भी आज वह स्तर नहीं रहा है। वहां पर भी आज डबल, ट्रिपल शिफ्ट चल रही है। जब शिफ्ट एजूकेशन सिस्टम पर चल रहा हो तो क्वान्टिटी का प्रसार होता है परन्तु क्वालिटी गिर जाती है। जहां प्रसार होता है वहां क्वालिटी शिकार होती है, यह हमको मानकर चलना होगा। परन्तु राष्ट्र के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि शिक्षा की क्वालिटी न गिरे। इसलिए हमको क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेन्ट शिक्षा में करना है। शिक्षा के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ढांचे पर जिस तरह से हम चल रहे हैं, वह जर्जरित हो गया है, वह चरमराने लगा है और आज वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है। आज इम्तिहान समय पर नहीं होते हैं। रिजल्ट समय पर नहीं निकलते हैं। एल एल. बी. के नतीजे अगस्त तक निकलते हैं। तो सेशन सितम्बर से शुरू होता है और एक दो महीने यूनियन के चुनाव में और एक्स्ट्रा एक्टीविटीज में निकल जाते हैं, वैसे आजकल इमरजेन्सी है इसलिए यह टल गये हैं, परन्तु वैसे बच्चों को पढ़ने के लिए दो तीन महीने ही मिल पाते हैं तो किस तरह से क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेन्ट शिक्षा में हो सकता है। आशा है शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान देंगे। अन्त में, सभापति महोदय, मैं इन सारे आब्जर्वेशन के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री देवीलाल !

**श्री देवीलाल (सराड़ा)** : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में काफी कहा है और इस कार्यक्रम ने पिछड़े हुए वर्गों पर काफी प्रभाव डाला है। इससे हमें बड़ी खुशी है। राज्य के खिलाफ जो विरोधी तत्व थे उनको दबाने के लिए भारत की प्रधान मंत्री और राज्य के मुख्य मंत्री ने और हमारी सरकार ने कदम उठाये हैं वे बड़े सराहनीय

(श्री देवीलाल)

हैं। इस कार्यक्रम को लेकर राज्य में काफी अच्छे काम भी हुए और इसका जनता पर अच्छा असर पड़ा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जनता इससे प्रभावित नहीं हुई है, काफी प्रभावित हुई है। हमारी सरकार ने जो कुछ कार्य किया है, जो कार्य अभी तक चल रहा है वह अच्छा चल रहा है और उससे जनता प्रभावित हुई है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछड़े हुए वर्गों के लिए काफी बताया है। इन जातियों के लिए विकास के दृष्टिकोण से योजनाएं बनायी गयी हैं जैसे हमारी राज्य सरकार ने भारत सरकार से मिल कर आदिवासियों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए विकास की योजनाएं बनायी हैं, उसके अन्तर्गत राज्य सरकार काफी काम करने जा रही है लेकिन इसमें सरकार को और भी ध्यान देना जरूरी है जैसे कोई पर्टीक्युलर एरिया काफी गरीब है और हमारे उदयपुर के इलाके में, पहाड़ी क्षेत्र को देखकर आप स्वतः ही कह सकते हैं कि वहां के लोग कितने गरीब होंगे। सरकार ने वहां पर काफी काम किया है नहीं किया हो, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे लोगों को राहत मिली है और आज भी सरकार करती रही है लेकिन फिर भी ऐसे लोग रह गये हैं जिनको आज तक पूरा लाभ नहीं मिला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से उनको पूर्ण लाभ नहीं मिला है, वहां पर काफी शिक्षा की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी आबादी के जो आदिवासी गांव हैं वहां पर मिडिल स्कूल, सैकेन्डरी स्कूल तक की शिक्षा होना जरूरी है उनको सैकेन्डरी स्कूल तक पहुंचाने के लिये साधन होना आवश्यक है, रास्ते होना आवश्यक हैं। उनको छोटी छोटी जमीनों में सिंचाई के साधन बहुत आवश्यक हैं। इस उपयोजना में अगर यह हाथ में नहीं लिये जायेंगे तो उन लोगों को लाभ नहीं होने वाला है। आज तक आफिसर किसी गांव में देखने जाता है या सिंचाई की योजना को देखने जाता है तो जहां तक वहां पहुंचने के साधन नहीं होंगे, रास्ते नहीं होंगे तब तक उनकी योजना तैयार होकर नहीं आयेगी, उनकी योजनाओं का सर्वे नहीं होगा, उनके साधनों को कोई देखेगा नहीं। ऐसे विकट स्थान हैं जिनमें रास्ता तैयार करवाकर उन लोगों की आबादी तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाई जा सकें ऐसी स्थिति हो जाती है तब जाकर कोई अधिकारी जा सकता है, वर्ना ऐसे स्थान हैं पहाड़ी कि वहां कोई अधिकारी जाकर देख सके और उनकी योजना तैयार कर सके ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरा मतलब यही है कि उनको संरक्षण बनाने के लिये, साधन सम्पन्न करने के लिए, उनकी जमीन में पानी के लिए जो आदिवासी उपयोजना राज्य सरकार ने तैयार की है इसको नीचे से योजना बनाकर ऊपर तक लाना पड़ेगा तब तो फायदा हो सकेगा। ऊपर बैठे बैठे योजना बनाई जायगी और बड़ी बड़ी योजनाओं पर पैसा वहां पर ही लग जायेगा तो उन लोगों को फायदा नहीं पहुंच सकता है। पहाड़ी नाले हैं, दर्रे हैं, एनीकट बना सकते हैं। छोटे-छोटे तालाब बना सकते हैं। इसलिए योजना जब तक नीचे से सर्वे होकर तैयार नहीं कराई जायगी तब तक उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, उनकी जमीनों पर पानी नहीं जायेगा।

शिक्षा के लिए मेरा एक ही कहना है

(श्री देवीलाल)

कि उनको मिडिल स्कूल और सैकेन्डरी स्कूल तक पहुंचने के लिए साधन नहीं हैं, रास्ते नहीं होंगे तब तक उन लोगों में शिक्षा नहीं आयेगी।

दूसरे नौकरियों के लिए आज भी लोग भागते फिरते हैं। राज्य सरकार ने काफी इन्तजाम किया है कि नौकरी उनको दी जाय, लेकिन हमारे पास में जावर माइन्स चलाई जा रही हैं। लोग वहां पर मजदूरों में नियुक्ति के लिए जाते हैं तो जावर माइन्स के 10 माइल के एरिया का कन्ट्रोल कर दिया है। 10 मील के एरिया के अन्दर से जो लोग आयेंगे उनको ही एप्वाइटमेंट मिलेगा। गिरवा, सराड़ा, खैरवाड़ा, सलूम्बर, वल्लभनगर यह तहसीलें पास पास में हैं जिनका कि एरिया जावर माइन्स से लगता है लेकिन वहां के लोग जावर माइन्स में मजदूरों में भर्ती नहीं हो सकते है जबकि बाहर के रहने वाले तीन तीन व पांच सौ मील के बाहर के आदमी भरती हो जाते है जो कि जावर माइन्स में रहकर वहां का पता लिखाकर वहां पर ही भर्ती हो जाते हैं। 10 मील के एरिया के अन्दर से लोग भर्ती हो सकते हैं और 25 मील के एरिया से आते हैं चाहे वह उसी तहसील के रहने वाले हों। यह पाबन्दी राज्य सरकार को भारत सरकार को कहकर या जिस किसी के अधिकार में हो उसको कहकर हटाना है। जावर माइन्स कम्पनी ने जो कुछ एरिया मुकर्रर कर दिया है तो यह बन्दिश हटानी पड़ेगी। वह 20-25 मील का एरिया होना चाहिए ताकि इन पांच तहसीलों के आदमी वहां पर मजदूरी का काम कर सकें। इस तरह की पाबन्दी को हटाया जाना चाहिए। मजदूरों को लगाने के लिए हम काफी प्रयास करते हैं लेकिन कुछ अड़चनें आती हैं जिससे मजदूरों को नहीं लगा सकते हैं।

दूसरा, हमारे यह सुनने में आया है कि वहीं पर जो मजदूर भर्ती होते हैं तो जो इन्टक के लोग होते हैं उनको ही मजदूरी मिलती है। हमारे गरीब आदमी इन्टक तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो उनकी मर्जी होती है उन्हीं मजदूरों की भर्ती होती है। यह अच्छा तरीका नहीं है। इन्टक का होना जरूरी है लेकिन मजदूरों को भर्ती के लिए भेजते हैं तो मजदूर भर्ती नहीं हो पाते हैं, इस तरह की जो अड़चन आती है। जो साधारण मजदूरी का काम करने वाले हैं वे इन्टक के विरोध में नहीं हैं। वे काम करें वह मजदूरों के हित में है। लेकिन यदि भर्ती पर किसी तरह की पाबन्दी लगाई जाय और उनके इशारे पर ही भर्ती हो तो वह हटना चाहिए। गरीब आदमियों की भर्ती मजदूरों में होना चाहिए। यह राज्य सरकार के देखने की बात है।

राज्यपाल महोदय ने काफी दूसरे प्रमोशन के लिए, दूसरी नौकरियों के लिए कहा है। मैं राज्य सरकार को जानकारी देता हूं कि यदि कहीं प्रमोशन होता है, अधिकारी पद पर होता है तो सवर्ण की होती है। वहां पर वह प्रयास करते हैं...

(3 25 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

और राज्य सरकार ने भी काफी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन जब किसी अधिकारी के पद पर प्रमोशन की बात आती है तो हमारे प्रमोशन के लायक आदमी होते हैं वह रह

(श्री देवीलाल)

जाते हैं और दूसरे सवर्ण आदमी आगे आकर बैठ जाते हैं ऐसी स्थिति है। राज्य सरकार को यह देखना पड़ेगा कि सारे नियमों के अन्दर यह संशोधन हो जाय। इस तरह तो पिछड़े हुए आदमियों को प्रमोशन के पद पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। संशोधन होकर नियम बदले जायें। जो सीधी भरती होती है उसमें जो रिजर्वेशन रखे हैं तो उनके भी रखने की क्या आवश्यकता है। जहां कहीं भर्ती का सवाल आता है तो उनको कम्पटिशन में मुकाबले पर आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है तो कुछ छांटकर, अलग करके जिस पद पर लिया जा सकता है वहां पर नियमों में परिवर्तन करके उनको लेना चाहिए आगे, वर्ना प्रमोशन के दृष्टिकोण से आफिसर की नियुक्ति के दृष्टिकोण से, उनका आगे आना मुश्किल है। कुछ आये हैं तो वे कम्पटिशन के मुकाबले में आये हैं, फर्स्ट डिविजन होने से आये हैं। वही आदमी आने की तैयारी में रहते हैं...

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री देवीलाल** : ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को आदेश देने की आवश्यकता है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं। सरकार ने जो कुछ काम किया है ठीक किया है। बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे एरिया में अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और इसी तरह से सरकार चलेगी और हम भी काफी प्रयास करते हैं। हम भी सरकार के माध्यम से काफी सहयोग करके इस कार्यक्रम को लागू करने में हमारा पूरा सहयोग है। और मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्रीजी!

**श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सत्र के प्रारम्भ में जो अभिभाषण दिया था उस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। दरअसल में राष्ट्रपति का और राज्यपाल का अभिभाषण राष्ट्र की और राज्य की रीति-नीति, कार्य प्रणाली और प्रोग्राम के बाबत होता है। इसलिए जो प्रश्न राष्ट्र की अथवा राज्य की नीतियों के बाबत में उठाये गये हैं, अथवा जो प्रोग्राम व पालिसी राज्य सरकार ने स्वीकार की है, अथवा राष्ट्र ने स्वीकार की है, उनके बाबत में यहां पर जो विचार रखे गये हैं उनके बारे में ही मैं अपने आपको सीमित रखूंगा। और ऐसे मुद्दे जो जवाब के दौरान में जिसकी चर्चा नहीं हो सकती है उनको बाद में किसी उपयुक्त अवसर पर लेने की कोशिश करूंगा।

(3.28 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले भी और टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि एक प्रकार से इमर्जेन्सी देश के भीतर चली आ रही थी तो फिर नये सिरे से इमर्जेन्सी लागू करने की क्या आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि इस इमर्जेन्सी से कुछेक

(श्री हरिदेव जोशी)

सदन के सदस्यों को और कुछ अपने लोगों को जेल में बन्द कर दिया गया है। उनके कहने का तात्पर्य शायद यह था कि उनकी अभिव्यक्ति पर पाबन्दी लगा दी गई है, फैक्ट्स के लिहाज से दोनों ही बातें सही हैं। यह सही है कि चाइनीज एग्रेशन के बाद इस देश के अन्दर एक प्रकार की इमर्जेन्सी चली आ रही थी फिर क्या आवश्यकता थी देश में नये प्रकार की इमरजेंसी 26 जून, 1975 को घोषित करने की। यह मुझ से पूछने से पहले माननीय सदस्य अपनी आत्मा से पूछते तो अधिक उचित होता। अध्यक्ष महोदय, आज की इमरजेंसी घोषित करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है। यदि कोई जिम्मेदार है तो वह भारत के विरोधी दल हैं कुछ लोग अगर जेलों में हैं तो उसका कारण आपके विरोधी दल हैं।

अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त 1947 को एक नये प्रकार का राष्ट्र पैदा हुआ था। सैंकड़ों वर्षों के बाद इस देश ने आजादी का स्वर्ण सूर्य उदय होते देखा था। करोड़ों करोड़ों लोगों में यह आशा जागृत हुई थी कि यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अनपढ़ पढ़ेंगे। गरीबों की हालत सुधरेगी। भूखों को रोटी मिलेगी। नंगों को कपड़ा मिलेगा। अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि राष्ट्रीय पैमाने के ऊपर भारत जैसा देश जिसमें अनेक धर्म और जातियां हैं, वहां मतभेद स्वाभाविक है। मैं उनकी बात को समझा नहीं। क्या इस देश के नंगे और भूखों को रोटी और कपड़े मिलें, इस प्रकार का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस देश की आजादी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, इसका मौका नहीं होना चाहिए। विदेशी शत्रुओं से इस देश की रक्षा होनी चाहिये इस प्रकार का मौका नहीं मिलना चाहिए, इस देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़े, इसमें मतभेद की गुंजाइश है क्या? अध्यक्ष महोदय, इस देश के पड़ोसी देश ने जिसने हमें भाई कहा था, इस मुल्क के ऊपर हमला किया। और, उस हमले के परिणाम स्वरूप हमारी मातृभूमि को और हमारे देश में रहने वालों को दुनियां में नामोशी बरदाश्त करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, तीन तीन बार इस देश के ऊपर पूर्व की ओर से हमले हुये। पश्चिम की ओर से हमले हुये। हमें रक्षा के लिए तत्पर रहना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, यह सर्व विदित है कि संसार में एक प्रकार के लोग हैं जो डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी भावनाओं को। वे यह चाहते हैं कि एक नये प्रकार का कालोनिज्म संसार के अन्दर चल रहा है। एक कालोनिज्म था जिसमें इंग्लैंड के लोग आकर इस देश में हावी होकर बैठे। आज एक नये प्रकार का उपनिवेशवाद है। जिस प्रकार के उपनिवेशवाद के अन्दर सेनाएं आकर हावी होकर नहीं बैठती है बल्कि विचार आकर बैठते हैं। और, वह दूर बैठे हुये अपनी भावनाओं को हमें डिक्टेट करवाना चाहते हैं। जिस समय हम यह कहते थे कि चीन को विश्व संघ के अन्दर स्थान मिलना चाहिए। उस समय अमेरिका और प्रत्येक पोलिटिकल पार्टी यह कहती थी कि यह गलत है। यह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, भारत के ऊपर चीन ने आक्रमण किया उसके बाद में अमेरिकी नेता चीन गये। जो वर्षों तक चांगकाई शेक की सरकार को सहलाते रहे। उन लोगों ने चांगकाई शेक को कैसा कर दिया। और उन्होंने चीन के माओत्से तुंग से हाथ मिलाने की कोशिश

(श्री हरिदेव जोशी)

की। अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी वर्तमान प्रेसीडेण्ट मि. फोर्ड जब पीकिंग जा रहे थे तब उन्होंने कहा था, मैं पीकिंग के साथ अपनी दोस्ती घनिष्ठ करने जा रहा हूं। हम पीकिंग से दोस्ती करने की बात कहें तो गुनहगार मालूम पड़ें। वह बात करें तो संसार का मसीहा कहा जाना चाहिए। माननीय सदस्यों से मैं पूछना चाहता हूं। डियागो गार्शिया में एक सैनिक अड्डा बनाया गया है। वह सैनिक अड्डा क्या ईरान के खिलाफ है? क्या ईरान या पाकिस्तान के खिलाफ है? या चीन के खिलाफ है? टर्की के खिलाफ है, या इंगलैण्ड के खिलाफ है। डियागो गार्शिया का अड्डा केवल भारत के खिलाफ है। भारत की नामोशी करने के लिए। तब फिर जब संसार का शक्तिशाली देश आपकी सीमाओं के नजदीक एक महान सैनिक अड्डा कायम करता है, तब क्या हमें सूझ नहीं रहा है कि विश्व की शक्तियां क्या कर रही हैं। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान–अन्तर्राष्ट्रीय गगन के ऊपर बने हुए हैं और भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं। भारत सुदृढ़ कैसे रह सकेगा। अगर उसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, तो एकता रहेगी। राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ेगी तो एकता रहेगी। देश में शान्ति रहेगी तो एकता रहेगी। क्या यह फण्डामेण्टल राइट्स में नहीं आता है। यह खतरा है। क्या यह फण्डामेण्टल राइट्स में नहीं है। आज देश खतरे में है। खतरे के माने यह नहीं है कि कोई देश हमला कर दे, वही हो। अध्यक्ष महोदय, देश विभिन्न प्रकार की अशान्ति के वातावरण में फंस जाये। या विभिन्न प्रकार की अशान्ति और मतभेदों में फंस जाये। ऐसी अशान्ति जिससे देश की कर्मण्यता मारी जाये। देश की कर्तव्य शक्ति कम हो जाये, जभी हो। इसलिए यह आवश्यक था स्थिति को जज करना। क्या ऐसे हालात पैदा हो गये थे अथवा नहीं हुए थे। अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रजातन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। जिस समय प्रजातन्त्रात्मक संस्था गुजरात की असेम्बली को भंग करवाने के लिए गुजरात के चुने हुये एम. एल.एज. को घेर कर उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, उस समय भारत के विरोधी दल ने एक प्रस्ताव पास नहीं किया। जिस बिहार में प्रजातन्त्र का गला दबाया जा रहा था। उस समय देश के विरोधियों ने कतई आंसू नहीं बहाये इस बात के ऊपर, बल्कि देश के एक बहुत बड़े नेता ने कहा, मुझे गुजरात के अन्दर रोशनी दिखाई देती है और सारे के सारे चट्टे बट्टे इकट्ठे हुए और उन्होंने उस अमेरिकी रूप में छत के नीचे खड़े होकर प्रजातन्त्र की नींव को नीचे गिराने का षड़यन्त्र किया और मेरा यह चार्ज है कि उन्होंने यह षड़यन्त्र किया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि गुजरात के इलेक्शन के अन्दर कांग्रेस के केन्डीडेट को जिन्दा जलाने की कोशिश की गई, क्या यह सही नहीं है कि छिपे हुए ट्रान्समीटर रखे गये, क्या यह सही नहीं है कि देश के बड़े-बड़े नेता इस बात को जानते हैं कि जो ट्रान्समीटर पकड़े गये वह अटल बिहारी बाजपेयी की इस घोषणा से मेल नहीं खाते हैं कि हम अपने ट्रान्समीटर अलग से लगायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप किसको संवाद भेजना चाहते हैं और किससे मेलजोल रखना चाहते हैं। आज इस देश के अन्दर जो इस प्रकार की ताकतें काम कर रही हैं जो छिपे तौर पर बड़े-बड़े ट्रान्समीटर चलावें आखिर उस देश के अन्दर इमर्जेंसी लागू

# Page No 96

(९६)



(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं की जाय तो कहां की जाय। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर एक प्रकार का समूह है वह समूह उस तरह का है, मैं किसी को गलत ढंग से यो करने की बात नहीं कहता, मगर जंगल में जब एक सियार बोलता है तो दूसरे भी सारे सियार आपस में मिल-कर हो-हो करने लगते हैं और वह इस प्रकार से है कि अमेरिका ने कहा की चीन से दोस्ती मत करो तो वे भी कहे कि दोस्ती मत करो, चीन से दोस्ती करना गुनाह है और ये समूह चाहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हो चाहे राष्ट्रीय प्रश्न हो, हमेशा अमेरिका की ओर उनकी निगाह रहती है चाहे अमेरिका कुछ अरसे के बाद में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने लग जाये और राष्ट्र के संकट के समय हिन्दमहासागर में उनका सातवां बेड़ा ही क्यों न आ जावे, चाहे वह अमेरिका आपकी अर्थ व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय षड़यन्त्र ही क्यों न करे, मगर इस देश के अन्दर इस प्रकार के लोग हैं और जब इस देश में इस प्रकार के लोग हैं तब उन लोगों का स्थान सड़कों के अन्दर नहीं जेलों के अन्दर होना चाहिए इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का नहीं है कि हजार दो हजार आदमी जेलों में हैं, प्रश्न इस बात का है कि हजार दो हजार आदमियों के जेलों में जाने से हालत क्या है इस मुल्क के अन्दर? इमर्जेन्सी घोषित होने के बाद में अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले ही प्रधानमन्त्री ने लोक सभा में जैसा कि कहा—According to her, the consumer prices for agricultural labourers are lower by 8.3% अगर कुछ लोगों को जेल में बन्द करने के कारण आज श्रमिक सुखी रहते हैं, कारखाने ठीक प्रकार से चलने लग जाते हैं, अगर युनिवर्सिटीज और कालेज ठीक प्रकार से फंक्शन करने लग जाते हैं, स्केअर्स कमोडिटीज स्केअर नहीं रहती, मिलने लग जाती हैं, अगर देश समृद्ध होकर के राष्ट्रीय समृद्धि के लिये काम करने लग जाता है, मैं पूछना चाहता हूं उस कामन-मैन से वह हुड़दंग पसन्द करता है अथवा आज की शान्ति। आपने कहा था कि आज की शान्ति राख के नीचे दबी हुई आग है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं आप साधारण आदमी से पूछिये वह आपसे कहना चाहता है अच्छा हुआ, जो पीछा छूटा इनसे। मैंने, अध्यक्ष महोदय उस स्टेटमेन्ट को पढ़ा नहीं है जिसको प्रधान मंत्री, ने दिया, मगर अखबारों में वह आज का है इसलिए माननीय सदस्यों ने देखा होगा, मैं राजस्थान की बात आपसे निवेदन करता हूं। राजस्थान में देखते हैं भाव, उनको 52 को बेस ईयर 100 का मानकर चलते हैं और यह मैं आपके सामने रख रहा हूं, खाद्य पदार्थों का मई 75 में 468 था और अब 405 है जो पिछले साल नवम्बर में 513 था। औद्योगिक कच्चा माल जो मई 75 के अन्दर 296 था और पिछले साल नवम्बर में 303 था और अब 244 है, खुदरा पदार्थों का मई, 75 में 469 था और लास्ट ईयर नवम्बर में 480 था और आज 422 है जनरल होलसेल प्राइस जो मई, 75 में 463 थी और नवम्बर, 74 में 498 थी वह आज 405 है, क्या चाहते हैं आप? यही तो किया है ना कि कुछ लोगों को जेल में बन्द किया है, यह करने से अगर चीजों के दाम नीचे गिर जायें और लोगों को राहत की सांस मिले तो आप क्या चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस और जेल में लोगों को कष्ट दिया जाता है, यह एकदम गलत और बेबुनियाद है। जिन लोगों को हमने पोलिटिकल ग्राउन्ड पर जेल में रखा है उनको पोलिटिकल लीडर की तरह से ट्रीट किया जाता है, जो तस्करी के आरोप में, ब्लेक मार्केटिंग के और क्रिमिनल केसेज के सम्बन्ध में जेल में रखे गये हैं उनके साथ में आपकी सहानुभूति है क्या? मैं उनके बाबत में जेल में कोई कष्ट देने की बात नहीं कहता लेकिन कोई सुविधा भी उनको देने की बात नहीं कहता हूं, बल्कि सामान्य रूप से उनका भी ट्रीटमेन्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस इमरजेन्सी के बाबत भ्रम पैदा करते हैं वे स्वयं भी भ्रम में रहते हैं और जनता को भी भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। अपोजिशन का एक रोल है, आप नुक्ताचीनी कीजिये मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, क्रिटिसाइज कीजिये, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं मगर चूंकि आपके पास में उसके लिए एक प्लेटफार्म है इसलिए आप राष्ट्र को गुमराह करने की कोशिश करें, यह गलत बात है और भारत के अपोजीशन ने यह दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का रोल अख्तियार किया। इसलिए मुझे निवेदन करना है टोंक से आने वाले माननीय सदस्य से कि पिछली इमर्जेन्सी लागू करने के बावजूद इन कारणों से इमर्जेन्सी लागू हुई है।

**एक माननीय सदस्य** : अब तो आप उनको छोड़ देंगे?

**श्री हरिदेव जोशी** : हां, छोड़ देंगे।

अध्यक्ष महोदय, देश की प्रधान मंत्री ने एक प्रकार का स्वप्न देखा है। उस स्वप्न को साकार करना चाहती हैं। वह स्वप्न है, एक सशक्त भारत का और समृद्ध भारत का। संसार के अन्दर भारत सैकण्डरी नेशन के रूप में नहीं देखा जाय—इस प्रकार का स्वप्न है। इसको हम नेशनल फण्डामेंटल नहीं मान सकते? इसके लिए हम सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा सकते? इसके कार्यान्वियन में जहां कहीं कमजोरी हो, हममें से प्रत्येक का अधिकार है कि उसे पाइन्ट आउट करें। आज जो आर्थिक कार्यक्रम प्रधान मंत्री ने दिया है वह कार्यक्रम उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अगर हम इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं करते हैं तो हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पूरा नहीं करते हुए—इस बात के दोषी करार दिये जायेंगे। आज इतिहास की मांग है, आज समय की मांग है—उस मांग को कौन पूरा करता है—आज प्रश्न इस बात का नहीं है, कौन सहयोग देता है अथवा नहीं देता है। आज प्रश्न यह है, इसमें रोड़ा कौन अटकाता है। इस चीज को ध्यान में रख कर राइट अर्नेस्ट में राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। केन्द्रीय स्तर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो कैसे नहीं—इस पर काफी चर्चायें हुईं और उसके लिए एक गाइड लाइन तय की गई है, उस गाइड लाइन के अनुसार जो कदम उठाये गये हैं वह माननीय सदस्यों की जानकारी में हैं। मगर उस चीज को एक तरफ रखते हुए कुछ मूलभूत मुद्दों की तरफ हमको देखने की आवश्यकता है कार्यक्रम क्या है? जिसके पास जमीन नहीं है उसको

(श्री हरिदेव जोशी)

जमीन दी जाय। जो खेतिहर मजदूर है उसको पूरी मजदूरी दिलायें। जो बंधवा मजदूर हैं, सागड़ी हैं उनको उस गुलामी के पंजे से छुड़ायें, पूरी मजदूरी दिलायें, उसको रिहेबिलिटेट करायें। क्षेत्रीय मजदूर का शोषण मत होने दीजिये। जिसके पास रहने को मकान नहीं हैं, उसको हाउस साइट दीजिये। गरीब विद्यार्थी जिसके पास पढ़ने का साधन नहीं है उसके लिए बुक बैंक कायम कीजिये। पढ़ने वाले विद्यार्थी को ठीक कीमत पर राशन और किताब दीजिये। यह एक दिशा में इंगित है, यह पूर्ण नहीं हो सकता, मगर दिशा स्पष्ट है। दिशा स्पष्ट है, दिशा की ओर काम करने की आवश्यकता है। जो कोई भी जहां कहीं भी बैठा है, इस दिशा में उसे काम करने की जरूरत है। अगर आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी स्तर के ऊपर यह कहेंगे कि इस दिशा के अन्दर ठीक से काम नहीं हो रहा है, ठीक डाइरेक्शन में, तो हम आपका आभार मानेंगे, उस गलती को सुधारेंगे। माननीय सदस्यों ने समितियों के निर्माण में, भूमि के आवंटन में, प्रोग्राम के दूसरे क्रियान्वयन में जो कुछ भी यहां पर कहा है, मैंने न केवल उसको सुना है बल्कि मैं उसको पूरी तौर से पढ़ने की कोशिश करूंगा और उसमें जो भी सुधार किया जा सकता है वह करने की कोशिश करूंगा। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजें केवल हमारे करने की हैं, अर्थात् सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं के करने की हैं। बहुत चर्चायें हुईं यहां पर कि सरकार ने दो हजार के करीब कर्मचारियों को कम्पलसरी रिटायरमेंट किया वह अच्छा रहा मगर अब भी करप्ट के लोग हैं, खराब लोग भी हैं, अनवान्टेड लोग भी हैं। हमने कभी क्लेम नहीं किया है, कि सारे लोगों को साफ कर दिया है। आप देखिये, स्वयं भारत सरकार के तहत, दिल्ली के अन्दर, अकेले दिल्ली के अन्दर कम से कम दो लाख कर्मचारी होने चाहिए, इतने कर्मचारी हमारी पूरी स्टेट के अन्दर। करीब करीब उतने कर्मचारी उनके होने चाहिए, दिल्ली के अन्दर होने चाहिए मगर हर एक को नहीं निकाल सकते, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। फिर लिमिटेशन्स हैं। हमने 25 वर्ष की सर्विस, पचास वर्ष की उम्र का रूल है उसको अमेण्ड किया और अमेण्ड करके 10 साल की सर्विस कर दिया। मान लीजिये, कोई आदमी की सर्विस पच्चीस साल से कम है, 50 वर्ष की उम्र है तो उसके अनुसार प्रोसीजर लागू होगा। उसको मैं कान पकड़ कर नहीं निकाल सकता। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी 20 साल से ऊपर सर्विस हैं, उनके खिलाफ सीरिअस चार्जेज हैं, वह आलमोस्ट प्रूव हो चुके हैं। हम उनको पेन्शन बेनिफिट नहीं देना चाहते। उनका प्रोसीजर कम्प्लीट हो चुका है आलमोस्ट। मगर रूल्स में डिसमिसल मिल सकता है तो क्यों कम्पलसरी रिटायरमेंट देकर पेन्शन दें। मगर चाहे आर.एस.एस. हो, चाहे आनन्द मार्गी हो, चाहे रीएक्शनरी थिंकिंग का कोई भी होवे, जो भी हमारी निगाह के अन्दर आयेगा, उसको हम सजा देंगे, उनको हम हटायेंगे, दूर करेंगे क्योंकि हम मानते हैं यह सारे के सारे लोग राष्ट्र के खिलाफ एक प्रकार के षड्यंत्र के अन्दर शामिल हैं। इसलिए उनके प्रति रु रियायत बरतने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मगर एक चीज हमको बहुत स्पष्ट समझनी

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए। आपने कहा था, हम क्यों फासिस्ट फासिस्ट का हल्ला कर रहे हैं, हर एक को कहते हैं। हर एक को फासिस्ट नहीं कहते। उसको फासिस्ट कहते हैं जो फासिस्ट है, उसी को फासिस्ट कहते हैं। फासिस्ट के मायने हिटलर बिल्ला लगा कर चलने वाला नहीं है। फासिस्ट के मायने सबवर्सिव टेन्डेन्सी के अन्दर, देश की शक्ति को क्षीण करने के अन्दर जाने अनजाने सहयोग दिया हो। आज वह फासिस्ट है। उसके लिए राष्ट्रीय जागरण की आवश्यकता है। आर. एस. एस. के अन्दर न जाने कितने लाख, कितने हजार लोग शाखा में जाते रहे हैं। हम उनमें से प्रत्येक को जेल में नहीं डाल सकते, न जरूरी है जेल में डालना। मगर एक वातावरण पैदा कर देना जरूरी है इस देश के अन्दर कि वह उस प्रकार की हरकत न कर सकें। यह काम पुलिस कान्स्टेबल, थानेदार, पटवारी, गिरदावर, कलेक्टर, एस.पी. की मार्फत नहीं हो सकेगा। यह काम पालिटिकल एजेंसी को करना होगा। यह काम हमको करना होगा। उसके लिए हमें देश के अन्दर फिजा बनानी होगी। पूरे प्रान्त के अन्दर एण्टी-फासिस्ट रैली हुई और इतनी सक्सेसफुल हुई उसके पीछे दृष्टिकोण यही था कि प्रांत के अन्दर एक वातावरण बने, आम आदमी में चेतना जागृत हो, प्रांत का पोलिटिकलाइजेशन हो, देश जागृत और समृद्ध हो और मैं कह सकता हूं कि इस मूवमेंट से प्रांत के आम आदमी में जागृति हुई है, हमने प्रेरणा दी है लड़ने की। मुझे वह जमाना याद आ रहा है जब नरोरा में कांग्रेस प्रेसीडेंट ने एक कैम्प किया था और वहां पर हम फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए आह्वान किया था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने जयपुर के अन्दर रैली निकाल कर उसके खिलाफ टक्कर लेने की कोशिश की। उस समय हमारे लोगों ने पूछा था कि आखिर इस रैली का मतलब क्या है ? इस प्रकार रैलीज का मतलब है पोलिटिकलाइजेशन, जागरण, नए कार्यकर्ता पैदा करना, किसी प्रकार की सबवर्सिव टेन्डेंसीज के खिलाफ मोर्चा लेना है और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जन जागरण जारी रहना चाहिए। इसे मीट किया जाता है पोलिटिकल लेविल पर। इसको पुलिस लेविल पर जो मीट करने की बात करते हैं वे धोखा खाते हैं...

**श्री मोहरसिंह** (सादुलपुर) : पोलिटिकल लेवल पर मिनिस्ट्री आ जानी चाहिए।

**श्री हरिदेव जोशी** : वह तो आप चाहते हैं लेकिन आपके मनसूबे पूरे नहीं होंगे। इमरजेंसी तब तक नहीं हटाई जा सकेगी जब तक इस प्रकार के लोग इस देश में ऐसे कामों के अन्दर लगे हुए हैं।

**श्री मोहरसिंह** : सारी जनता इसमें शामिल नहीं है।

**श्री हरिदेव जोशी** : वह तो सही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आज बड़ा पोलिटिकल मूवमेंट लांच करने की आवश्यकता है, पोलिटिकल जागरण की आवश्यकता है और कांग्रेस के सिवाय उन सब लोगों को उसमें सक्रिय सहयोग देने की आवश्यकता है। लोग उस प्रकार के सक्रिय

(श्री हरिदेव जोशी)

सहयोग को कभी-कभी आशंका की निगाह से देखते हैं मगर हमको समझना चाहिए अगर राइट रीएक्शन का यह जो चेलेंज है, अगर इसको सही रूप में चेलेंज मानते हैं तो हमें समझना चाहिए कि चांग–काई–शेक और माओत्से तुंग विदेशी शक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला कर एक साथ लड़ सकते हैं तो भारत में प्रगतिशील शक्तियां राइट रीएक्शन के साथ मुकाबले में क्यों नहीं लड़ सकतीं। जो लोग इस प्रकार के टक्कर को, क्षमत की निगाह से देखते हैं, इस प्रकार के मोर्चे को, हमारी कमजोरी है इस प्रकार से देखते हैं वे राष्ट्रीय हित नहीं कर रहे हैं, यह मेरी अपनी धारणा है····

श्री मोहर सिंह : इमरजेंसी का खंजर दिखा कर सहयोग मांग रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : हम तो पहले भी सहयोग मांग रहे थे लेकिन आपका हित दूसरी जगह जुड़ा हुआ था। घोड़ा वहीं दौड़ सकता है जो खुला हुआ हो, बंधा हुआ घोड़ा दौड़ नहीं सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारा प्रांत, हमारा देश एक राष्ट्रीय इमरजेंसी में से गुजर रहा है। यह राष्ट्रीय इमरजेंसी की मांग है कि सारी आवाज एक हो। समृद्ध, जागृत व उत्तिष्ठ। सब लोग संगठित हों, जागृत हों, उठें। जागो, संगठित हो और उठो। इस भावना से सारी चीजों को देखो, दुर्भाग्यवश यह चीज काफी नहीं है। कभी कभी मन में पीड़ा होती है देख कर कि एक तरफ हम राष्ट्रीय इमरजेंसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कई टैक्नीकल चीजों में बह जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रख कर उस प्रोग्राम को पूरा करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने पिछले 6 महीने में कई नये कानून पास किये हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे उसके विस्तार में जाने की जरूरत है क्योंकि काफी लिटरेचर इस दिशा में सक्यूं लेट किया गया है मगर उसका उद्देश्य है। जिस भूमि की सीलिंग का राजस्थान कांग्रेस और राज्य सरकार का कमिटमेंट है कि आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने जो प्रोग्राम दिया है उस शिड्यूल के अनुसार राजस्थान में इम्प्लीमेंट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अब जब हम उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तब उसके मार्ग में जो अवरोध है उसको हमने तोड़ा है। सबसे बड़ा अवरोध कानूनों में अमुक अमुक मियाद की अवधियों को कम कर दिया गया है, फिर भी मैं यह नहीं कहता कि कानून फूलप्रूफ हो गया है। जिस क्षण भी मालूम पड़ेगा कि अमुक लेकुना है, हम उस लेकुना को दूर करेंगे क्योंकि मुझे विश्वास है कि प्रत्येक प्रगतिशील कदम के अन्दर सदन का विश्वास हमें प्राप्त होगा। ये आर्डिनेन्सेज इसी भरोसे पर, इसी विश्वास पर हमने प्रसारित किये हैं कि सदन की सम्पूर्ण सामूहिक शक्ति प्रगतिशील कदमों के अन्दर राज्य सरकार के साथ है। हमने कुछ कठोर कदम उठाये हैं। कानून के अन्दर किसी ने डिक्लेरेशन दे दिया, फैसला हो गया, वह फैसला अगर इस लेजिस्लेचर की भावना के विपरीत हो तो हमने उनमें संशोधन किया है और इस प्रकार का संशोधन किया है कि अगर राज्य सरकार की निगाह में इस प्रकार की चीजें आयें

(श्री हरिदेव जोशी)

तो सरकार इस प्रकार की चीजों को रीओपन कर सकती है । 500 से ऊपर मामले रीओपन किए गए हैं और मैं इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी ऐसा मामला गंभीरतापूर्वक मेरी निगाह में लाया जाएगा, मैं उसको रीओपन करवाऊंगा ।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राजा महाराजाओं के एस्टेट्स के बारे जो रोड़ा था, उसको दूर कर दिया । राजा महाराजाओं की भूमि आज अधिगृहित की जा रही है । जयपुर के महाराजा की भूमि डूंगरपुर के महारावल की भूमि, अलवर के महाराजा की भूमि, बीकानेर महाराजा की भूमि अधिगृहित की जा रही है । हम कानून की स्प्रिट के अनुसार उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे वह कितना ही बड़ा राजा महाराजा क्यों न हो, अगर कानून की गिरफ्त में आयगा तो हरगिज उसे नहीं छोड़ा जायगा । अध्यक्ष महोदय, मैं सुनता हूं । मुझे खबरें आती हैं । कहीं कोई एक प्रकार की हरकत कर रहा है । कहीं दूसरी कोई प्रकार की हरकतें कर रहा है । पर मैं उन्हें स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमने जो भी आज तक कार्यवाही की है उसमें किसी प्रकार की वैमनस्य की भावना से नहीं किया है । इसमें किसी भी प्रकार की बदले की भावना नहीं है । हम इसे बदले की भावना नहीं कह सकते हैं । बल्कि यह तो कानून जो है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है । इसमें किसी भी व्यक्ति को कानून से टकराव नहीं मोल लेना चाहिये । चाहे वह कोई राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई महाराजकुमार हो । उसे टकराव मोल नहीं लेना चाहिये और अगर वह कोई टकराव मोल लेता है तो वह व्यर्थ होगा इतना मैं कह सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस उद्देश्य से कि भूमिहीन को भूमि मिले और अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भूमिहीन को भूमि दी जाय तो क्या हमारे भूमिहीन के पास कोई क्रेडिट है यह हमें देखने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पांच रूरल बैंक्स खोले हैं इसमें से एक बैंक हमारे राजस्थान में खोला गया है इसके लिये तो मैं भारत सरकार का आभारी हूं । लेकिन मैं इस राय का हूं कि हमें हमारे बूते पर खड़े होकर हमारे भूमिहीन लोगों की मदद करनी चाहिये । हमें दूसरे प्रकार के एफर्ट भी करने की जरूरत है जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी जमीन हमारे पास थी हमने भूमिहीन लोगों में भूमि वितरित की लेकिन हम यह तो जानते हैं कि जो भूमिहीन था उसके पास क्या इनफ्रास्ट्रक्चर था क्या उसके पास इम्प्लीमेन्ट्स खेती करने के लिये थे क्या ? मैं समझता हूं शायद नहीं होंगे । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रगतिशील कदमों के लिये बहुत मुमकिन है कि रीएक्शनरीज लोग उसमें इसके साथ कुछ गड़बड़ियां करने की कोशिश करें । हो सकता है वह लोग सामने न आयें । इसके लिये अध्यक्ष महोदय, हमने जहां भूमिहीन को भूमि देने के लिए कानून में संशोधन किया है । उसी तरह हमने कोआपरेटिव सोसाइटीज के लेन्दी प्रोसीजर में भी संशोधन किये हैं ।

(श्री हरिदेव जोशी)

हमने ऐसे संशोधन कर दिये हैं कि ज्योंही कोई व्यक्ति कोआपरेटिव सोसाइटीज का फार्म भरता है वह उस क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बन जाता है। इस प्रकार का संशोधन करने से अध्यक्ष महोदय, इस डेढ़ दो महीने के दरमियान में हमने ढ़ाई लाख लोगों को सदस्य बना लिया है। अध्यक्ष महोदय, ढ़ाई लाख लोग कोआपरेटिव सोसाइटी के नये मेम्बर बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जहां पर पहले हमारी राजस्थान की आबादी के 38 परसेन्ट लोग कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर्स थे वह अब इस अभियान के अन्तर्गत करीब 60 प्रतिशत लोग क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्य बन गये हैं। लेकिन इसी से मुझे कोई सन्तोष नहीं होता। हमें इसको और आगे बढ़ाना है। हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष कर समाज के उस वर्ग जो कि सदियों से पिछड़ा है उसके लिये हमें विशेष प्रयास करने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को वह लोग थोड़ा गम्भीरतापूर्वक लें। अब हमको क्रेडिट कोआपरेटिव सेक्टर में और काम करने की आवश्यकता है। मैं अभी तक की प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि अभी तक कोई प्रगति ही नहीं हुई, काफी अच्छी प्रगति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज से चार पांच वर्ष पहले जब कि हम 12 करोड़ रुपये इन कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा डिस्ट्रिब्यूट करते थे वहां आज हम 50 करोड़ रुपये बांटने जा रहे हैं। अभी अध्यक्ष महोदय, हमने इस रबी के अन्दर 28 करोड़ रुपये बांटे हैं इसका मतलब यह है कि हमारा टारजेट अकेले रबी का ही 28 करोड़ रुपये बांट चुके हैं जबकि हमने पहले सिर्फ पूरे वर्ष के लिये 12 करोड़ रुपये ही बांटे थे। यह एक अपने आप में प्रगति है। अब हम अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रुपये बांट रहे हैं और वह भी अध्यक्ष महोदय, हम समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये बांट रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो एक रूरल बैंक जो यहां पर खुल रहा है क्या वह अकेला इस कार्य को कर सकेगा ? मैं समझता हूं नहीं कर सकेगा। इसके लिये हमें रूरल क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से राजस्थान के डिस्टेन्ट विलेज में इन रुपयों को बांटना है। मैं समझता हूं कि रूरल बैंक के मुकाबले यह रूरल क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी जहां वह जल्दी पहुंच पायेंगी। लेकिन यह सारा काम कौन करेगा ? क्या कोई कान्सटेबल करेगा, क्या कोई पटवारी करेगा, क्या कोई तहसीलदार इस काम को करेगा ? नहीं। यह काम हमको करना होगा। हम को अपने सीने पर हाथ रख कर यह देखना होगा, हमने कितना काम किया है। हमें अपने क्षेत्र में जाकर देखना होगा कि हमने कितने सदस्य बनाये हैं हमने अपने प्रोग्राम के अन्तर्गत जो टारजेट बनाये थे क्या हमने उन्हें पूरा कर लिया है, यह हमें देखना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि हम गांव के हर एक काश्तकार को आज एकदम कुंआ नहीं दे सकते, मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति को हम बिजली की मोटर नहीं दे सकते मगर जिन भूमिहीनों को हमने जमीन

(श्री हरिदेव जोशी)

दे दी है उनको हम वैल तो दे सकते हैं, बोने के लिये बीज तो दे सकते हैं, उन्हें अच्छी खाद तो दे सकते हैं और जो आवश्यक साधन है वह तो जुटा सकते हैं उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही है। यह हमें समझना चाहिये। इस कमी को हमें एफर्ट करके पूरा करना होगा और उसके लिये हम उन्हें रूरल क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से पैसे दिला कर साधन उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिये हमें भारत सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया है उसे पूरा करना है तथा उसके लिये हमें जो हमारे देश में एक पोलिटिकल मूवमेंन्ट शुरू हुआ है उसे पूरा करना होगा। इसलिये हमको इस काम को अपने हाथ में लेकर पूरा करना होगा। क्योंकि सिर्फ एक मात्र कोआपरेटिव सेक्टर ही ऐसा है जो इसमें हमारी बहुत मदद कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर हमने एक बड़े पैमाने पर रिकार्ड दुरुस्ती, जमीन का आवन्टन और इन्तकाल दर्ज आदि के कार्य करने शुरू किये हैं। जो काम हमने हाथ में लिये हैं। उसमें हमने काफी किया है फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें और इसमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे इससे अभी पूरा सन्तोष नहीं हुआ है इसे हमें और तेजी से जारी रखना होगा और मैं समझता हूँ हमारा यह ड्राईव जो राजस्थान में हमने चलाया है वह हमारे देश में दूसरे प्रान्तों के लोगों को प्रेरणा देने वाला होगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर भूमि आवण्टन के काम को लेकर थोड़ी चर्चा हुई मैं उसमें ज्यादा चर्चा में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं मुस्तकिल तौर पर किसी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन यहां थोड़ा माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में वहां के राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने भूमिहीनों को भूमि देने के बारे में वहां के जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने कुछ कार्यक्रम बनाये। उन्होंने वहां पर डिसकस भी किया और फिर उन कार्यक्रमों को लेकर वे लोग मेरे पास भी आये और मुझे उन्होंने कुछ फारमूले बताये। उन्होंने बताया कि सरकारी पड़त भूमि को भूमिहीनों को बांट दी जाय, इवेक्यू भूमि को भूमिहीनों में बांट दी जाय और जो काबिल काश्त भूमि है जो एग्रीकल्चर भूमि है उसे कनवर्ट करके भूमिहीनों में बांट दी जाय। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो जरूरत से ज्यादा भूमि है चरागाह की उसको भी कनवर्ट करके भूमिहीनों में बांट दिया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि झगड़े की बात है इसमें मैं नहीं पड़ना चाहता और उन्हें वापिस भेज दिया। उसके बाद अलवर की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में बैठकर बातचीत की और कोआपरेटिव सेक्टर के माध्यम से खेती करो के बारे में कुछ तय किया और वह आकर मेरे से और मिले। मैंने उन पर विचार किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस 6 महिने के अर्से में अलवर में 26 परिवारों को जो भूमिहीन थे उन्हें 88 हजार एकड़ भूमि आवंटित की गयी जो अपने देश में अपने आप में एक मिसाल है और मैं इसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा एचीवमेंट मानता

(श्री हरिदेव जोशी)

हूं। अध्यक्ष महोदय, अलवर में अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो बीघा जमीन होती है तो वह अपने आपको जमींदार समझता है तो वहां के 26 हजार परिवार वालों को जो यह जमीन मिली है उससे वह लोग अपने आपको कितना खुशनसीब समझते होंगे और उसके लिये हमने हमारे देश के कांग्रेसी नेता के मुंह से बहुत ही तारीफ सुनी। अध्यक्ष महोदय, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेरे से बुजुर्ग ही नहीं हैं, बल्कि हमारे कांग्रेस संगठन के बड़े जाने माने नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, वह श्री पी. नृसिंहराव जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके है। अध्यक्ष महोदय, उन्हें वहां विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था। जब उन्होंने उस कार्यक्रम को देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने अध्यक्ष महोदय, इसकी मुख्य मंत्रियों और रेवेन्यू-मिनिस्टर्स की कान्फरेन्स में इस परफार्मेंस के बारे में चर्चा की। जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स से वहां पर कवेश्चन किया तब मुझे लगा इस आदमी का माइन्ड इसमें लगा है। वहां के बाद में आकर मैंने उनको आमन्त्रित किया। उनका दिल बाग बाग हो गया। वे सारा रिकार्ड ले गये। फाइल ले गये।

सवाई माधोपुर के अन्दर उसी की नकल करके अथवा इन्डिपेन्डेन्टली वहां के लोगों ने शुरू किया। पी. सी. सेठी, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री महावीरजी आये हुए थे। उनको आमन्त्रित किया और वे वहां गये और उन्होंने देखा। इसको वे ले गये और राजस्थान की योजना कह कर घोषित किया। परसों रतलाम स्टेशन पर अखबार दिखाया। उन्होंने राजस्थान की योजना के रूप में घोषित किया है और इस अभियान को वहां पर शुरू किया गया है।

मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमारे मन में अन्तिम दृष्टि के प्रति कोई भी हमदर्दी है भी तो हमें छोटी से छोटी चीज से ऊपर उठ कर कुछ न कुछ सुधार देने की चेष्टा करनी चाहिए।

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब प्रान्त के अन्दर बड़े बड़े उद्योग नहीं हैं। वहां पर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ज्यादा हैं। वहां पर खेती और भूमि का डेवलपमेंट है इसलिए देश भर में पर केपिटा इनकम पंजाब में सबसे ज्यादा है। पंजाब और बिहार को कम्पेयर किया जाय तो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज बिहार में ज्यादा हैं पर पंजाब के मुकाबले बिहार गरीब है, वहां पर केपिटा इनकम बहुत गिरी हुई है। इसलिये कुछ करना चाहते हैं तो भूमिहीनों को भूमि दें, कुछ करना चाहते हैं तो खेती वालों को कुछ साधन दें। खाली बातें करके यह चाहते हैं कि खेती के उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाय यह होने वाला नहीं। राजस्थान की सरकार ने पिछले दिनों भरसक एफर्ट्स किये हैं और इसके अच्छे परिणाम आवेंगे। राजस्थान का किसान ऊपर उठ सकेगा, उसकी हैसियत सुधर सकेगी और वह सबल हो सकेगा। अनुभूतियों को भूतकाल की अनुभूतियां समझ कर आप भ्रम के शिकार हो गये हैं।

श्री मोहरसिंह : 40 रुपये क्विन्टल आकर बाजरा बिक रहा है। उसका क्या किया?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उस दिशा में दूसरे कदम भी राज्य सरकार ने उठाये हैं बोन्डेड लेबर के बारे में। मिनिमम वेजेज के बारे में। बोन्डेड लेबर, मिनिमम वेजेज ऐसी चीजें हैं कि यह हमेशा चलती रहने वाली है। इसको जागरूकता पूर्वक जहां हम देखें उसको खत्म करना चाहिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मेरे जिले में 80 चालान किये गये हैं और उनमें से कितने सही माने में हैं, नाथूरामजी होते तो कान्ट्राडिक्ट करते, दूसरी बात कहते और कहते कि सारे के सारे सागड़ी हो गये। फालतू की बात है। जो भी बोन्डेड लेबर रखने वाला है उसको समय को पहचानना चाहिये। नयी रोशनी को देखना चाहिये और वह आदमी उसके घर पर काम करे उससे ऐतराज नहीं है परन्तु उसे 41 रुपया पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिये जो गांव से नजदीक लोग थे उन लोगों को सुपरवीजन के लिये और प्रोसिक्यूशन के लिये लिया गया है। पंचायत समिति को जिम्मेदार ठहराया गया है इसलिए कि वे गांव में बैठे हुए हैं और गांव की फिजा को जानते हैं और खेती को भी जानते हैं।

एक फिजा, अध्यक्ष महोदय, देश में पैदा हुई है वह नये कार्यक्रम के प्रति आस्था। नया कार्यक्रम जादू नहीं है। इस नये कार्यक्रम में सामाजिक ढांचा बिलकुल बदल जावेगा यह भी नहीं कह सकते। लेकिन यह एक दिशा में जाने वाली चीज है उस दिशा में हम प्रयत्न करें तब जाकर यह संभव हो सकेगा कि समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका है उसमें आत्मविश्वास पैदा हो। वह यह समझे कि कोई है जो हमारे लिए सोच रहा है करने की कोशिश करें। मैं ऐसा समझता हूं कि फिजा को पोजिटिव एफर्ट्स करके बनाये रखना चाहिए बजाय इसके लिये नेगेटिव एप्रोच रखें।

अध्यक्ष महोदय, इसी चीज को ध्यान से रखकर राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कुछ न कुछ काम करने की बात को तेज किया है। मेरे मन में इस बात की पीड़ा बनी रहती है कि राजस्थान का भील इतना पिछड़ा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि साल भर में 9 महीने भरपेट पूरा खाना उसे नहीं मिलता है भील की स्त्री, भील के बच्चे जिन्दगी में शायद कुछ बार ठीक ढंग का खाना खा पाते हों। भील की स्त्री के लीरी लीरी कपड़ों को, इधर खींचती है तो इधर नंगी दिखती है और उधर खींचती है तो इधर नंगी दिखती है। राजस्थान में उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने ट्राइबल एरिया नियत किया है। ट्राइबल सब प्लान नहीं, ट्राइबल एरिया सब प्लान है। राजस्थान में ट्राइबल्स में मीणे, सहरिया, गरासिया और भील हैं। मगर ट्राइबल एरिया केवल भीलों का एरिया ही है। यह राजस्थान सरकार की स्कीम नहीं है बल्कि यह भारत सरकार की स्कीम है ट्राइबल एरिया सब प्लान बनाने की।

अध्यक्ष महोदय, आखिर कोई दिन आ सकेगा, मैं नहीं जानता कि कितने वर्षों के बाद आ सकेगा, जब राजस्थान का भील राजस्थान के दूसरे ट्राइब्स के मुकाबले में बराबर की जिन्दगी जी सकेगा। इसलिये मैं

# Page No 106

106



(श्री हरिदेव जोशी)
इन प्रश्नों को उसी रूप में देखने के लिये निवेदन करता हूं।

हम इस प्रदेश में कुछ नये कार्यों को हाथ में लेकर के चल रहे हैं। राजस्थान में दूसरे तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष अकाल पड़ता है और लाखों मवेशी राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान से चल कर चम्बल और गंगा की तलहटियों में जाती हैं। और गंगा जमुना की तलहटी में उन लोगों को पानी पिलाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय यह उनका दोष नहीं था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन गया, अध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनने के कारण उन लोगों को गंगा और जमुना की घाटी में जाना पड़ा। क्या इस प्रान्त के लोगों का यह कर्तव्य नहीं है कि हर रोज आने वाली कठिनाई का कोई हल ढूंढा जा सके, कोई मार्ग निकाला जा सके, किसी प्रकार कोई समाधान किया जा सके और मदद की जा सके। जब वह पूरे दिन भर सारी धूप में मरकर अकाल का काम करता है अथवा करती है तब पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल से डेढ़ रोटी का टुकड़ा दे पाते हैं।

जब हम अपने शहरों में 40 गैलन पर केपिटा खर्च करते हैं तब उसको कहीं दो बोतल पानी भरकर देते हैं। उसके खर्च को बाद कर दीजिए उसके बाद में मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी जिन्दगी को अगर कुछ ठीक बना सकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पीने का पानी आ जाय, पाश्चर डवलप हो जाय, ऊन डवलप हो जाय ये ही सारी चीजें हैं जो हम उन को दे सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर अध्यक्ष महोदय डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड और कमीशन की स्थापना की गई है। डेजर्ट डवलपमेंट बोर्ड और कमीशन में उस इलाके के चुने हुये सारे प्रतिनिधि हैं, उनको माइन्ड अप्लाई करना है वहां के प्रमुख जन सेवक हैं उनको अपना दिमाग लगाना है और जो आज निगाह में नहीं हैं उनको निगाह में लेकर कोई उनके लिए हल ढूंढना है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का फिफ्थ प्लान जिस समय बना उस समय हमने राज्य के लिए न्यू रिसोर्सेज 75 करोड़ के करीब सोचे थे। नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग हुई उसमें 75 करोड़ हमने कहा था उसके कुछ महिनों के बाद ए.आई.सी.सी. की मीटिंग हुई और ए.आई. सी. सी. के समय प्रधान मंत्रीजी ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं। हमने यह समझ कर कि हमारा पिछड़ा हुआ प्रान्त है हमने 75 के बदले 100 करोड़ की हां करली। मैं अपने साथी चन्दन मल जी से सलाह भी नहीं कर सका बल्कि पूरे मंत्री मण्डल की हैसियत से मैं 100 करोड़ की बात वहां कह कर आया। अध्यक्ष महोदय उसके बाद स्थितियां और होती चली गईं और उसी प्लान को मेन्टेन करने के लिए आज हम लगभग 180 करोड़ के रिसोर्सेज जुटाने की बात कर रहे हैं। 75 करोड़ कहां और 180 करोड़ कहां। उसके बदले आउटसाइड दी प्लान सीलिंग 50 लाख रुपया फाइव डेयरीज के लिए इस इलाके में खर्च करने की बात कही गई। इतना बड़ा खर्चा किसी क्षेत्र में नहीं है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं है।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय मैं किसी नई कन्ट्रोवर्सी को जन्म नहीं देना चाहता हूं न बात करना चाहता हूं परन्तु मेरे एक मित्र ने अभी यहां पर सजेस्ट किया था, उनकी बात मैं एग्री करता हूं कि जहां पर भू-जल ऊंचा है वहां पर बिजली ज्यादा लगाई जानी चाहिए और जहां पर पानी नहीं है वहां पर बिजली न आये तब भी काम चल सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर झुंझुनूं में 40 प्रतिशत इलेक्ट्रीफिकेशन हो चुका है जबकि स्टेट का प्रतिशत 20 प्रतिशत भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर 32 परसेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, अलवर के अन्दर 26 परसेन्ट हो चुका है, अजमेर में 24 परसेन्ट हो चुका है, सीकर में 25 परसेन्ट हो चुका है, उसके मुकाबले बीकानेर में 1' परसेन्ट, चूरू में 16 परसेन्ट, गंगानगर में 14 परसेन्ट, बाड़मेर में 5 प्रतिशत, जैसलमेर में 0.56 प्रतिशत, जालौर में 18.19 प्रतिशत इसी तरह नागौर में 21, बूंदी में 12 झालावाड़ में 16, कोटा में 14, बांसवाड़ा में 13, डूंगरपुर में पौने पन्द्रह प्रतिशत, उदयपुर में 15.18 प्रतिशत····

**श्री मीठालाल** : जयपुर का भी ज्यादा हो जाता, अगर आपने उद्घाटन किया होता तो····

**श्री हरिदेव जोशी** : मैं आपका स्वागत करूंगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने सजेस्ट किया है वही हमारी पालिसी है, गवर्नमेंट की पालिसी है उसी को एडहायर करती चली जा रही है। होना यह चाहिये था कि राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था, राज्य सरकार ने उनकी भावना की कद्र की है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय पर केपिटा एक्सपेन्डीचर के फीगर्स के जंजाल में मैं माननीय सदस्यों को नहीं डालना चाहता मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी फीगर्स को कम्पेयर कर ले, जयपुर के लिये पर केपिटा एक्सपेन्डीचर सबसे ज्यादा है···

**श्री मीठालाल** : शहर में होगा।

**श्री हरिदेव जोशी** : नहीं, नहीं जो कामन चीजें हैं मैं फीगर दे दूंगा आप मेरे पास घंटे भर बैठ जाइये···

**श्री माणकचन्द सोगानी** : और जिलों के साथ अन्याय हो रहा है।

**श्री हरिदेव जोशी** : चम्बल का पानी आपके ही आया है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : इसीलिए ये दुबले हो रहे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी** : मेरे मन में कहीं कम और कहीं ज्यादा देने का सवाल ही नहीं है। विकास की तमन्ना इतनी ज्यादा है बेहिसाब। आप जयपुर की बात को छोड़ दीजिये, जयपुर तो विकसित था पहले ही मेरे भील इलाके में जो प्राईमरी स्कूल के लिए इतनी दरख्वास्तें आती थी आज उतनी बिजली के लिए आती हैं जिस भील ने केवल आसमान में चमकती हुई बिजली को देखा था वह आज इस बिजली के स्वप्न देख रहा है। एक समय था जब उसने कुछ नहीं देखा था जो लोग बस में नहीं बैठे हैं वह

(श्री हरिदेव जोशी)
आदमी आज बिजली की मांग करता है। बिजली और विकास की तमन्ना इतनी बढ़ी हुई है। उसे, हम अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि भावना जब बहुत प्रज्वलित होती है तो हम कहीं कहीं एक डाइरेक्शन में झुक जाते हैं जो आपने कहा है रीजनल इम्बेलेन्स के लिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं अगर आपको (माननीय सदस्य श्री बी. एन. जोशी) फीगर दे देता तो आप देखते कि आपके टोन में फर्क आ जाता ··· (अश्रव्य) बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं–सीरत से बुरी है या सूरत से बुरी गरज कि जालिम की नियत बुरी है।

**श्री पी. के. चौधरी** : एक बात जो आपने मनोहरपुर में चर्चा करने को कहा था उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी** : मैंने कहा न मैं किसी कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता हूं।

**श्री पी. के. चौधरी** : प्रधान मंत्री के सामने आपने घोषणा की थी आपने मनोहरपुर में घोषणा की थी कि 50 करोड़ रुपया 6 जिलों में खर्च करेंगे उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं।

**श्री हरिदेव जोशी** : मैंने कहा कि मैं कन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो एक ही चीज कह सकता हूं कि मेरे शासन संभालने के बाद आउट साइड दी प्लान पैसा उतना मिला चम्बल केनाल के लिये और राजस्थान केनाल डवलपमेंट के लिये और बाकी मिला तो सबसे पहले 50 करोड़ रुपया इस एरिया में खर्च करने का प्लान बनाया है। इससे हमारी इन्टेन्शन को और दिशा को आप समझ सकते हैं। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने ···

**श्री मीठालाल** : लेवी के मामले में आपको घोषणा करनी चाहिये थी उसके लिए कुछ नहीं कहा ?

**श्री हरिदेव जोशी** : मैं नीति के मामलों को अभी छोड़ता हूं।

तो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय श्री गिरधारीलाल जी व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 15 जनवरी को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4.42 बजे सोमवार दिनांक 15 जनवरी, 1976 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

# परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 67 की सूची)

राजस्थान प्रान्त के ऐसे जिलों के मुख्यालय, जहां लड़कियों का उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, की सूची ।

(1) चूरू
(2) जैसलमेर
(3) जालोर
(4) नागौर
(5) सिरोही
(6) बाड़मेर
(7) सीकर
(8) सवाई माधोपुर
(9) झुंझुनूं
(10) झालावाड़

# परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर खण्ड–2

बी. एस. टी. सी. (प्रथम वर्ष पास) अध्यापक (सत्र 1974-75) की सूची

| क्र.सं. | नाम | क्र.सं. | नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. | किरण दीक्षित | 25. | श्री सिरजिसिंह |
| 2. | सुरसती भान | 26. | ,, रामदयाल |
| 3. | श्री राधेश्याम शर्मा | 27. | ,, गजानन्द शर्मा |
| 4. | सुश्री गीता कौशिक | 28. | ,, प्यारसीलाल |
| 5. | ,, लीलावन्ती साहनी | 29. | कु. अनिता त्रिवेदी |
| 6. | श्री मोहनलाल | 30. | श्री उम्मेदसिंह |
| 7. | ,, बजरंग लाल | 31. | ,, दाताराम |
| 8. | बिन्दु मेहरा | 32. | ,, रामेश्वर प्रसाद |
| 9. | श्री कैलाश प्रसाद | 33. | ,, प्रहलाद कुमार |
| 10. | ,, राधेश्याम | 34. | ,, रामचन्द्र सिंह |
| 11. | ,, प्रभातीलाल | 35. | ,, ओमप्रकाश |
| 12. | ,, नरसिंहलाल | 36. | ,, मांगीलाल |
| 13. | ,, रामचरण | 37. | ,, कैलाशचन्द |
| 14. | सरिता आनन्द | 38. | ,, रामचन्द्र |
| 15 | श्री रामकिशोर गोतम | 39. | ,, बनवारी लाल |
| 16. | ,, छीतरमल धोबी | 40. | ,, अशोक कुमार |
| 17. | बिमला देवी सोनी | 41. | ,, रामावतार |
| 18. | श्री बद्रीनारायण सूद | 42. | ,, गोपाललाल |
| 19. | ,, कन्हैयालाल | 43. | ,, विजयसिंह |
| 20. | ,, रामनाथ डाकोत | 44. | ,, रामेश्वर प्रसाद |
| 21. | कु. शान्ती खत्री | 45. | श्रीमती निहाल देवी |
| 22. | श्री कैलाश नारायन | 46. | श्री रामकिशोर |
| 23. | ,, ओमप्रकाश शर्मा | 47. | ,, मूलचन्द तोसावड़ा |
| 24. | ,, जगदीश प्रसाद | 48. | ,, रोहितास यादव |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 49. | श्री हरिप्रसाद योगी | 82. | श्री कालूराम |
| 50. | ,, प्रसादी लाल | 83. | ,, गफूरखां |
| 51. | ,, रामचन्द्र | 84. | ,, कैलाशचन्द्र कुमावत |
| 52. | ,, बाबूलाल मीणा | 85. | सुश्री फूलकंवर |
| 53. | ,, राधेश्याम शर्मा | 86. | श्री श्यामलाल |
| 54. | ,, विमलेश कुमार | 87. | ,, छीतरमल |
| 55. | ,, रामपाल योगी | 88. | ,, रामगोपाल |
| 56. | ,, नन्दाराम | 89. | ,, नन्दलाल |
| 57. | ,, रामचन्द्र | 90. | ,, भौंरीलाल |
| 58. | ,, सूरजमल | 91. | ,, राधेश्याम |
| 59. | ,, राजेशबाबू | 92. | श्रीमती धनकुमारी |
| 60. | ,, नाथूलाल | 93. | सुश्री शारदा शर्मा |
| 61. | ,, राधेश्याम | 94. | श्री रमेशचन्द्र शर्मा |
| 62. | ,, जगमोहन | 95. | ,, राधेश्याम |
| 63. | ,, रामावतार | 96. | ,, कुलदीप |
| 64. | ,, कैलाशनारायण | 97. | ,, मेघराज यादव |
| 65. | ,, नटवरलाल | 98. | सुश्री अनुसूया रानी |
| 66. | ,, रामेश्वर प्रसाद | 99. | कुन्ती शर्मा |
| 67. | ,, बाबूलाल | 100. | श्री हनुमान सहाय |
| 68. | ,, सम्पतलाल | 101. | ,, पुरुषोत्तम |
| 69. | ,, द्वारका प्रसाद | 102. | ,, महावीरप्रसाद |
| 70. | ,, विष्णु प्रकाश | 103. | ,, प्रीतम विहारी |
| 71. | ,, महावीर प्रसाद | 104. | ,, पृथ्वीराज |
| 72. | ,, छाजूलाल | 105. | कु. सरिता परनामी |
| 73. | ,, दिनेश चन्द्र | 106. | श्री कैलाशचन्द्र |
| 74. | ,, मोतीलाल | 107. | ,, रामेश्वरलाल |
| 75. | ,, गोपाल लाल | 108. | ,, कन्हैयालाल |
| 76. | ,, सुलतानराम | 109. | ,, बाबूलाल |
| 77. | ,, कजोड़मल | 110. | ,, रतनलाल |
| 78. | ,, मोहनलाल | 111. | ,, गिरधारीलाल |
| 79. | ,, शिवराम | 112. | ,, सीताराम |
| 80. | ,, गोपाल कुमार | 113. | ,, जगदीशचन्द्र |
| 81. | ,, मुरलीधर | 114. | श्रीमती रजनी |

(112)



| 1 | 2 |
|---|---|
| 115. | श्री सीताराम |
| 116 | ,, रामकरण |
| 117. | ,, रामस्वरूप |
| 118. | ,, बंशीधर यादव |
| 119. | श्रीमती जसपाल |
| 120. | श्री कन्हैयालाल |
| 121. | ,, रामकिशोर |
| 122. | कु. गीता पारीक |
| 123. | श्री जितेन्द्रकुमार |
| 124. | ,, बजरंगलाल |
| 125. | ,, कान्ता शर्मा |
| 126. | श्रीमती मीना जैन |
| 127. | ,, मुन्नी देवी |
| 128. | श्री जयनारायण |
| 129. | क्षमा सक्सेना |
| 130. | श्री रामस्वरूप बैरवा |
| 131. | कु. ऊषा गुप्ता |
| 132. | श्री प्रहलाद सहाय |
| 133. | श्रीमती संतोष शर्मा |
| 134. | श्रीमती मनोरमा |
| 135. | ,, नन्द कंवर |
| 136. | कु. मंवर शर्मा |
| 137. | श्री नन्दलाल मीणा |
| 138. | श्रीमती छवि भट्ट |
| 139. | श्री घीसालाल बुनकर |
| 140. | ,, श्यामलाल |
| 141. | ,, रामफूल मीणा |
| 142. | श्रीमती सुकीर्ति सक्सेना |
| 143. | ,, भारती शर्मा |
| 144. | श्री छोटूलाल |
| 145. | ,, धर्मपाल मीना |
| 146. | वीणा कुमारी द्रोण |
| 147. | कु. गायत्री पारीक |
| 148. | इन्द्रा कुमारी |
| 149. | श्री गंगाधर मीणा |
| 150. | ,, भूधरलाल |
| 151. | ,, रतन माथुर |

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर (प्रथम)

फरवरी 75 में एस. टी. सी. प्रथम वर्ष प्रशिक्षित नियुक्त किये गये अध्यापकों के नाम।

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | क्र.सं. | नाम कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1. | श्रीमती किरण दीक्षित | 27. | श्रीमती सरीता आनन्द |
| 2. | श्री विरजूसिंह | 28. | श्री रामचन्द्रसिंह गहलोत |
| 3. | श्रीमती सरस्वती भान | 29. | ,, रामकिशोर गौतम |
| 4. | श्री रामदयाल योगी | 30. | ,, बनवारीलाल शर्मा |
| 6. | ,, राधेश्याम शर्मा | 31. | ,, छीतरमल धोबी |
| 6. | ,, गजानन्द शर्मा | 32. | ,, अशोक कुमार मृदुल |
| 7. | सुश्री गीता कौशिक | 33. | श्रीमती विमलादेवी सोनी |
| 8. | श्री ग्यारसीलाल खाती | 34. | श्री रामावतार खाती |
| 9. | सुश्री लीलावन्ती सहानी | 35. | ,, बद्रीनारायण सूद |
| 10. | कुमारी वनिता त्रिवेदी | 36. | ,, गोपाललाल |
| 11. | श्री मोहनलाल | 37. | ,, कन्हैयालाल पारीक |
| 12. | ,, उम्मेदसिंह राव | 38. | ,, विजयसिंह राठोड़ |
| 13. | ,, बजरंगलाल शर्मा | 39. | ,, रामनाथ डाकोत |
| 14. | ,, दांताराम गूजर | 40. | ,, रामेश्वरप्रसाद कुम्हार |
| 15. | कुमारी बिन्दू महेश | 41. | ,, शान्ती खत्री |
| 16. | श्री रामेश्वर प्रसाद जाट | 42. | ,, हरिनारायण बुनकर |
| 17. | ,, कैलाशप्रसाद शर्मा | 43. | ,, कैलाश नारायण डाकोत |
| 18. | ,, प्रहलादकुमार नाई | 44. | श्रीमती निहालदेवी |
| 19. | ,, राधेश्याम शर्मा | 45. | श्री ओमप्रकाश शर्मा |
| 20. | ,, रामचन्द्रसिंह शेखावत | 46. | ,, रामकिशोर यादव |
| 21. | ,, प्रभातीलाल गूजर | 47. | ,, जगदीश प्रसाद यादव |
| 22. | ,, ओमप्रकाश तिवाड़ी | 48. | ,, मूलसिंह तोसावड़ा |
| 23. | ,, नृसिंहलाल लक्ष्कार | 49. | ,, रोहिताश यादव |
| 24. | ,, मांगीलाल शर्मा | 50. | ,, हरिप्रसाद योगी |
| 25. | ,, रामचरण छीपा | 51. | ,, प्रसादीलाल कोली |
| 26. | ,, कैलाश चन्द्र शर्मा | 52. | ,, रामचन्द्र जाट |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 53. | श्री बाबूलाल मीणा | 78. | श्री भौंरीलाल बुनकर |
| 54. | ,, राधेश्याम शर्मा | 79. | ,, पृथ्वीराज चौहान (बलाई) |
| 55. | ,, विमलेश कुमार | 80. | ,, कैलाशचन्द्र बुनकर |
| 56. | ,, रामपाल योगी | 81. | ,, रामेश्वरलाल मीना |
| 57. | ,, नत्थाराम | 82. | ,, कन्हैयालाल मीना |
| 58. | ,, रामचन्द्र कुमावत | 83. | ,, सीताराम बैरवा |
| 59. | ,, सुरजमल जाट | 84. | ,, रामकरण मीना |
| 60. | ,, राजेश बाबू शर्मा | 85. | ,, कन्हैयालाल मीना |
| 61. | ,, नाथूलाल सेन | 86. | ,, रामकिशोर मीना |
| 62. | ,, राधेश्याम स्वामी | 87. | ,, जमनानारायण महावर |
| 63. | ,, बृजमोहन शर्मा | 88. | ,, रामस्वरूप बैरवा |
| 64. | ,, रामावतार शर्मा | 89. | ,, नन्दलाल मीना |
| 65. | ,, कैलाशनारायण शर्मा | 90. | ,, घासीलाल बुनकर |
| 66. | ,, नटवरलाल पारीक | 91. | ,, श्यामलाल बुनकर |
| 67. | ,, रामेश्वर प्रसाद जाट | 92. | ,, रामथद मीना |
| 68. | ,, बाबूलाल गुप्ता | 93. | ,, छोटेलाल महावर |
| 69. | ,, सम्पतलाल शर्मा | 94. | ,, धर्मपाल मीना |
| 70. | ,, द्वारकाप्रसाद शर्मा | 95. | ,, गंगाधर मीना |
| 71. | ,, विष्णुप्रसाद नाटा | 96. | ,, भूथालाल मीना |
| 72. | ,, महावीर प्रसाद सुनार | 97. | कु. रतनावत |
| 73. | ,, छाजूलाल जाट | 98. | धनकुमारी शर्मा |
| 74. | ,, दिनेशचन्द्र शर्मा | 99. | शारदा शर्मा |
| 75. | ,, मोतीलाल जाट | 100. | धनसूया शर्मा |
| 76. | ,, सुल्तानराम मीना | 101. | कान्ती शर्मा |
| 77. | ,, शिवराम शर्मा | | |

ह.
जिला शिक्षा अधिकारी,
जयपुर (प्रथम)।

## परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गए तारांकित प्रश्नोत्तर)

### नये विद्यालय खोलने के नियम

84. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में नये विद्यालय खोलने अथवा निम्न स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के क्या क्या नियम हैं? स्तरवाइज बतलायें।

(2) विधान सभा के गत बजट अधिवेशन में राज्य में कितने उच्च प्रा. विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी तथा कितने खोले गये ?

(3) उसी सत्र में राज्य में कितने हाई स्कूल खोलने का बजट में प्रावधान किया गया था? क्या उसी के अनुसार और विशिष्टतानुसार नये हाई स्कूल खोले गये हैं? यदि हां, तो विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

### उत्तर

(1) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बजट अधिवेशन में 100 (एक-सौ) उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी जिसमें से 50 विद्यालय खोले गये।

(3) बजट में 125 हाई स्कूल खोलने के लिए प्रावधान किया गया था। मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए 158 विद्यालय खोले गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

### सूची

राज्य में नए विद्यालय खोलने अथवा विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के न्यूनतम मानदण्ड निम्न प्रकार हैं:-

प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक:-

(1) कक्षा 3, 4 व 5 में कुल मिलाकर 85 छात्र हों।

(2) कक्षा 6 में प्रवेश लेने वालों की संख्या कम से कम 8 छात्र होनी चाहिए।

उच्च प्राथमिक से सैकण्डरी:-

| | कक्षा 6 से 8 में न्यूनतम छात्र संख्या | कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की न्यूनतम छात्र संख्या |
|---|---|---|
| नार्मल एरिया | 80 | 16 |
| आदिवासी, रेगिस्तानी एवं बालिका विद्यालय। | 40 | 8 |

सूची उन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिन्हें सत्र 1975–76 में माध्यमिक विद्यालय (सैकण्डरी स्कूल्स) के रूप में क्रमोन्नत किया गया।

| जिला<br>1 | नाम विद्यालय<br>2 |
|---|---|
| भरतपुर | 1. पथैना (वैर) 2. राजाखेड़ा (कन्या) (धौलपुर) 3. अघीना 4. अखेगढ़ 5. बेरू 6. पिचूना 7. तासीमा 8. कुम्हेर (कन्या) |
| सवाई माधोपुर | 1. ईसरदा 2. छोटीउदई 3. सूरवाल 4. महुवा (कन्या) 5. बालेर (खण्डार) 6. लिवाली 7. ढिठोरा 8. मोखरी (सपोटरा) |
| जयपुर | 1. साखून (दूदू) 2. रायसर 3. सिमोद 4. रेनवाल मांजी (फागी) 5. गंगापोल (कन्या) 6. मुडियारामसर 7 बोगावास (फुलेरा) 8. गुढाकटला 9. जटवाडाकलां (बस्सी) 10. बड़नगर (कोटपूतली) 11. रेजीडेन्सी, जयपुर 12. रामगढ़-पचावरा 13. पापड़दा 14. मेड़ |
| अजमेर | 1. पुष्कर (कन्या) 2. देवलियाकलां (भिनाय) 3. मसूदा (कन्या) 4. सरवाड़ (कन्या) 5. बान्दरसिन्दरी 6. गुलाबबाड़ी (अजमेर शहर) |
| टोंक | 1. झिलाई 2. आंवा (पं. स. देवली) 3. कलमण्डा 4. हरियाली |
| अलवर | 1. गूंतो (बहरोड़) 2. किशनगढ़बास (कन्या) 3. जाटबहरोड़ (मुण्डावर) 4. शाहपुरा (हहरा-विजय मन्दिर के पास) 5. भीमराना (बहरोड़) 6. बड़ोदाकान (कठूमर) 7. पृथ्वीपुरा 8. बामनवास (थानागाजी) |
| झुंझुनू | 1. काकोड़ा 2. सांतोर 3. पौंख उदयपुरवाटी 4. किशोरपुरा 5. भाह 6. कुमावास 7. मुहानिया (सूरजगढ़) 8. डाबड़ीधीरसिंह (मंडावा) 9. खुडानिया |

| 1 | 2 |
|---|---|
| सीकर | 1. झाडली 2. कोलिण्डा 3. भूदोली 4. रेवासर (दांतारामगढ़) |
| जोधपुर | 1. सेना (शेरगढ़) 2. पूंजला (कन्या) (जोधपुर शहर) 3. बुदाडा 4 गंगानी 5. डाढ़णिया 6. खेजडला 7. टेपू 8. तिवरी 9. जेसला (फलोदी) |
| नागौर | 1. बगड़ (मेडता) 2. रोल 3. जसवन्तगढ़ (कन्या) 4. मीढ़ा 5. जाखेडा 6. गच्छीपुरा 7. चावडिया (नागौर) |
| चूरू | 1. साडवा 2. सालासर 3. धीरवास (तारानगर) 4. सोमासी 5. सोनियासरपडरी |
| पाली | 1. मुंडारा (बाली) 2. बूसी 3. देवलीकलां (प्रताप मिडिल-स्कूल) 4. कंटालिया (खारची) 5. जवाली (देसूरी) 6. ढ़बर 7. पीपलियाकलां |
| बीकानेर | 1. लूणकरणसर (कन्या) 2. बरसिंहसर 3. पांचू (नोखा) |
| सिरोही | 1. मोर (आबूरोड) 2. अनादरा 3. नान्दिया |
| श्री गंगानगर | 1. मेठराणा 2. दलपतपुरा 3. गणेशगढ़ 4. बढ़ोपल 5. तलवाडाझील 6. गांधीबडी (भादरा) 7. मनियावाली (सादुलशहर) |
| जालौर | 1. धारापा 2. धानसा 3. साकड़ 4. रामसीन |
| बाड़मेर | 1. बुरान का तला 2. शिव 3. रानीगांव 4. गुडामालानी 5. आमड़ा (पंचपदरा) |
| जैसलमेर | 1. फलसूण्ड |
| बून्दी | 1. करवर 2. कासी 3. बून्दीसिटी (कन्या) |
| कोटा | 1 मोडक स्टेशन 2. मंडावर 3. चलायथा 4. छीपाबड़ोद (कन्या) 5. कुजेड़ 6. नाहरगढ़ (किशनगंज) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| भीलवाड़ा | 1. भाटू 2. मकोला 3. पाटण 4. बोराना 5. सुवाणा 6. खजूरी 7. ब्राह्मणों की सरेरी 8. सरेरी (बडेरो की) (पं.स. खुरड़ा) 9. ढोकोला (शाहपुरा) |
| डूंगरपुर | 1. भीतरीपाल 2. माविया (सागवाड़ा) 3. ठाकरडा 4. रामगढ़ 5. पालवोपली |
| चित्तौड़गढ़ | 1. विजयपुर 2. चिकारडा 3. कुलयाना (प्रतापगढ़) 4. बाम्बोरी 5. साडाख |
| झालावाड़ | 1. मकलेरा (कन्या) 2. पचवाड 3. रटलाई 4. हेमड़ा |
| उदयपुर | 1. कूब (खरियावद) 2. ईटाली (मावली) 3. मान्देशमा (गोगुन्दा) 4. रूण्देरा (वल्लभनगर) 5. देपुरा (सराडा) 6. बरार (भीम) 7. खामोर (नाथद्वारा) 8. नाई (गिरवा) 9. घोगा 10. जवास 11. फेलवा |
| बांसवाड़ा | 1. बढ़ौली राठौर 2. परतापुर (कन्या) |
| संस्कृत शिक्षा | एक संस्कृत विद्यालय (ढाथोज) |
| | कुल विद्यालय 158 |

**बाली व देसूरी तहसीलों के फौजदारी व दीवानी मुकदमों का अधिकार क्षेत्र पाली में करने की मांग**

85. श्री मोहन राज (बाली) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बाली व देसूरी तहसील के नागरिकों की ओर से पाली बार एसोसिएशन के एक डेपुटेशन ने मुख्य मंत्री, न्याय एवं विधि मंत्री एक को मेमोरेण्डम इस आशय का दिया था कि बाली व देसूरी तहसीलों के फौजदारी व दीवानी मुकदमों का एपेलेट जुरिसडिक्शन (अधिकार क्षेत्र) सिरोही से हटा कर पाली कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार बाली सब-डिवीजन की जनता की उक्त न्यायोचित मांग को स्वीकार कर राहत पहुंचाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(न्याय मंत्री)

इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है।

(2) उच्च न्यायालय की राय प्राप्त हुई है। इस पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

**अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को छात्रवृत्तियां**

86. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को छात्रवृत्तियां दी जावेंगी? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के विद्यार्थियों को किस किस प्रकार से? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शनैः शनैः छात्रवृत्तियां समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कमजोर वर्ग के लोग स्वावलम्बी हो चुके हैं?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रों को अतिरिक्त एवं मेरिट कम नीड छात्रवृत्ति के अलावा अन्य सभी छात्रवृत्तियां गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी नियमान्तर्गत स्वीकृत की जावेंगी।

अतिरिक्त एवं मेरिट कम नीड छात्रवृत्तियां इस वर्ष निम्न कारणों से बन्द की जा चुकी हैं ;—

1. वर्ष 1974-75 से उत्तर मैट्रिक छात्र वृत्ति की दरों में पर्याप्त वृद्धि कर दिया जाना।

2. नियमों के अन्तर्गत महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा एतराज उठाया जाना।

3. प्लानिंग कमीशन नई दिल्ली द्वारा एतराज उठाया जाना।

(2) जी नहीं।

**छीपा बड़ौद तहसील के गांवों को बिजली**

87. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील छीपा बड़ौद, जिला कोटा के गांवों को बिजली देने हेतु अभी तक कोई आर. ई. सी. स्कीम नहीं बनाई गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं? और अब कब तक बनाने का इरादा है?

(2) छीपा बड़ौद तहसील में अब तक कितने गांवों को बिजली दी गई है व कितने गांव शेष हैं?

(3) कोटा जिले में कुल कितने गांव हैं और इनमें से अब तक कितने गांवों को बिजली दी गई है? व शेष गांवों का विद्युतिकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना तक करने का इरादा है?

उत्तर

(1) जी हां। योजना आयोग से इस पंचायत समिति के विद्युतिकरण के लिये

(विद्युत् मंत्री)

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में सम्मिलित करने की स्वीकृति मांगी गई है जो अभी नहीं मिली है।

(2) तहसील छीपा बड़ोद में 18 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है और 161 ग्राम शेष हैं।

(3) कोटा जिले में कुल 2156 ग्राम हैं जिनमें से 290 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 109 गांव विद्युतिकरण के लिये ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत हैं जिन्हें इस पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विद्युतिकरण किया जाना है। शेष ग्रामों के विद्युतिकरण के विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि प्रतिवर्ष ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की नई योजनायें और बनती रहती हैं जिससे विद्युतिकरण का क्रम जारी रहता है।

### नगरपालिकाएं बनाने के आधार

88. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले के ग्राम विराटनगर (बैराठ) एवं अन्य ग्रामों में नगरपालिकाएं बनाये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिलाधीश द्वारा राज्य सरकार को सिफारिश की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब और राज्य सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने का विचार है ?

(2) नगरपालिकाएं बनाए जाने के क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों के अन्तर्गत जयपुर जिले के अन्य सभी ग्रामों में नगरपालिकाएं बना दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

निम्नांकित तिथियों को जिलाधीश के माध्यम से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | लालसोट | 9-6-72 |
| 2. | मनोहरपुर | 19-12-72 |
| 3. | बैराठ | 19-12-72 |
| 4. | शाहपुरा | 19-12-72 |

चूंकि उक्त ग्रामों की अधिकांश आबादी ढाणियों में रहती है। इसलिए इन्हें शहरीकरण के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया एवं इन्हें नगरपालिका में परिवर्तित नहीं किया गया।

(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 के अन्तर्गत ऐसे ग्रामों के स्थानीय क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र जिनकी आबादी आठ हजार या इससे अधिक हो तो वहां नगरपालिका बनाई जा सकती है। नगरपालिका बनाते समय यह भी देखा जाता है कि उक्त क्षेत्र शहरीकरण के लिए उपयुक्त है या नहीं।

जयपुर जिले में सांगानेर व नरायणा को नगरपालिका में परिवर्तित कर दिया गया है व किशनगढ़ रेणवाल को नगरपालिका में परिवर्तित करना विचाराधीन है।

## लूणकरणसर पंचायत समिति के गांवों का विद्युतिकरण

89. श्री भीम सेन (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के के अन्तर्गत राजस्थान के किन-किन जिलों में गांवों के विद्युतिकरण हेतु योजनाएं बनाई जाकर उन्हें स्वीकृति मिल चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की लूणकरणसर पं. समिति के गांव के विद्युतिकरण हेतु उक्त कार्यक्रम के अन्तगत योजना बनाई जा चुकी है ? अगर हां, तो उसकी स्वीकृति हेतु क्या प्रयास चल रहे हैं तथा उसे कब तक स्वीकृति मिल जायेगी ?

### उत्तर

(1) 6 जिलों में। सूची 'अ' सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

### सूची

| क्र.सं. | नाम जिला | स्वीकृत योजनायें |
|---|---|---|
| 1. | सिरोही | 3 |
| 2. | उदयपुर | 4 |
| 3. | नागौर | 1 |
| 4. | बांसवाड़ा | 2 |
| 5. | पाली | 3 |
| 6. | चित्तौड़गढ़ | 1 |
| | कुल | 14 |

## अजमेर जिले में अतिवृष्टि से खरीफ की फसल को नुकसान

90. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में वर्ष 75 में खरीफ की फसल का अधिक वर्षा से कितने प्रतिशत नुकसान हुआ ? कृपया नुकसान का पंचायत समितिवार ब्यौरा देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सन् 72 और 74 में भी उस इलाके में भयंकर अकाल था ? यदि हां, तो इस अकाल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का किस प्रकार से राहत पहुँचाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) अजमेर जिले में सम्वत् 2032 की फसल को अतिवृष्टि से नुकसान होने की रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त हुई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां, जिलाधीश से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

## अन्ता–मांगरोल तहसील की लघु सिंचाई योजना

91. श्री शिवनारायण (बारां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अन्ता मांगरोल तहसील की लघु सिंचाई योजना मंजूर हो

(श्री शिवनारायण)
चुकी है लेकिन अभी तक भी इस तहसील की आर.ई.सी स्कीम का सर्वे नहीं कराया गया है ?

यदि हां, तो इस तहसील की आर.ई.सी. का सर्वे करने का राज्य सरकार इरादा कब तक रखती है ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार ने योजना आयोग से इस पंचायत समिति क्षेत्र को विद्युतिकरण योजना के लिये न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति मांगी है। इसके अभाव में अभी तक आर. ई. सी. स्कीम नहीं बनाई जा सकी है।

स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात् ही इस विषय में सर्वे कराने की अगली कार्यवाही की जावेगी।

महाविद्यालयों की क्लस्टर योजना

92. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) महाविद्यालयों की क्लस्टर योजना का क्या अभिप्राय है ?

(2) उपरोक्त योजना राजस्थान में कहां-कहां लागू की गई है ?

(3) उपरोक्त योजना हेतु किस-किस क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई है और इस हेतु कहां कहां कमेटियां बन गई हैं और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(1) क्लस्टर योजना से अभिप्राय है कुछ महाविद्यालयों को एक समूह में गूंथ देना। परीक्षा व्यवस्था को सुनियोजित करने की दृष्टि से राजस्थान विश्वविद्यालय ने 5 स्थानों में एक एक महाविद्यालय से कुछ अन्य कालेज संबद्ध किये हैं जो 5 क्लस्टर बनावेंगे।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा यह योजना राजस्थान में 5 केन्द्रों में लागू की गई है:--

1. जयपुर
2. बीकानेर
3. अजमेर
4. कोटा
5. अलवर

(3) स्वयंपाठी छात्रों के परीक्षा आवेदन-पत्रों का पंजीकरण तथा उनकी जांच की जा रही है एवं परीक्षा की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कमेटियां एवं उनके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक एक क्लस्टर कौन्सिल भी गठित की गई है। उनके सदस्यों की सूची निम्नलिखितानुसार है :--

(अ) अजमेर क्लस्टर

1. श्री एन.एम. कोठारी, डीन, आचार्य, रा.म. अजमेर।

2. श्री के.आर. वातले, आचार्य, दयानन्द कालेज, अजमेर।

3. कु. मुक्ता भट्टजी, आचार्य, सावित्री कालेज, अजमेर।

4. श्री ए.एन. पराशर, आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़।

5. श्री पी.के. मजुमदार, आचार्य, एस. डी. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर।

6. श्री के. एल. गुप्ता, आचार्य, एम. एल. वी. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा।

7. श्री बी. पी. बेरी, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, नसीराबाद रोड, अजमेर।

(ब) अलवर क्लस्टर—

1. श्री पी. सिन्हा, डीन–आचार्य, राजर्षि कालेज, अलवर।

2. डा. एम. एल. गुप्ता, आचार्य, एम. एस. जे. कालेज, भरतपुर।

3. श्रीमती बी. कोहली, आचार्य, एस. डी. गवर्नमेन्ट गर्ल्स कालेज, अलवर।

4. श्री के. बी. शर्मा, आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली।

5. श्री एम. एल. शर्मा, आचार्य, एस. एन. के. पी. गवर्नमेन्ट कालेज, नीम-का थाना।

(स) बीकानेर क्लस्टर—

1. श्री एस. एस. एल. माथुर, डीन–आचार्य, डूंगर कालेज, बीकानेर।

2. आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर।

3. कुमारी आर. आर. जुत्शी, आचार्य, चौ. बालूराम गोदारा कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर।

4. श्री जी. एन. माथुर, आचार्य, लोहिया कालेज, चूरू।

5. श्री एन. एल. कुलश्रेष्ठ, आचार्य, चिड़ावा कालेज, चिड़ावा।

6. श्री एम. एम. गुप्ता, आचार्य, जी. वी. पोद्दार कालेज, नवलगढ़।

7. श्री ए. के. राय, क्षेत्रीय विकास कमिश्नर, बीकानेर।

(द) कोटा क्लस्टर—

1. श्री एस. डी. गुप्ता, डीन-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटा।

2. श्रीमती कमला गंगवाल, आचार्य, जे. डी. बी. गर्ल्स कालेज, कोटा।

# Page No 124

(124)



3. श्री एम. आर. भल्ला, आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़।

4. श्री आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली।

5. श्री एन.एल. जैन, सदस्य, आर पी.एस.सी.।

(ई) जयपुर क्लस्टर—

1. प्रो. बी. डी. टिक्कीवाल, डीन, प्राध्यापक सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. डा. एम. सी. गुप्ता, आचार्य, महाराजा कालेज, जयपुर।
3. डा. आर. पी. शर्मा, आचार्य, राजस्थान कालेज, जयपुर।
4. कु. के. के. तर्वे, आचार्य, कानोड़िया कालेज, जयपुर।
5. आचार्य, एस. के. गवर्नमेन्ट कालेज, सीकर।

### शहरी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मामले

93. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

शहरी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मामलों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की और उसकी सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

शहरी क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण के मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने किसी समिति का गठन नहीं किया। अतः ऐसी किसी तथाकथित समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

### जोधपुर नगर के महात्मा गांधी अस्पताल में 'आई बैंक'

94. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर के महात्मा गांधी अस्पताल में "आई बैंक" को खुले हुए कितने वर्ष हो गये हैं ?

(2) उपरोक्त बैंक में कितनी आंखें अब तक प्राप्त हुई एवं कितनी लगाई गई ?

(3) उपरोक्त बैंक पर अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है एवं श्री दानचन्द मेहता ने इस कार्य के लिये कितना दान दिया है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर के महात्मा गांधी अस्पताल में "आई बैंक" खुले एक वर्ष हो गया है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) अब तक चार आंखें प्राप्त हुई हैं और चारों ही लगा दी गई हैं।

(3) अब तक इस कोष पर 62,950) रु. 50 पैसे व्यय किया जा चुका है। श्री थानचन्द जी मेहता ने इस निमित 40,000.00 रुपये (चालीस सहस्र रुपयों) का दान किया है

**बूचारा बांध पर लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान**

95. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली तहसील में बूचारा बांध पर व उसकी नहरों का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ था? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य हुआ है और कितना रुपया खर्च किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि दो सौ मजदूरों का दस हजार रुपये का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। बांध व उस नहर की मरम्मत एवं नहर की सफाई व नहर की लाईनिंग का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कराया गया था। इस कार्य पर 53124) रुपये का खर्चा हुआ है।

(2) 183 मजदूरों को 8888) रु. 50 पैसे का भुगतान करना शेष है। भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

**खानपुर कस्बे की हरिजन बस्ती में बिजली**

96. श्री गौरी शंकर (खानपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि खानपुर कस्बे में बिजली लगे करीब 11 वर्ष हो गये हैं परन्तु कई मर्तबा निवेदन करने पर भी हरिजन बस्ती में आज तक बिजली नहीं लगाई गई? यदि हां, तो अब बिजली कब तक लगवादी जायेगी?

**उत्तर**

जी हां। पंचायत समिति खानपुर द्वारा आवश्यक अन्डरटेकिंग के अभाव में वहां की हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण की स्वीकृति अभी तक नहीं दी जा सकी है। विकास अधिकारी, खानपुर को अभी फिर से नवम्बर, 1975 में अन्डरटेकिंग भेजने के लिये लिखा गया है। अन्डरटेकिंग प्राप्त होने के पश्चात् ही अगली कार्यवाही की जा सकेगी।

**देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्गों की आर्थिक दशा सुधारने के उपाय**

97. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 14 मार्च, 1973 को सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ राजकीय सेवाओं में आबादी के अनुपात से

(126)



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

भत्ते नियमित करने का प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

देहाती क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये इस प्रकार का कोई आश्वासन दिनांक 14-3-73 को दिया जाना प्रतीत नहीं होता ।

**नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों में करों की वृद्धि**

98. **श्री सांवरमल मोर** (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों में पिछले दो सालों में करों की वृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो सीकर जिले में किन-किन स्थानों की नगरपालिकाओं व नगर परिषद् में करों की वृद्धि की गयी है ? तथा उससे कितनी अधिक आय मार्च, 1974 से होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) जिन स्वायत्त शासन संस्थाओं में आय की वृद्धि हेतु करों में बढ़ोत्तरी की गयी, तथा उससे आय में वृद्धि हुई. उससे जनोपयोगी कौन-कौन से कार्य, इन संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी लागत में सम्पादित किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां ।

राजस्थान की नगरपालिकाओं व नगर परिषदों में पिछले दो साल में चुंगी कर में वृद्धि की गई है ।

सीकर जिला में जिन-जिन नगरपालिकाओं में चुंगी-कर में वृद्धि की गई है यह तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

इस तालिका में प्रत्येक नगरपालिका की चुंगी-कर वृद्धि के कारण आय में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह भी अंकित है ।

(2) सीकर जिले की नगरपालिका की आय की वृद्धि के फलस्वरूप जो जनोपयोगी कार्य के लिए राशि व्यय हुई वह भी उपरोक्त तालिका में अंकित कर दी गई है ।

सूची

| क्र. सं. | नगरपालिका | आय | जनोपयोगी कार्यों पर व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सीकर | माह नवम्बर, 74 से कर वृद्धि की गई है । अतः नवम्बर, 74 से मार्च, 75 तक 1,20,000/- अप्रेल, 75 से दिसम्बर, 75 तक 2,00,000/- की आय में बढ़ोत्तरी हुई है । | 1,81,055.90 पैसे जनोपयोगी कार्यों पर व्यय किए गए एवं इस वर्ष के अन्त तक 2 लाख के लगभग सड़क निर्माण आदि पर और व्यय किए जावेंगे । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्रीमाधोपुर | गत दो वर्षों में कोई कर वृद्धि नहीं हुई है। | गत दो वर्षों में जनोपयोगी कार्यों पर 71200.89 पैसे व्यय किए गए। |
| 3. | फतेहपुर | मार्च 74 के बाद 87283.00 की आय हुई है। | सार्वजनिक जनोपयोगी कार्यों में स्ट्रीट लाइट पर 35245।– व 52038।– सफाई पर व्यय किया गया है। |
| 4. | रामगढ़ | पिछले दो वर्षों में कोई कर वृद्धि नहीं की गई दिनांक 1-1-76 से नई कर वृद्धि की गई है जिसकी आय का आगे प्रभाव पड़ेगा। | कोई जनोपयोगी कार्य नहीं किया गया। |
| 5. | लक्ष्मणगढ़ | वर्ष 1973-74 : 66088.41<br>1974–75 : 75650.49 | कोई जनोपयोगी कार्य नहीं किया गया। |
| 6. | रींगस | यह नवनिर्मित नगरपालिका है अभी कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। | यह नई नगरपालिका बनी है अभी तक कोई जनोपयोगी कार्य में खर्चा नहीं हुआ है। |
| 7. | लोसल | यह नवनिर्मित नगरपालिका है। अभी कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। | यह नई नगरपालिका बनी है। अभी तक कोई जनोपयोगी कार्य में खर्चा नहीं हुआ है। |
| 8. | खण्डेला | किसी कर में वृद्धि नहीं की गई है। | किसी विशेष जनोपयोगी कार्य खर्चा में नहीं किया गया है। |
| 9. | नीम-का-थाना | गत दो वर्षों में कोई कर वृद्धि नहीं हुई है। | – |

(128)



**अकलेरा चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की मांग**

99. **श्री भैरूलाल (अकलेरा):** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा चिकित्सालय भूतपूर्व कोटा रियासत ने लगभग 50 वर्ष पूर्व 'सा' श्रेणी में कायम किया था ?

(2) क्या यह भी सच है कि उक्त चिकित्सालय को कायम किया उस वक्त इसमें मरीजों की संख्या लगभग 40–50 दैनिक थी ?

(3) क्या यह भी सच है कि इस वक्त उक्त चिकित्सालय में मरीजों की संख्या लगभग 150 से 300 तक दैनिक है ?

(4) क्या यह भी सच है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सा अधिकारी झालावाड़ एवं क्षेत्रीय जनता सन् 71 से ही उक्त चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने की सिफारिश एवं मांग करती आई है ?

(5) क्या यह भी सच है कि इससे कम मरीजों की संख्या वाले कई चिकित्सालयों को राज्य सरकार ने 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय को 'बी' श्रेणी में किये जाने हेतु राज्य सरकार क्या विचार रखती है ? अब कब तक इसे 'बी' श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि अकलेरा में भूतपूर्व रियासत के समय से ही एक चिकित्सालय स्थापित है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1974 में अकलेरा चिकित्सालय के रोगियों की दैनिक औसत आउट डोर 112 व इन डोर 2 रही है।

(4) जी हां।

(5) समुचित जन सहयोग तथा योजना मद में प्रावधान उपलब्ध होने पर ही चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करना सम्भव हो सकता है। आर्थिक सुविधा प्राप्त होने पर अकलेरा चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने पर भी विचार किया जा सकेगा।

---

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 76 का आदेश)

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR.

No. F.11(Gr. I)A-68/7455 Dated the 27th Sept., 1974.

All Depot Managers,

RSRTC————.

*Circular Letter*

Please refer to the earlier Circular No. F.4(CF)2152, dated 16-3-1974 in which it was stressed that no overcrowding or standing passengers should be allowed in the Semi-Deluxe and Deluxe services. Frequent complaints are coming to us that even in these prestige services the conductor usually book large number of passengers in excess of the capacity. The actions of the conductors in this behalf at their own initiative can not be tolerated. You must verify from the waybill pertaining to these services and find out that no overcrowding is allowed by the conductor on the wayside. In case you find that overcrowding was there the explanation of the conductor should be called and if it has been done by him to give favour to some of the passengers disciplinary action should be taken against him. The Management wants that complaints of this type regarding these prestige services should not come. You must exercise your personal vigilance also and put in all efforts to maintain the decorum of the passengers travelling in these services.

Dy. General Manager (Com).

No.F.4(Gr.) A-68/7455 Dated the 27th Sept., 74.

Copy forwarded for information and necessary action to:—

1. Regional Managers, RSRTC, Jaipur/Jodhpur.
2. Asstt. Regional Manager, RSRTC, Jaipur(B)/Kota/Jodhpur/ Bikaner.

Dy. General Manager (Com).

## परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची)

प्रतिलिपि आबू रोड नगरपालिका की आडिट आक्षेप संख्या 13(2) वर्ष 71-72.

भूमि बिक्री का मामला अस्पष्ट पालिका को क्षति संभव:--

1. आलोच्य वर्ष 71-72 में भूमि विक्रय सम्बन्धी एक मामले में रु. 47.59 की राशि नगरपालिका कोष में प्राप्त हुई। इस मामले की जांच टिप्पणी निम्नांकित की जाती है :-

जिलाधीश, सिरोही ने एक पत्र संख्या 157779 दिनांक 9-9-69 को उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को लिखकर निवेदन किया कि देवीसहाय, देवकरण, गोपालिया आबू रोड को 5143-1/2 वर्ग फुट जमीन के पट्टे देने हेतु दर निर्धारित की जावे। जिलाधीश ने इस पत्र में लिखा है कि प्रार्थी के पहले जो सिरोही, रियासत के समय से 12026-1/4 वर्ग फीट पर है मगर तत्कालीन जिलाधीश ने दिनांक 3-1-69 को सिर्फ 7200 वर्ग फुट पर ही कब्जा मान कर रु. 15 प्रति 100 फीट से वसूली का आदेश दिया था इसके पश्चात् सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, जयपुर का एक पत्र नं. 25264 दिनांक 22-4-71 को प्रशासक, नगरपालिका आबू रोड के नाम प्राप्त हुआ जिसके प्रत्युत्तर में प्रशासक ने प्रार्थी के पास कुल 15673-1/2 वर्ग फीट भूमि होना बताया है एवं 10530 वर्ग फीट भूमि का पट्टा भी उसके पास होना अंकित किया है। इस प्रकार जिलाधीश, सिरोही के पत्र एवं नगरपालिका आबू रोड के पत्रों में भिन्नता है। जिलाधीश के पत्र दिनांक 9-9-69 में जब 7200 वर्गफीट जमीन का ही कब्जा मान कर पैसा जमा कराया गया है जो प्रार्थी को अतिरिक्त भूमि को देने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है वह उसके कब्जे की जमीन नहीं कही जा सकती। इसके अतिरिक्त प्रशासक ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 7-7-71 को प्रार्थी के पास 10530 वर्ग फीट भूमि का पट्टा होना बताया है। ऐसी स्थिति में वास्तविक भूमि कितनी कब्जे में थी व कितनी भूमि का पट्टा पहले से प्रार्थी के पास था तथा कितनी अतिरिक्त भूमि का पट्टा उन्हें प्राप्त करना था एवं सिरोही रियासत में जब आबू रोड था ही नहीं तो जिलाधीश ने सिरोही रियासत के समय से कब्जा होना जिस तरह अंकित किया इत्यादि बिन्दु अस्पष्ट हैं। अतः विभागीय स्तर पर पूर्ण जांच कराने हेतु मामला स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाया जाता है। नतीजे से इस विभाग को अवगत कराया जावे।

2. स्वायत्त शासन विभाग के जिलाधीश, सिरोही के पत्र के आधार पर दो भूखण्ड कुल 5143-1/2 वर्ग फीट भूमि रु. 15 प्रति 100 वर्ग फीट की दर से श्री देवीसहाय को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

जब कि नजूल लैण्ड कमेटी आबूरोड नगरपालिका ने 16-2-64 की बैठक में ऐसी

# Page No 131

131



जमीन के लिए विक्रय दर 1) रु. वर्गफीट की निर्धारित की थी और इस प्रकार उक्त भूमि की जमीन रु. 5143-1/2 प्राप्त हो सकते थे जब कि पालिका उद्योग संघ के लिए खरीद की है तो उसकी दर 2½ रु. प्रति वर्ग फीट प्राप्त होती थी ऐसी दशा में भूमि की कीमत जो प्राप्त हुई है वह बहुत कम है और पालिका को क्षति उठानी पड़ी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार अविलम्ब ध्यान देने का काम करे जिससे पालिका को सही रूप से आय प्राप्त हो सके।

३

132



# परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची)

राजस्थान के प्रत्येक जिले की शहरी तथा देहाती क्षेत्रों की साक्षरता का प्रतिशत सत्र 1971 की जनगणना के आधार पर

| क्र.सं. | नाम जिला | शहरी क्षेत्र | | | ग्रामीण क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | पुरुष | महिलाएं | कुल | पुरुष | महिलाए |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अजमेर | 53.98 | 65.76 | 40.55 | 16.01 | 26.10 | 5.17 |
| 2. | अलवर | 47.52 | 59.57 | 33.10 | 16.94 | 27.25 | 5.38 |
| 3. | भरतपुर | 38.32 | 49.39 | 25.09 | 15.93 | 26.06 | 3.87 |
| 4. | जयपुर | 46.13 | 57.06 | 33.42 | 14.11 | 23.61 | 3.60 |
| 5. | झुंझुनू | 34.88 | 49.16 | 19.07 | 20.80 | 34.70 | 5.91 |
| 6. | सीकर | 32.76 | 46.56 | 18.47 | 16.92 | 29.20 | 4.12 |
| 7. | सवाई माधोपुर | 35.61 | 49.06 | 19.83 | 13.68 | 22.74 | 3.22 |
| 8. | टोंक | 32.68 | 45.19 | 18.79 | 11.70 | 19.31 | 3.34 |
| 9. | बीकानेर | 45.80 | 57.42 | 32.77 | 11.71 | 19.05 | 3.64 |
| 10. | चूरू | 35.33 | 47.59 | 22.73 | 12.08 | 20.97 | 2.57 |
| 11. | गंगानगर | 44.44 | 54.68 | 32.03 | 15.40 | 23.84 | 5.87 |
| 12. | बाड़मेर | 38.72 | 54.30 | 19.64 | 8.38 | 13.91 | 2.19 |
| 13. | जैसलमेर | 40.79 | 55.53 | 20.83 | 8.73 | 14.90 | 1.22 |
| 14. | जोधपुर | 44.30 | 55.34 | 31.54 | 10.63 | 18.50 | 2.03 |
| 15. | जालौर | 35.60 | 49.51 | 19.77 | 8.95 | 14.95 | 2.53 |
| 16. | सिरोही | 44.59 | 58.92 | 28.82 | 10.74 | 17.49 | 3.76 |
| 17. | नागौर | 34.05 | 46.86 | 19.84 | 12.44 | 20.59 | 3.84 |
| 18. | पाली | 37.63 | 51.00 | 32.47 | 14.62 | 23.75 | 5.11 |
| 19. | कोटा | 47.33 | 58.85 | 33.45 | 18.30 | 29.49 | 5.90 |
| 20. | बून्दी | 41.83 | 54.69 | 26.55 | 11.66 | 19.34 | 2.99 |
| 21. | झालावाड़ | 46.38 | 59.30 | 31.94 | 14.55 | 23.67 | 4.65 |

# Page No 133





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | बांसवाड़ा | 52.51 | 63.32 | 40.98 | 10.28 | 17.19 | 3.23 |
| 23. | भीलवाड़ा | 41.46 | 54.36 | 26.65 | 11.83 | 19.21 | 3.77 |
| 24. | डूंगरपुर | 50.50 | 62.83 | 37.26 | 12.05 | 20.43 | 3.84 |
| 25. | चित्तौड़गढ़ | 44.80 | 59.22 | 28.58 | 14.36 | 23.95 | 4.11 |
| 26. | उदयपुर | 51.03 | 62.62 | 37.72 | 12.69 | 21.22 | 3.90 |
| | कुल राजस्थान | 43.47 | 55.33 | 29.69 | 13.85 | 22.87 | 4.08 |

## परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की सूची)

### जिला बाड़मेर के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

| क्र. सं. | औषधालय का नाम व स्थान | श्रेणी | क्र. सं. | औषधालय का नाम व स्थान | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | राज. आयुर्वेद औषधालय, बाड़मेर | अ | 2. | राज. आयुर्वेद औषधालय, सिवाना | सी |
| 3. | ,, ,, समदड़ी | बी | 4. | ,, ,, बालोतरा | सी |
| 5. | ,, ,, गुड़ा मालानी | सी | 6. | ,, ,, मोकलसर | बी |
| 7. | ,, ,, पादरू | सी | 8. | ,, ,, बाछराउ | सी |
| 9. | ,, ,, गंगासा | सी | 10. | ,, ,, बिसाला | सी |
| 11. | ,, ,, सज्जन का पार | सी | 12. | ,, ,, सेवराऊ | सी |
| 13. | ,, ,, अरणियाली | सी | 14. | ,, ,, बायडमा | सी |
| 15. | ,, ,, भूणिया | सी | 16. | ,, ,, धोरिमना | सी |
| 17. | ,, ,, दूदू | सी | 18. | ,, ,, राखी | सी |
| 19. | ,, ,, जेठन्तरी | सी | 20. | ,, ,, खान्डेप | सी |
| 21. | ,, ,, करमावास | सी | 22. | ,, ,, सवाई पदमसिंह | सी |
| 23. | ,, ,, बायतू | सी | 24. | ,, ,, कवास | सी |
| 25. | ,, ,, हरसाणी | सी | 26. | ,, ,, नीमला | सी |
| 27. | ,, ,, जयसिंहधर | सी | 28. | ,, ,, गिराव | सी |
| 29. | ,, ,, गडरा रोड | सी | 30. | ,, ,, कोटडा | सी |
| 31. | ,, ,, साखियाणी | सी | 32. | ,, ,, पालू | सी |
| 33. | ,, ,, असोल | बी | 34. | ,, ,, आसोतरा | सी |
| 35. | ,, ,, असाडा | सी | 36. | ,, ,, टापरा | सी |
| 37. | ,, ,, कलेवा | सी | 38. | ,, ,, पचपदरा | सी |
| 39. | ,, ,, सिन्दरी | बी | 40. | ,, ,, रावतसर | सी |
| 41. | ,, ,, मेहलू | सी | 42. | ,, ,, नोखडा | सी |
| 43. | ,, ,, वाखा | सी | 44. | ,, ,, चौहटन | सी |
| 45. | ,, ,, बावडीकला | सी | 46. | ,, ,, बीजराड | सी |
| 47. | ,, ,, बोसाधर | सी | 48. | ,, ,, सपरू का तला | सी |
| 49. | ,, ,, पाडीडी | सी | 50. | ,, ,, भाडखा | सी |
| 51. | ,, ,, होडू | सी | | | |

## परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की सूची)

राजपत्रित अधिकारी

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की सूची

अपर पुलिस अधीक्षक (अनुसूचित जाति)

| नाम 1 | जिला 2 | वर्तमान पदस्थापन 3 |
|---|---|---|
| 1. श्री पुखराज सीरजी | सी.आई.डी. (विशेष शाखा), राजस्थान, जयपुर। | सी.आई.डी. (विशेष शाखा) राजस्थान, जयपुर। |
| 2. श्री हनुमान प्रसाद | जिला जयपुर। | सी.आई.डी. (अपराध शाखा) राजस्थान, जयपुर। |
| 3. श्री नत्थी लाल | जयपुर | भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर। |

पुलिस उप अधीक्षक (अनुसूचित जाति)

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री मदन लाल बईया | जिला जयपुर | जयपुर |
| 2. श्री चुन्नी लाल | जिला जोधपुर | जोधपुर |
| 3. श्री दाताराम | जिला जैसलमेर | जैसलमेर |
| 4. श्री महावीर प्रसाद | जिला बीकानेर | बीकानेर |
| 5. श्री धर्म सिंह सागर | प्रशिक्षण पर | |
| 6. श्री प्रह्लाद राम सावेरिया | प्रशिक्षण पर | |
| 7. श्री गंगाराम बैरवा | प्रशिक्षण पर | |

पुलिस उप अधीक्षक (अनुसूचित जनजाति)

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री जगदीश चन्द्र कांवट | जिला पाली | पाली |
| 2. श्री मुरली धर मीना | जिला चूरू | चूरू |
| 3. श्री लक्ष्मीनारायण मीना | जिला गंगानगर | गंगानगर |

# Page No 136

(136)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **पुलिस निरीक्षकगण (अनुसूचित जन जाति)** | | |
| 1. श्री रामप्रसाद (मीना) | जिला जयपुर | सी.आई.डी. (अप. शाखा). जयपुर। |
| 2. श्री भागीरथ राम (मीना) | जिला जयपुर | द्वितीय बटालियन, आर.ए.सी., जयपुर। |
| 3. श्री मनजी (भील) | | एम.बी.सी. खैरवाड़ा। |

अनुसूचित जाति — सूची उप निरीक्षक — अराजपत्रित अधिकारी

| नाम<br>1 | जिला<br>2 | वर्तमान पदस्थापन<br>3 |
|---|---|---|
| 1. श्री भगवत स्वरूप पुत्र हुकूमचन्द | अलवर | यातायात शाखा |
| 2. ,, बन्सीधर पुत्र रामप्रताप | सीकर | कोतवाली |
| 3. ,, सी.एल. तंवर पुत्र चन्दाराम | जयपुर | थाना रामगंज |
| 4. ,, ओम प्रकाश पुत्र धर्मपाल | भरतपुर | बसई—डांग |
| 5. ,, सोहनलाल पुत्र जयराम | जयपुर | लाइन ए. पी. |
| 6. ,, श्री राम वर्मा पुत्र श्री नारायण | अलवर | विजय मन्दिर |
| 7. ,, सरवन राम पुत्र हुकमाराम | बीकानेर | गंगाशहर |
| 8. ,, ईश्वरसिंह पुत्र हजारीलाल | प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। | |
| 9. ,, रामपाल पुत्र डूंगरदास | ,, | ,, |
| **अनुसूचितजन जाति** | | |
| 1. श्री उदयसिंह | जयपुर | एम. ओ. बी. |
| 2. ,, दर्याव सिंह | ,, | डी. एस. पी. |
| 3. ,, गोपाल राम पुत्र नाथूराम | अजमेर | ,, |
| 4. ,, जगदीश प्रसाद पुत्र महादेवराम | अलवर | लाइन |
| 5. ,, लच्छाराम पुत्र सेवाराम मीना | जोधपुर | ए. पी. |
| 6. ,, माधोराम पुत्र गिरधारी राम | ए. पी. कोटा | लाइन |
| 7. ,, नारायणलाल पुत्र उदयलाल | कोटा | (बूडादित) |
| 8. ,, नानूलाल पुत्र गोविन्दराम | अजमेर | नसीराबाद |
| 9. ,, प्रहलादराम पुत्र सांवतराम.. | गंगानगर | नोहर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. श्री प्रह्लादसिंह पुत्र महनियाराम | भरतपुर | सेपऊ |
| 11. ,, पूरनमल पुत्र सुल्तानसिंह | अजमेर | जवाजा |
| 12. ,, फूलाराम पुत्र कालाराम | चितौड़ | लाइन |
| 13. ,, रामहेत पुत्र मोतीलाल | अजमेर | कन्ट्रोलरूम |
| 14. ,, रामकृपाल पुत्र पुनियाराम | भरतपुर | पहाडी |
| 15. , श्यामलाल पुत्र सेवासिंह | बूंदी | दबलाना (पी.एस.) |
| 16. ,, गोरीशंकर पुत्र रामेश्वर | अजमेर | ब्यावर सिटी |
| 17. ,, कन्हैयालाल पुत्र सुलतानराम | अजमेर | 11 आफिसर कोतवाली |
| 18. ,, तेजाराम पुत्र नानजी | भीलवाड़ा | लाइन में । |
| 19. ,, नारायण पुत्र मूलचन्द | प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । | |
| 20. ,, लखपतराम पुत्र रामकुमार | प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । | ,, |

## परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची

| क्रम संख्या | उद्योग | लगाने का स्थान/प्रस्तावित स्थान |
|---|---|---|
| 1. | स्कूटर | अलवर |
| 2. | थ्री-व्हीलर स्कूटर | अलवर |
| 3. | टी.वी. रिसीविंग सेट्स | जयपुर |
| 4. | ग्लास बोटल्स एण्ड कन्टेनर्स | सवाई माधोपुर |
| 5. | ग्लास शेल्स व लीड ग्लास ट्यूबिंग | अलवर |
| 6. | केलशियम कार्बाइड | कोटा |
| 7. | माइल्ड स्टील हाई टेन्शन कार्बन व स्प्रिंग स्टील प्लेट्स | जयपुर |
| 8. | कार्बोनाइट व एल्यूमिनियम फ्लोराइड | डूंगरपुर |
| 9. | काटन यार्न | बांसवाड़ा |
| 10. | काटन यार्न | अलवर |
| 11. | कास्टिक सोडा | डीडवाना |
| 12. | सोडा एश व अमोनियम क्लोराइड | कोटा |
| 13. | स्पंज आइरन | जयपुर |